लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनदित सस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
3rd
LOK SABHA DEBATES

[ग्यारहवां सत्र / Eleventh Session]

[खंड 41 में अंक 31 से 40 तक हैं
Vol. XLI contains Nos. 31--40]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price: One Rupee

[यह लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनुदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी अंग्रेजी में अनुवाद है ।

This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi]

683(Ai) LS—1.

विषय-सूची

अंक 35, गुरुवार, 8 अप्रैल, 1965/18 चैत्र, 1887 (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

*तारांकित

प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
790.	विदेशी मुद्रा	3269—71
791.	कर-निर्धारण	3371–72
793.	कोलम्बो योजना	3272–73
794.	नगरों में भूमि-धारण की अधिकतम सीमा	3274–75
795.	राष्ट्र ऋण	3275—77
796.	ऊंची चिकित्सा शिक्षा की संस्थायें	3277—80
797.	फिरोजाबाद में छिपा धन	3280–81
798.	वाणिज्यिक फसलों के लिए ऋण	3281—84
799.	जीवन बीमा एजेण्ट संघ	3284—87
800	अध्यापकों के लिए वेतन ढांचा	3288—90

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित

प्रश्न संख्या

792.	बिजली की दरों में वृद्धि	3290
801.	कर अपवंचन	3291
802.	शेख अब्दुल्ला को विदेशी मुद्रा	3291
803.	जमना के पानी का दूषित होना	3292
804.	पूर्व-निर्मित मकान	3292–93
805	पचवर्षीय योजनाओं से शिक्षा	3293
806.	वित्त मंत्री द्वारा राज्यों की यात्रा	3293–94
807.	उत्पादन शुल्क	3294
808.	उपरि कृष्णा परियोजना	3295

अतारांकित

प्रश्न संख्या

2060.	दिल्ली में झुग्गियों का गिराया जाना	3295
2061.	बम्बई में निषिद्ध सोना	3296
2062.	पटेल अध्ययन दल	3296
2063.	चिकित्सा संस्थाओं को अनुदान	3296

*किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

CONTENTS

Nos. 33

Thursday, April 8, 1965/Chaitra 18, 1887 (Saka)

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

Starred Questions Nos.	*Subject*	PAGES
790	Foreign Exchange	3269—71
791	Assessment of Taxes . .	3271–72
793	Colombo Plan	3272–73
794	Ceiling on Urban Land holdings .	3274–75
795	Public Borrowing	3275—77
796	Institutes of Higher Medical Education.	3277—80
797	Unaccounted Money in Ferozabad	3280–81
798	Credit for Commercial Crops .	3281—84
799	Life Insurance Agents Federation	3284—87
800	Wage Structure for Teachers .	3288—90

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

Starred Questions Nos.		
792	Increase in Electricity Charges .	3290
801	Tax Evasion	3291
802	Foreign Exchange to Sheikh Abdullah .	3291
803	Pollution of the Jamuna Water	3292
804	Pre-fabricated Houses. . . .	3292–93
805	"Some Lessons from Five Year Plans" .	3293
806	Finance Minister's Visit to States	3293–94
807	Excise Duties . .	3294
808	Upper Krishna Project	3295
Unstarred Questions Nos.		
2060	Demolition of Jhuggies in Delhi .	3295
2061	Contraband Gold in Bombay	3296
2062	Patel Study Team . .	3296
2063	Grants to Medical Institutions	3296–97

अतारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
2064.	करों की वसूली	3297
2065.	दिल्ली में बिक्री-कर का अपवंचन	3298
2066.	इन्दौर में कर अपवंचक	3298
2067.	परिवार नियोजन के अन्तर्गत बन्धीकरण	298-99
2068.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	3299-3300
2069.	दिल्ली में बाढ़ सुरक्षा के निर्माण-कार्य	3300-01
2070.	हैदराबाद हाउस, नई दिल्ली	3301
2071.	निर्यात संवर्द्धन उद्योगों में विनियोजन	3301
2072.	केन्द्रीय शुल्कों में राज्यों का हिस्सा	3302
2073.	"थर्ड सेक्स"	3302-03
2074.	गंगा के पानी से बिजली बनाना	3303
2075.	दिल्ली के लिए तापीय विद्युत् संयंत्र	3303-04
2076.	कर्जन रोड, नई दिल्ली में निकास नल	3304
2077.	मुद्रा-संचलन	3304-05
2078.	कर्मचारियों को प्रतिनियुक्ति भत्ता	3305
2079.	परिवार नियोजन केन्द्र	3305-06
2080.	लखनऊ में सोने का पकड़ा जाना	3306
2081.	वाराणसी में दुकानों, आदि पर छापे	3306-07
2082.	केन्द्रीय-उत्पादन--शुल्क से प्राप्त राजस्व	3307
2083.	बड़ी और बीच के दर्जे की सिंचाई परियोजनायें	3307
2084.	उड़ीसा में ग्रामीण विद्युतीकरण	3308
2085.	उड़ीसा में ग्राम आवास योजना	3308
2086.	उड़ीसा को अनुदान	3309
2087.	ग्रामीण आवास योजनायें	3309
2088.	राज्यों के स्वास्थ्य रिकार्ड	3309-10
2089.	राजस्थान नहर	3310
2090.	कोयले की ढुलाई सम्बन्धी विश्व बैंक दल	3311
2091.	कटुमपल्ली परियोजना	3311
2092.	मेसर्स मेक्लिप्रोर्ड एण्ड कम्पनी	3311-12
2093.	इनामी बांड	3312
2094.	उड़ीसा में पानी का जमाव	3312-13
2095.	कुतुब मीनार के चारों ओर हरी पट्टी	3313
2096.	फोर्ड प्रतिष्ठान द्वारा दिया गया कम्प्यूटर	3313-14
2097.	चीनी उद्योग को करों में छूट	3314
2098.	ब्रिटेन द्वारा पुस्तकों का उपहार	3314

Unstarred Questions Nos.	*Subject*	PAGES
2064	Tax Collection	3297
2065	Evasion of Sales Tax in Delhi	3298
2066	Tax Evaders in Indore	3298
2067	Sterilisation under Family Planning	3298–99
2068	Primary Health Centres	3299–3300
2069	Flood Protection Works in Delhi	3300–01
2070	Hyderabad House, New Delhi	3301
2071	Investment on Export Promotion Industries	3301–02
2072	States Share in Central Levies	3302
2073	Third Sex	3302–03
2074	Harnessing of the Ganges Waters	3303
2075	Thermal Plants for Delhi	3303–04
2076	Drainage Pipes in Curzon Road, New Delhi	3304
2077	Currency in Circulation	3304–05
2078	Deputation Allowance to Employees	3305
2079	Family Planning Centres	3305–06
2080	Recovery of Gold in Lucknow	3306
2081	Raids on Business Premises in Varanasi	3306–07
2082	Revenue from Central Excise	3307
2083	Major and Medium Irrigation Projects	3307
2084	Rural Electrification in Orissa	3308
2085	Village Housing Scheme in Orissa	3308
2086	Grants to Orissa	3309
2087	Rural Housing Schemes	3309
2088	Health Records of States	3309–10
2089	Rajasthan Canal	3310
2090	World Bank Team on Coal Transport	3311
2091	Kattampalli Project	3311
2092	M/s. Mcleeod & Co.	3311–12
2093	Prize Bonds	3312
2094	Water Logging in Orissa	3312–13
2095	Green Belt around Qutab Minar	3313
2096	Computor Supplied by Ford Foundation	3313–14
2097	Tax concessions to sugar industry	3314
2098	Gifts of Books from U.K.	3314

तारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
2099.	बिजली का बन्द होना	3314–15
2100.	निगम करों में छूट	3315
2101.	दिल्ली में कम तथा मध्यम आय वर्ग के मकान	3315–16
2102.	मद्रसा में आवास योजना	3316
2103	नागपुर से श्री श्रीराम दुर्गा प्रसाद	3317
	अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषयों की ओर ध्यान दिलाना	3317
	(एक) श्री फ़िजो की चीन की प्रस्तावित यात्रा के समाचार	
	श्री हुकम चन्द कछवाय	3317
	श्री स्वर्ण सिंह	3317
	(दो) केरल राज्य परिवहन के कर्मचारियों की हड़ताल	
	श्री किशन पटनायक	3356
	श्री हाथी	3356
	सदस्य का निलम्बन	3320
	(श्री मधु लिमये)	3320
	सभा पटल पर रखे गये पत्र	3325
	सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति बारहवां प्रतिवेदन	3326
	प्राक्कलन समिति	
	सड़सठवां प्रतिवेदन	3326
	भाषण के लिए सदस्यों को अनुमति देने के बारे में	3326
	अनुदानों की मांगें	
	सूचना और प्रसारण मंत्रालय	3328
	श्री हेम बरुआ	3328–32
	श्रीमती रामदुलारी सिन्हा	3328–33
	श्री म० ला० द्विवेदी	3333–34
	श्री सोलंकी	3334–36
	श्री अ० ना० विद्यालंकार	3336–37
	श्री बालकृष्ण वासनिक	3337
	डा० रानेन सेन	3337–40
	श्री अन्सार हरवानी	3340–41
	श्रीमती शकुन्तला देवी	3341
	श्री बाल्मीकी	3341–42
	श्री सेझियान	3342–43
	श्रीमती यशोदा रेड्डी	3343–44
	श्री खाडिलकर	3344–45

Unstarred Question Nos.	*Subject*	PAGES
2099	Electricity Breakdown in Delhi . .	3314-15
2100	Relief in Corporate Taxes	3315
2101	Low and Middle Income Group Houses in Delhi .	3315-16
2102	Housing Scheme in Madras. . .	3316
2103	Shri Sriram Durga Prasad of Ngpur	3317
	Calling Attention to Matters of Urgent Public Importance—	3317
	(i) Reported proposed visit of Mr. Phizo to China;	
	Shri Hukam Chand Kachhavaiya .	3317
	Shri Swaran Singh	3317
	(ii) Strike by employees of Kerala State Transport Corporation—	
	Shri Kishen Pattnayak .	3356
	Shri Hathi	3356-57
	Suspension of Member .	3320
	(Shri Madhu Limaye)	3320
	Papers laid on the Table	3325
	Committee on Absence of Members—	
	Twelfth Report	3326
	Estimates Committee—	
	Sixty-seventh Report	3326
	Re : Selection of Speakers	3326
	Demands for Grants—	
	Ministry of Information and Broadcasting	3328
	Shri Hem Barua . . .	3328—32
	Shrimati Ram Dulari Sinha	3332-33
	Shri M.L. Dwivedi	3333-34
	Shri Solanki . .	3334—36
	Shri A.N. Vidyalankar	3336-37
	Shri Balkrishna Wasnik	3337
	Dr. Ranen Sen	3337—40
	Shri Ansar Harvani . .	3340-41
	Shrimati Shakuntala Devi .	3341
	Shri Balmiki .	3341-42
	Shri Sezhiyan . . .	3342-43
	Shrimati Yashoda Reddy . .	3343-44
	Shri Khadilkar .	3344-45

श्री यु० द० सिंह . . .	3345–46
श्री च० का० भट्टाचार्य . .	3346–48
श्री गु० सिं० मुसाफिर .	3348
श्री कर्णी सिंहजी .	3348–49
श्री इन्द्रजंत लाल मल्होत्रा	3349–50
श्री प्रकाशवीर शास्त्री	3350–51
श्री बागड़ी	3351–52
श्री बासप्पा	3352
श्री कोया .	3352–53
श्री विश्राम प्रसाद	3353
श्री जं० ब० सिं० बिष्ट .	3353–55
श्रीमती इंदिरा गांधी . . .	3355

Shri Y.D. Singh 3345-46
Shri C.K. Bhattacharyya 3346-48
Shri G.S. Musafir 3348
Shri Karni Singhji 3348-49
Shri Inder J. Malhotra 3349-50
Shri Prakash Vir Shastri 3350-51
Shri Bagri 3351-52
Shri Basappa 3352
Shri Koya 3352-53
Shri Vishram Prasad. 3353
Shri J.B.S. Bist 3353-55
Shrimati Indira Gandhi 3355

लोक-सभा

LOK SABHA

गुरुवार, 8 अप्रैल, 1965 / 18 चैत्र / 1887 (शक)

Thursday, April 8, 1965, Chaitra 18, 1887 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।

The Lok Sabha Met at Eleven of the Clock

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]
[MR. SPEAKER *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

Foreign Exchange

+
*790. **Shri M.L. Dwivedi :**
Shri S.C. Samanta :
Shri R.S. Tiwary :

Will the Minister of **Finance** be pleased to state .

(a) whether it is a fact that foreign exchange is sanctioned to the Industrialists for going abroad to popularise Indian goods and thus earn foreign exchange by their exports ;

(b) whether there exists any machinery whereby it is ascertained that the foreign exchange sanctioned to the industrialists is properly utilised ;

(c) the amount of foreign exchange sanctioned during the last five years (year-wise), to such industrialists for going abroad for industrial technical or other studies ; and

(d) whether Government propose to increase the total amount of foreign exchange for purposes referred to in part (c) above ?

The Minister of Planning (Shri B.R. Bhagat) : (a) Yes, Sir.

(b) Cases of misuse coming to the notice of the Bank are dealt with by the Directorate of Enforcement.

(c) The following amounts of foreign exchange were released for business visits abroad during the past five years :

	In lakhs of rupees
1960	162·3
1961	139.3
1962	117·5
1963	137.2
1964	197·8

(d) The question does not arise as there is no ceiling as such for release of exchange for business purposes. Exchange is released in each case on merits on the prescribed scale.

Shri M. L. Dwivedi : May I know whether there is any machinery in the Ministry by which it can be checked that those industrialists who go abroad, utilise the foreign exchange property and whether there are any cases where they have misused it ?

Shri B. R. Bhagat : It is not possible to check each and every case. But when there are complaints we make investigation.

Shri M. L. Dwicedi : May I know whether Hon. Minister will tell us those cases in which complaints were received through Banks and the action taken by the Government ?

Shri B. R. Bhagat : I have not got the list now.

श्री स० चं० सामन्त : क्या वे उद्योगपति जो वस्तु समिति के सदस्य हैं उनको अपनी वस्तु के प्रचार के लिए विदेश में जाने की अनुमति दी जाती है ?

श्री ब० रा० भगत : मैं नहीं जानता कि माननीय सदस्य किस वस्तु समिति का उल्लेख कर रहे हैं। यदि वह किसी विशष समिति के बारे में पूछें तो मैं बता सकता हूं ।

Shri R.S. Tiwari : If a man wants to obtain foreign exchange for going abroad may I know how long does it take to get it ?

Shri B. R. Bhagat : We try to give as soon as possible.

श्री हरि विष्णु कामत : क्या इस विश्वास अथवा संदेह की सत्यता के बारे में कोई जांच की गई है कि कई उद्योगपति जिनको सरकार से विदेशी मुद्रा मिली है अपने गुप्त खाते विदेशी बैंकों में, विशेषतया स्विस बैंकों में रखते हैं और विदेशों में जाने पर उसका उपयोग करते हैं, यदि हां, तो जांच के क्या परिणाम निकले ?

श्री ब० रा० भगत : शिकायत मिलने पर उसकी जांच की जाती है; अन्यथा हम कोई जांच नहीं करते हैं ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह पूछा गया है कि क्या ऐसे कोई उदाहरण सामने आये हैं कि जो उद्योगपति विदेश जाते हैं वह सरकार से विदेशी मुद्रा ले जाते हैं और उसको विदेशी

बैंकों, विशेषतया स्विस बैंकों में जमा कर देते हैं और यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्य-वाही की गई है ।

श्री ब० रा० भगत : शिकायतें मिली हैं कि कुछ ने अपने खाते वहां पर खोल रखे हैं ।

श्री हरि विष्णु कामत : क्या कोई जांच की गई है यदि हां, तो क्या परिणाम निकले ।

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : स्विटज़रलैण्ड के बैंकों में नम्बरों पर खाते खुले हुए हैं इसलिये जिस व्यक्ति के वहां पर खाते हैं उनका पता लगाना असंभव है । बहुत से विदेशियों ने वहां पर अपने खाते खोल रखे हैं जो शिकायतें मिली हैं वह भारतीय लोगों के बारे में हैं । इनमें से सभी व्यापारी नहीं होते हैं और लोग भी होते हैं । इसके अतिरिक्त हमें कोई जानकारी नहीं है क्योंकि हमारे पास कोई और साधन नहीं है जिसके आधार पर मुझे मालूम हो सके कि किसके खाते वहां पर हैं तथा वह लोग किस प्रकार बैंकों से रुपया निकालते तथा डालते हैं । प्रवर्तन शाखा लगातार ध्यान रखती है । कोई भी जानकारी मिलने पर हम जांच करते हैं ।

श्री दाजी : क्या सरकार के ध्यान में यह बात आई है कि विदेश जाने वाले कुछ उद्योगपति विदेशों में बड़ी शान से रहते हैं अर्थात् जितनी विदेशी मुद्रा उनको सरकार देती है उससे कहीं अधिक वह खर्च करते हैं ? क्या सरकार ने इसकी जांच की है ?

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : जी नहीं । हमें इस के बारे में कोई जानकारी नहीं है कि कुछ उद्योगपति विदेशों में बड़ी शान से रहते हैं तथा जितनी विदेशी मुद्रा उनको दी जाती है उससे अधिक वह खर्च करते हैं । रिजर्व बैंक उनको उदारता से धन देता है ।

श्री दाजी : "उदारता" से आपका क्या तात्पर्य है ?

Shri Bibhuti Mishra : May I know whether Government obtain list of those articles from the industrialist who go abroad for the advertisement purposes. And whether they supply all the accounts in regard to exports of that article to those countries before their visit and after their visit ?

Shri B. R. Bhagat : We make all the investigation and assessment before giving them foreign exchange. But our industrialist go to foreign countries to fulfill some agreements and to increase their business.

कर निर्धारण

\+

*791. { **श्रीमती सावित्री निगम :**
श्री यशपाल सिंह : }

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कर-निर्धारण के मामले बहुत समय तक अनिश्चित पड़े रहते हैं और विवरणों के प्रस्तुत किये जाने के बाद शीघ्र उन पर विचार आरम्भ नहीं किया जाता है; और

(ख) यदि हां, तो कर-निर्धारण के तरीकों को सरल बनाने तथा शीघ्र निर्धारण करने के लिए सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री रामेश्वर साहू) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्रीमती सावित्री निगम : क्या यह सच नहीं है कि कई मामलों में जिनमें बहुत पहले निर्धारण किया गया है कई महीनों तक धन वापस नहीं किया गया ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : मैं एक आम आरोप स्वीकार नहीं कर सकता। यदि माननीय सदस्य कोई उदाहरण दें तो मैं उसकी जांच करूंगा ।

श्रीमती सावित्री निगम : ऐसे कितने मामलों में माननीय मंत्री ने जांच की है। दिल्ली में अब तक कितने मामले लम्बित हैं ?

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : मैं नहीं जानता कि माननीय सदस्य किस मामले का उल्लेख कर रहे हैं। वह धन वापस लौटाने के बारे में कह रही हैं अथवा बकाया धन के बारे में कह रही हैं ?

अध्यक्ष महोदय : क्या ऐसे मामले हैं जिनमें बहुत पहले हिसाब किताब दे दिए गये थे परन्तु वास्तविक निर्धारण नहीं किया गया था ?

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : यह एक आम बात है। जो आंकड़े मेरे पास हैं उनके अनुसार 1964–65 में 14,77,000 ऐसे मामले थे तथा इस समय 20,36,000 मामले हैं जो कुल 35 लाख हो जाते हैं। इनमें से 15 लाख निबटा दिये गये हैं जिनकी प्रतिशतता 44·5 आती है जो पहले के वर्षों से अच्छी हैं ।

Shri Yashpal Singh : May I know whether it has come to the notice of the Hon. Minister that courts are over burdened with work and there is hardly any time with them to dispose of cases. If so, whether Government propose to set up some other court exclusively for the work ?

Shri B. R. Bhagat : No decision has been taken on this as yet.

कोलम्बो योजना

\+

*793. { **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :**
श्री प्र० चं० बरुआ : }

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोलम्बो योजना के चालू होने से अब तक भारत ने इसके अन्तर्गत तकनीकी प्रशिक्षण की कितनी सहायता प्रदान की है ;

(ख) भारत ने किन विषयों में प्रशिक्षण की सुविधायें प्रदान की हैं; और

(ग) क्या भारत ने विभिन्न देशों को विभिन्न क्षेत्रों में विशेषज्ञों की सेवायें भी प्रदान की हैं ?

योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) भारत ने 31 दिसम्बर, 1964 तक, कोलम्बो योजना के अधीन, सदस्य देशों द्वारा नामज़द 2783 व्यक्तियों के प्रशिक्षण की व्यवस्था की है ।

(ख) कृषि, सामुदायिक विकास, वन-विज्ञान, स्वास्थ्य, सांख्यिकी (स्टेटिस्टिक्स), और इंजीनियरिंग तथा प्रौद्योगिकी की विभिन्न शाखाओं जैसे क्षेत्रों में प्रशिक्षण की सुविधाओं की व्यवस्था की गई है ।

(ग) जी, हां ।

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : कोलम्बो प्लान की क्रियान्विति से हुए अनुभव के आधार पर क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार ने ऐसी कोई योजना बनाई है जिससे कोलम्बो प्लान का उपभोग करने की संभावनाओं की तथा जिन देशों के साथ सहयोग हुआ है उनके हितों का ध्यान रखने के बारे में कोई पता लगाया गया है ?

श्री ब० रा० भगत : इस प्लान का यही एक उद्देश्य है तथा प्रत्येक वर्ष जब सलाहकार समिति की बैठक होती है तब इन सभी बातों पर विचार किया जाता है ।

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : क्या चौथी पंच वर्षीय योजना में इस काम के लिए कोई धन-राशि आवंटित की गई है ?

श्री ब० रा० भगत : चौथी पंचवर्षीय योजना अभी आरंभ होनी है परन्तु प्रत्येक वर्ष हम इसके लिए उपबन्ध करते हैं ।

श्री प्र० चं० बरुआ : कोलम्बो योजना के अधीन तकनीकी प्रशिक्षण से किस देश को सब से अधिक लाभ हुआ है ?

श्री ब० रा० भगत : सबसे अधिक प्रशिक्षार्थी भारत में नेपाल से आये हैं । उनकी संख्या 1,741 है ।

श्रीमती सावित्री निगम : क्या कुछ तकनीशियनों तथा विशेषज्ञों को व्यावसायिक चिकित्सा, भौतिक चिकित्सा अथवा इसी प्रकार की विकलांग के बारे में शिक्षा का प्रशिक्षण दिया गया है ।

श्री ब० रा० भगत : मुझे इसके लिए पूर्व सूचना चाहिये ।

श्री सं० र० कृष्ण : क्या कोलम्बो प्लान के खेल कूद के सामान तथा खेल कूद सिखाने वालों का आना जाना भी शामिल है ?

श्री ब० रा० भगत : यह एक सुझाव है ।

Shri K. N. Tewari : What is the reaction of those countries who are helping under this plan and whether they are demanding some Rupees ?

Shri B. R. Bhagat : Their reaction is very encouraging.

नगरों में भूमि धारण की अधिकतम सीमा

*794. श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री युद्ध बीर सिंह :
श्री विद्या चरण शुक्ल :
श्री जगदेव सिंह सिद्धांती :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या सरकार द्वारा नियुक्त की गई अन्तर्राज्यीय समिति ने नगरों में भूमि-धारण के सम्बन्ध में अधिकतम सीमा निर्धारित करने का सुझाव दिया है ;

(ख) यदि हां, तो इस समिति की अन्य मुख्य सिफारिशें क्या हैं; और

(ग) सरकार ने उनमें से किन किन को स्वीकार कर लिया है ?

स्वास्थ्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पू० शं० नास्कर) : (क) सितम्बर, 1963 में नई दिल्ली में हुई स्थानीय स्वायत शासन की केन्द्रीय परिषद् की नवीं बैठक तथा नगर एवं ग्राम आयोजन के राज्य मंत्रियों के चौथे सम्मेलन की प्रेरणा पर स्वास्थ्य मंत्रालय ने जो नगर भूमि नीति समिति नियुक्त की थी उसने सिफारिश की है कि जहां तक नगरों में भूमि रखने की अधिकतम सीमा निर्धारित करने का विचार है सभी लोक प्राधिकारी आवास के लिये भूमि के नये आवंटन करने में इसे कार्यान्वित करें।

(ख) और (ग) एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 4158/65]**

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : भारत के बड़े नगरों में गन्दी बस्तियों की संख्या बढ़ जाने के आधार पर, इससे मालूम होता है कि बेकार लोग नगरीय क्षेत्रों से ग्रामीण क्षेत्रों में आ रहे हैं ; क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार ने उन लोगों को और रोज़गार दिलाने के बारे में विचार किया है जो रोजगार की तलाश में नगरों में आ रहे हैं ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : प्रश्न नगरीय भूमि नीति के बारे में है। यह बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है।

श्री हरि विष्णु कामत : स्वास्थ्य मंत्रालय का इससे क्या सम्बन्ध है। इस मंत्रालय पर इसका भार क्यों ?

डा० सुशीला नायर : माननीय सदस्य की जानकारी के लिए बताना चाहती हूं कि स्वास्थ्य मंत्रालय का सम्बन्ध नगर तथा देश आयोजन से भी है तथा नगरीय भूमि नीति इसी के अन्तर्गत आती है ?

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : मैं दोबारा अपना प्रश्न दोहराती हूं कि . . .

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न भूल से सम्बन्धित नहीं है। इसलिये मैं उसकी अनुमति नहीं देता हूं।

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : बहुत अच्छा मैं दूसरा प्रश्न पूछता हूं। सिफारिशों में बहुत से सुझाव दिए गए हैं। क्या मैं जान सकता हूं कि इन विकास कार्यों के लिए क्या पर्याप्त धनराशि उपलब्ध की गई है ?

डा० शुशीला नायर : उद्देश्य भूमि के विधान के लिए एक प्रत्यावर्ती निधि बनाने का है तथा यदि समिति की सिफारिशों के अनुसार भूमि का अच्छी तरह से उपयोग किया गया तो स्वयंमेव विकास होने लगेगा। इस विकास कार्य में अन्य विभिन्न कार्यक्रमों के अधीन उपबन्धित धन को इन कार्यक्रमों में लगाया जा सकता है।

Shri Tulshi Das Jadhav : May I know what is the ceiling limit fixed by the Government in regard to this urban and holding ?

Dr. Sushila Nayar : We have not fixed any ceilings.

श्री लीलाधर करवी : क्या सरकार ने इस समिति की सिफारिशें स्वीकार कर ली हैं। इन सिफारिशों की स्थानीय स्व-शासन की केन्द्रीय परिषद् तथा नगर आयोजन राज्य मंत्रियों के संयुक्त सम्मेलन में प्रशंसा की गई है ?

डा० सुशीला नायर : प्रतिवेदन भारत सरकार तथा राज्य सरकारों को सम्मेलन ने भेज दिया है तथा हम उनकी टिप्पणियों की प्रतीक्षा कर रहे हैं।

पुनर्वास मंत्री श्री यागी : मेरे माननीय साथी डा० रामसुभग सिंह विरोधी दल की बैंचों पर बैठे हैं क्या आप उनकी रक्षा कीजिये ?

श्री हरि विष्णु कामत : मैं अपने माननीय मित्र को भी इधर आने के लिए आमंत्रित करता हूं।

Shri Gulshan : May I know whether the attention of the Government has been drawn towards this fact that those persons who are transferred from one slum to new colony, make that new colony also slum ?

Mr. Speaker : I have not allowed this question. Therefore how can I allow you to put that very question ?

राष्ट्र ऋण

*795. **श्री विभूति मिश्र :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संघ सरकार ने बिहार राज्य तथा अन्य राज्य सरकारों से बढ़ते हुए ऋण-भार को रोकने के लिए राष्ट्र-ऋण सम्बन्धी अपनी समूची सूची का पुनरीक्षण करने को कहा है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में विभिन्न राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है ?

योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

Shri Bibhuti Mishra : How the Government asked the State Governments about the amount of the loans to their credit and how they propose to repay them ?

Shri B. R. Bhagat : We know about the loan advanced by the Central Government but we do not know about the loan to the credit of the State Governments.

Mr. Speaker : How will they repay ?

Shri B. R. Bhagat : It depends on their economic development and their capacity.

Shri Bibhuti Mishra : Have the Government tried to ascertain the amount of the loan taken by each state and whether the Government have satisfied themselves that they have the means to repay those loans ?

Shri B. R. Bhagat : This investigation is done during every five-year-plan about the loans and central assistance to be given to the state governments.

श्री रामनाथन् चेट्टियार : क्या इस वर्ष भी केन्द्रीय सरकार का विचार राज्य सरकारों के लिए ऋण उपलब्ध करने का है अथवा राज्य सरकारों से कहा जायेगा कि वे स्वयं इसका इन्तजाम करें ?

श्री ब० रा० भगत : उस निर्णय को बदल दिया गया है अब राज्य सरकारें स्वयं ऋण लेंगी ।

श्री श्याम लाल सर्राफ : जब राज्य सरकारें जनता से ऋण लेती हैं तब क्या राज्य सरकारे कोई ऐसी नीति निर्धारित करती हैं जिसके अनुसार राज्य सरकारों को चलना पड़ता है ।

श्री ब० रा० भगत : केन्द्रीय और राज्य सरकारों द्वारा जो जनता से ऋण लिये जाते हैं उनके बारे में प्रत्येक वर्ष कार्यक्रम बनाया जाता है; और आय-व्ययक के अनुमानों के साथ इसे सदन में पेश कर दिया जाता है ।

Shri Sinhasan Singh : I want to know the amount of the loan taken by the states and the Central government ?

Shri B. R. Bhagat : A separate notice of question should be given about the Central loan ; the amount of loan raised by the state governments from the market in 1965 is Rs. 743·39 crores. In addition, the amount of the loan advanced by Central government to the state governments is Rs. 3405·23 crores.

Shri Raghunath Singh : What rate of interest is being paid by the state governments on these loans taken by them from the Central Government and other sources ?

Shri B. R. Bhagat : It varies. I want separate notice.

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : जब सब राज्य सरकारें घाटे का बजट प्रस्तुत कर रही हैं तो इन ऋणों को आरंभ करने का क्या अभिप्राय है ? क्या सरकार ने कभी इस बात पर भी विचार किया है कि राज्य सरकारें इस ऋण को किस प्रकार वापिस करेंगी ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : राज्यों ने अपने बजट में केन्द्र को ऋण वापिस करने की भी व्यवस्था की है ।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : राज्य सरकारों ने स्वयं ?

श्री ब० रा० भगत : जी हां ।

Shri Rameshwaranand : Which state government has taken the biggest loan from the Central Government and which state government has taken the smallest loan ?

श्री ब० रा० भगत : मेरे पास विवरण है । मैं इसे सभा-पटल पर रख सकता हूं ।

श्री रंगा : कृपया रख दीजिये ।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : I want to know the amount of loan taken by the various states.

Mr. Speaker : A statement for the purpose is being laid on the Table.

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : I will ask another question. Which are the States which have not repaid the loan ?

Mr. Speaker : This information is also given in the statement.

Shri Yashpal Singh : How would the loan be recovered from states like Uttar Pradesh which neither getting sufficient foodgrains nor loans and whose economic structure has become weak ?

Shri B.R. Bhagat : This question is about Bihar. The Finance Minister has told about the amount of loan to be returned by U.P. and other states.

Mr. Speaker : The hon. Member wants to know how will the U.P. Government repay the loan.

श्री ब० रा० भगत : यह निश्चय करना उत्तर प्रदेश सरकार का कार्य है ।

श्री दे० जी० नायक : क्या राज्य सरकारें अपना ऋण नियमित रूप से और कार्यक्रम के अनुसार वापिस कर रही हैं ।

श्री ब० रा० भगत : वे वापिस कर रही हैं ।

ऊंची चिकित्सा शिक्षा की संस्थायें

\+

*796. श्री दी० चं० शर्मा :
श्री ल० ना० भंजदेव :
श्रीमती मैमूना सुल्तान :
श्री रा० बरुआ :
श्री अ० व० राघवन :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री रा० स० तिदारे :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री श्री नारायण दास :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री कनकबै :

क्या स्वास्थ्य मंत्री 21 नवम्बर, 1964 के तारांकित प्रश्न संख्या 109 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में चिकित्सा की उच्च शिक्षा तथा अनुसन्धान के लिये चार और संस्थायें स्थापित करने के प्रस्ताव के सम्बन्ध में कोई प्रगति हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो उस का ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) :(क) और (ख). स्वर्गीय प्रधान मंत्री के नाम से पाण्डिचेरी में एक स्नातकोत्तर प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान खोलने का निश्चय किया गया है। और इसे जुलाई 1965 से चालू करने के कदम उठाये जा रहे हैं। महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश की सरकारों की स्वीकृति से हैदराबाद और बम्बई में भी ऐसे केन्द्र खोलने का निश्चय किया गया है। इन संस्थानों की भी अगले शिक्षा सत्र से चालू हो जाने की आशा है।

श्री दी० चं० शर्मा : हमारे डाक्टरों को एफ० आर० सी० एस 0 और अन्य डिग्रियां लेने के लिये विदेश जाना पड़ता है। क्या उन संस्थानों के खुलने से हमारे डाक्टरों को इन डिग्रियों के लिये ब्रिटेन और कनाडा तो नहीं जाना पड़ेगा।

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : हमारा भी यही विचार है कि चिकित्सा और सजरी में अधिकतम डाक्टरों को प्रशिक्षण देने की व्यवस्था करें जिससे एम० डी० और एम० एस० की डिग्री ले सकें। मैं यहां यह भी बता दूं कि हम एम० डी० और एम० एस० की डिग्रियों को उतना ही महत्व दे रहे हैं जितना कि विदेशी डिग्रियों को।

श्री दी० चं० शर्मा : माननीय मंत्री के वक्तव्य को देखते हुए, क्या मैं उनसे पूछ सकता हूं कि आल इंडिया इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साईन्स, जिसकी वह अध्यक्ष हैं, में कितने एम० डी० और एम० एस० डिग्री वालों को एफ० आर० सी० एस० और अन्य डिग्री धारियों से अधिक आदर दिया गया था ?

डा० सुशीला नायर : काफी लोगों को उनसे अच्छा माना गया था। वास्तव में, साधारणतया, एफ० आर० सी एस० रजिस्ट्रार के पद पर नियुक्त होते हैं। हमारे कई व्यक्ति देश भर में अध्यापन के पद पर नियुक्त हैं, आल इंडिया इंस्टीट्यूट समेत।

Shri Onkar Lal Berwa : What is the estimated expenditure that will be incurred on these institutes.

Dr. Sushila Nayar : The papers are still with the Ministry of Finance. I would only be able to give the figures when these papers will be received back from that ministry and clearance given.

श्री प्र० चं० बरुआ: पहले प्रश्न के उत्तर में माननीय मंत्री ने बताया कि कुछ विदेशी संस्थानों ने इन प्रस्तावित संस्थानों के साथ कर्मचारियों के आदान प्रदान के सम्बन्ध में सहयोग देने का प्रस्ताव किया है। क्या मैं जान सकता हूं कि किन देशों ने यह प्रस्ताव किया है और क्या उसे स्वीकार कर लिया गया है ?

डा० सुशीला नायर: कनाडा ने पांडिचेरी के साथ सहयोग करने का प्रस्ताव किया है। ब्रिटेन ने भी एक संस्था के साथ सहयोग देने का प्रस्ताव दिया है। इन सब के बारे में अभी बातचीत चल रही है।

श्री स० चं० सामन्त : इन संस्थानों में से क्या कोई देसी चिकित्सा पद्धति के बारे में भी है ; यदि नहीं, तो इसके लिये क्या और कोई संस्थाने स्थापित की जायेंगी ?

डा० सुशीला नायर : बनारस में पहले ही इस प्रकार की एक संस्था स्थापित की जा चुकी है और वह बहुत ही लाभदायक कार्य कर रही है । अन्य संस्थानों में भी औषधि अनुसंधान विभाग देसी चिकित्सा पद्धति की समस्याओं पर कार्य करेंगे जो उनको निर्देशित की जायेंगी ।

श्री बासप्पा : माननीय मंत्री हाल ही में बंगलौर गये थे । देवनगिरि का एक प्रतिनिधिमंडल उनसे मिला था और 20 लाख रुपये से अधिक दान देने का प्रस्ताव किया था । मुख्य मंत्री भी वहां उपस्थित थे । क्या माननीय मंत्री इस प्रकार के दान का गवेषणा संस्थान अथवा चिकित्सा शिक्षा के लिये उपयोग करने का विचार कर रहे हैं ?

डा० सुशीला नायर : यदि देवनगिरि के लोगों ने इस प्रकार का धन दिया तो हम राज्य सरकार को स्थानीय अस्पतालों में सुधार करने के लिये और विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण देने के लिये यह धन दे सकते हैं । जहां तक एक नये मेडिकल कालेज की स्थापना का सम्बन्ध है, हम इसका अनुमोदन नहीं करते क्योंकि वहां पर इसके लिये सुविधायें नहीं हैं और इसके साथ साथ, 50 लाख लोगों के लिये एक मेडिकल कालेज के हिसाब से मैसूर में पहले ही एक अधिक कालेज है ।

Shri Jagdev Singh Siddhanti : I want to know whether some arrangement is being made in these medical institutes to give higher education in Surgery according to the Ayurvedic system ?

Dr. Sushila Nayar : Surgery does not occupy a good place in Ayurvedic; we are studying the history of Surgery in Ayurvedic and can not do more than this.

Shri Jagdev Singh Siddhanti : Surgery has been mentioned in the das.

श्रीमती राम दुलारी सिन्हा : मानवता और विज्ञान में स्नातकोत्तर शिक्षण देने के लिये क्या जवाहरलाल नेहरू संस्था की स्थापना करने का विचार है, यदि हां, तो उसमें अब तक क्या प्रगति हुई है ?

डा० सुशीलानायर : मैं मानवता और विज्ञान के बारे में तो नहीं कह सकती, परन्तु जैसा कि मेरे सहयोगी ने बताया, पांडीचेरी में पंडित नेहरू के नाम पर एक चिकित्सा प्रशिक्षण संस्था की स्थापना करने का प्रस्ताव है ।

श्री मान सिंह पृ० पटेल : क्या सरकार का ध्यान महाराष्ट्र सरकार के लाइसेंसधारी चिकित्सकों का स्कूल आरम्भ करने के निर्णय की ओर आकर्षित किया गया है, यदि हां, तो सरकार की उसके प्रति क्या प्रतिक्रिया है ?

डा० सुशीला नायर : केन्द्रीय सरकार चिकित्सा परिषद् के परामर्श पर चलती है, और चिकित्सा परिषद् ने देश में फिर से लाइससेंधारी स्कूलों को आरम्भ करने का विरोध किया है । लाइसेंसधारियों की एशोशियेशन ने भी इसका विरोध किया है ।

श्री हरि विष्णु कामत : बम्बई में यह आरम्भ हो गया है ।

डा० सुशीला नायर : जी नहीं। जहां तक मुझे पता चला है महाराष्ट्र सरकार आयुर्वेद संस्थाओं में शिक्षा प्राप्त लड़के तथा लड़कियों जिनके पास डी० एम० पी० की डिग्रियां हैं और जो डाक्टर बनना चाहते हैं, के लिये एक छोटा-सा प्रशिक्षण देने का विचार कर रही है। इस प्रशिक्षण के उपरान्त उनको लाइसेंस लेने के लिए परीक्षा देनी पड़ेगी ।

Shri R. S. Tiwari : The hon. Minister told that four institutions have been opened. I want to know whether training for the Ayurvedic system is also provided, if so, then what is the minimum qualification for getting admission to this course.

Dr. Sushila Nayar : Experts in Ayurved do not want to mix it with medical science; they want to keep it aloof.

Shri Rameshwaranand : You, just now told the House that an Ayurvedic institution is there in Banaras and is doing good work ; if it is so, then why don't you open new institution on the same basis ? What is the difficulty ?

Dr. Sushila Nayar : We may open some new institution on the experience gained from Banaras.

श्री बूटासिंह : कई डाक्टर अपनी सेवा की शर्तों से सन्तुष्ट नहीं हैं, तो सरकार इन नई संस्थाओं से निकले हुये मेडिकल स्नातकों की सेवाशर्तों के लिये क्या कर रही है ?

डा० सुशीला नायर : यह प्रश्न डाक्टरों को देश में स्नातकोत्तर प्रशिक्षण देने के सम्बन्ध में है, जिससे कि उनको विदेश न जाना पड़े। सेवा की शर्तों का प्रश्न अलग है। इसे पृथक् रूप से लिया जा सकता है ।

श्री सं० रं० कृष्ण : क्या मैं जान सकता हूं कि आंध्र प्रदेश और अन्य राज्यों को इन संस्थाओं की स्थापना के लिये वित्तीय और अन्य सहायता दी गई है जिससे वे इन्हें समय पर स्थापित कर सकें और क्या इसके लिये विदेशी सहयोग की भी व्यवस्था की गई है ?

डा० सुशीला नायर : मुदालियर समिति की सिफारिशों के अनुसार भारत की सरकार ही इन संस्थाओं की स्थापना करेगी। इस समिति ने यह सिफारिश की थी कि उच्च शिक्षा बहुत मंहगी है और जनता में विश्वास उत्पन्न करने के लिये शिक्षा का स्तर कायम रहना चाहिये। इसलिये समिति ने यह सिफारिश की है कि भारत सरकार को ही इन संस्थाओं की स्थापना और उसका प्रबन्ध करना चाहिये ।

फिरोजाबाद में छिपा धन

*797. **श्री श० ना० चतुर्वेदी :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आयकर अधिकारियों ने फिरोजाबाद में छिपे धन का पता लगाने के लिये तलाशियां ली थीं ;

(ख) यदि हां, तो उनका क्या परिणाम निकला ; और

(ग) क्या सरकार को शिकायतें मिली हैं कि ये तलाशियां फिरोजाबाद में चार साल से नियुक्त एक आयकर अधिकारी के कहने पर तथा उसकी हिदायतों के अनुसार उन लोगों को आतंकित करने के लिये की गई थीं जिन पर सन्देह किया जाता था कि उन्होंने अधिकारी के विरुद्ध घूसखोरी तथा भ्रष्टाचार की शिकायतें की थीं ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री रामेश्वर साहू) : (क) जी, हां ।

(ख) भारी संख्या में लेखा पुस्तकें, नकदी, जवाहरात, मियादी जमा रसीदें और लगभग एक लाख रुपये के इनामी बांड पाये गये थे ।

(ग) सरकार को यह शिकायत मिली थी कि तलाशियां एक आयकर अधिकारी के कहने पर ली गयी थीं । जांच करने पर पता लगा है कि इन शिकायतों में कोई सचाई नहीं है ।

श्री श० ना० चतुर्वेदी : कितने स्थानों पर छापे मारे गये और नकदी के अतिरिक्त कितने मूल्य की चीजें पकड़ी गयी हैं ?

श्री रामेश्वर साहू : 8 स्थानों पर छापे मारे गये थे और लगभग 73 लाख रुपये पकड़े गये थे ।

श्री श० ना० चतुर्वेदी : क्या पहले किसी आयकर अधिकारी के घर की तलाशी भी ली गयी थी और तत्पश्चात् इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री रामेश्वर साहू : एक आयकर अधिकारी के घर की तलाशी ली गई थी और यह मामला अभी विचाराधीन है ।

वाणिज्यिक फसलों के लिये ऋण

*798. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि पुनर्वित्त निगम द्वारा बम्बई में आयोजित एक सम्मेलन में यह निर्णय किया गया था कि वाणिज्यिक फसलों, विशेषत: बागान की फसलों के लिये ऋण देने में उदारता से काम लिया जाये ;

(ख) यदि हां, तो ऋण देने में कहां तक तथा किस प्रकार उदारता से काम लिया जायेगा ; और

(ग) सरकार बैंकों तथा कृषि पुनर्वित्त निगम को इस प्रकार की उदार नीति अपनाने के लिये क्या प्रोत्साहन देगी ।

योजना मंत्री (श्री द० रा० भगत) : (क) जी, हां ।

(ख) कृषि पुनर्वित्त निगम ने, उचित मामलों में, उन ऋणों के सम्बन्ध में, जिनकी पुनर्व्यवस्था निगम द्वारा की जाती है, राज्य सरकारों द्वारा गारंटियां दिये जाने के के प्रश्न पर विचार करना स्वीकार कर लिया है । आवश्यकता होने पर, कर्मचारियों के लिए मकान बनाने या पुराने ऋणों को चुकाने के लिए भी धन की व्यवस्था की जायगी ।

(ग) इस समय यह अनुमान लगाना सम्भव नहीं है कि निगम द्वारा वाणिज्यिक बैंकों को दी जाने वाली सुविधाओं के परिणामस्वरूप वे बैंक बागान उद्योगों को कितनी सहायता दे सकेंगे ।

श्री प्र० चं० बरुआ : क्या यह सच है कि अनुसूचित बैंकों ने कृषि पुनर्वित्त निगम से जुलाई 1963 से जब से यह बैंक बना है अब तक कोई सहायता नहीं ली है और यदि हां, तो क्या अनुसूचित बैंक

इसमें दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं अथवा कोई अन्य कारण है, और इस संबंध में क्या कदम उठाये गये हैं कि ये अनुसूचित बैंक कृषि पुनर्वित्त निगम से ऋण लेने की ओर अधिक ध्यान दें ?

श्री ब० रा० भगत : वाणिज्य मंत्री ने चाय वित्त समिति द्वारा चाय वित्त निगम के बारे में की गई सिफारिशों के अनुसरण में उठाये गये कदमों की घोषणा हाल ही में की थी ।

श्री प्र० चं० बरुआ : कृषि पुनर्वित्त निगम द्वारा बाग़ानों को ऋण देने के सम्बन्ध में राज्य सरकारों से गारन्टी न मांगने के निर्णय के बावजूद भी बाग़ानों के लिये जुटाये जा रहे वित्त में कोई सुधार नहीं हुआ है, तो कृषि पुनर्वित्त निगम को ऐसी अनुमति क्यों नहीं है कि वह बागानों को सीधे ऋण दें ।

श्री ब० रा० भगत : यह एक सुझाव है जिस पर हम विचार करेंगे।

Shri K.N. Tiwary: Are the farmers of Maharashtra only benefited by this Refinance Corporation or whether it has also been established in other states like Bihar etc. and whether the farmers there, are also being benefited by it ; and if it has not been started there, when it would be established ?

Shri B. R. Bhagat: This Refinance Corporation is an all India body and it depends upon the State Governments to get its benefits by submitting their schemes promptly. If the Government of Maharashtra have taken assistance from it by submitting their schemes quickly the Government of Bihar should also take assistance from it by submitting their schemes quickly.

श्री विश्व नाथ राय : यह सुनिश्चित करने की कसौटी क्या है और फसल का क्या वास्तविक मूल्य होगा और क्या गन्ने और तिलहनों को भी इस श्रेणी में रखा गया है ।

श्री ब० रा० भगत : इसकी कसौटी की भली प्रकार से परिभाषा कर दी गई है । कुछ योजनायें जिनके लिये निगम से सहायता ली जा सकती है वह यह हैं: भूमि का कृष्यकरण, वितरण प्रणाली और फसल की महत्ता के अनुसार अन्य सुविधायें और कुछ विशेष फसलें जैसे कि सुपारी, नारियल, काजू और इलायची जिनका निर्यात होता है, और फिर बग़ीचे, अंगूर के बाग़ान और चाय, कहवा और रबड़ के बाग़ान जो निर्यात की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं । इनके अतिरिक्त कुछ अन्य चीज़ें भी हैं ।

श्री रंगा : माननीय सदस्य ने चीनी और तिलहनों के बारे में पूछा है परन्तु माननीय मंत्री ने कुछ अन्य वस्तुओं का उल्लेख किया है ।

श्री ब० रा० भगत : तिलहन स्वीकृत योजनाओं के अन्तर्गत नहीं हैं ।

श्री रंगा : माननीय सदस्य ने चीनी तथा तिलहनों के बारे में पूछा है ।

अध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री ने कहा है कि यह सूची में नहीं है ।

श्री ब० रा० भगत : अभी तक तो यह स्वीकृत योजनाओं में नहीं है । परन्तु यदि माननीय सदस्य सुझाव देंगे तो हम उस पर अवश्य विचार करेंगे ।

श्री मलाईछामी : क्या यह सच नहीं है कि पुनर्वित्त निगम इलायची उगाने वालों को ऐसे पौदों जिनको कीड़ा लगा हुआ है के स्थान पर दूसरे पौद लगाने के लिये ऋण देने के सम्बन्ध में पर्याप्त

सहायता नहीं कर रहा है ? क्या यह सरकार के ध्यान में बात आयी है ; और यदि हां, तो बाग लगाने वालों की पर्याप्त वित्त से सहायता करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

श्री ब० रा० भगत : यह तो योजनाओं पर निर्भर करता है । पुनर्वित्त निगम ने कुछ योजनाओं को स्वीकृति दी है और कई अन्य योजनायें उसके विचाराधीन हैं । यदि ऐसी कोई योजना पुनर्वित्त निगम को प्रस्तुत की गई है तो वह इस पर अवश्य विचार करेंगे ।

श्री प्रभातकार : इस अनुभव की दृष्टि से कि फसलों के आने के पश्चात् इनके मूल्य सामान्यतया कम होते हैं तथा इनको वे बिचौलिये जमा कर लेते हैं जो पुनर्वित्त निगम से लाभ उठाते हैं, क्या पुनर्वित्त निगम ने बिचौलियों को ऋण देने की बजाय केवल किसानों को ऋण देने के लिये कोई योजना बनाई है ?

श्री ब० रा० भगत : वास्तव में यह ऋण इन फसलों के विकास तथा उन्नति के लिये दिया जाता है । मैं नहीं समझता कि बिचौलिये इन फसलों के सम्बन्ध में बीच में आते हैं ।

श्री दाजी : श्रीमन्, हम इस प्रश्न का स्पष्ट उत्तर चाहते हैं कि क्या यह ऋण किसानों को दिया जायेगा अथवा बिचौलियों को दिया जायेगा ।

कुछ माननीय सदस्य : खड़े हुए ।

अध्यक्ष महोदय : शांति, शांति । प्रश्न यह है कि यह ऋण बिचौलियों को दिया जायेगा अथवा वास्तविक किसानों को दिया जायेगा ।

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : उद्देश्य तो यह है कि निगम को कृषि उत्पादकों की सहायता करनी चाहिये । परन्तु यह इस क्षेत्र में तब पदार्पण करता है जब अपेक्स कोआपरेटिव बैंकों अथवा सामान्य भू-बन्धक बैंकों जैसी विद्यमान संस्थायें सहायता देने में सहयोग नहीं दे पाती हैं । पुनर्वित्त निगम उनकी सहायता करता है । जिनकी सहायता उक्त संस्थायें नहीं कर सकतीं ।

श्री रंगा : क्या मैं यह समझूं कि सरकार तिलहनों तथा तम्बाकू के उत्पादकों को भी पुनर्वित्त निगम से ऐसी सहायता दिलवाने के लिये अवश्य प्रयत्न करेंगी, जो हमारे निर्यात व्यापार में बहुत अच्छा सहयोग देते हैं और यह भी सुनिश्चित करेगी कि यह निगम उत्पादकों की सहकारी समितियों तथा जिला सहकारी बैंकों की, जो इन फसलों के सम्बन्ध में ऋण देने के लिये इच्छुक हैं, सहायता करे ?

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : अभी तो वे फसलों की उन श्रेणियों के लिये ऋण देंगे जिनका पहले उल्लेख किया गया है । जैसा कि मैंने पहले विशेष रूप से बता दिया है कि उन्होंने उन चीज़ों को, जो केन्द्रीय भू-बन्धक बैंकों अथवा अपेक्स कोआपरेटिव बैंकों के क्षेत्र में आती हैं, अपने क्षेत्र में शामिल नहीं करेंगे क्योंकि हमें जिला सहकारी बैंकों के हितों को ध्यान में रखना है । परन्तु यदि इन फसलों के लिये वह सहायता नहीं देती है तो हम उन्हें एक सुझाव दे सकते हैं ।

श्री रंगा : उन दो फसलों के बारे में क्या है जिनका मैंने उल्लेख किया है ।

श्री ति० त० कृष्णमाचारी: अभी तो यह उनके क्षेत्राधिकार में नहीं है । यह कार्यवाही के लिये एक सुझाव है । मैं उन्हें जानकारी के लिये कहूंगा ।

श्री रंगा : धन्यवाद ।

Shri Bade : You have just stated that assistance is given to those crops which are exported, I, therefore, want to know as to why the Finance Corporation does not give assistance to the Co-operative Bank in respect of groundnuts and cotton ?

Shri B.R. Bhagat : I did not say like that. I said that these were the all items. These are exported also. But the suggsetion made by you would be looked into.

श्री **मणियंगाडन** : क्या सरकार को इसकी जानकारी है कि रबड़ बोर्ड ने रबड़ बागानों के विकास के लिये एक योजना प्रस्तुत की है, क्या इस योजना पर विचार कर लिया गया है और क्या पुनर्वित निगम द्वारा इसके लिये वित्त जुटाये जाने के बारे में निर्णय कर लिया गया है ?

श्री ति० त० कृष्णमाचारी: यदि यह योजना निगम के विचाराधीन है तो मुझे इसके लिये पूर्व सूचना चाहिये। परन्तु जहां तक रबड़ बोर्ड की योजनाओं का सम्बन्ध है, इनके लिये साधारण परिस्थितियों में वित्त जुटाने की एक योजना है । परन्तु यदि कोई अनिर्णीत मामला है तो हम इसके सम्बन्ध में जानकारी मंगायेंगे यदि वह पूर्व सूचना देंगे ।

जीवन बीमा एजेंट संघ

*799. **श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने जीवन बीमा एजेंट संघ की मांगों पर विचार कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ;

(ग) क्या उनकी एक मांग यह है कि बेनामी एजेन्टों को समाप्त किया जाये ; और

(घ) यदि हां, तो सरकार ने इस बारे में क्या निर्णय किया ?

योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) से (घ) भारतीय जीवन बीमा एजेण्ट संघ का एक सम्मेलन 30 सितम्बर, 1964 से 3 अक्टूबर 1964 तक बम्बई में हुआ था । सम्मेलन में एक मांग-पत्र स्वीकृत किया गया जिसमें अन्य मांगों के साथ बेनामी एंजेंसियों को समाप्त करने की भी एक मांग थी । इस विषय का सम्बन्ध मुख्यत: भारतीय जीवन बीमा निगम से होने के कारण वही इन मांगों पर विचार कर रहा है ।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : क्या सरकार को काफी समय से इस बात का पता नहीं है कि इन बेनामी एजेंटों के कारण ऊंचे स्तरों पर बड़ा भ्रष्टाचार होता है ? क्या सरकार ने इस बारे में विचार किया है और निगम को कोई निदेश दिया है ?

श्री ब० रा० भगत : यदि बेनामी एजेंसियों को पूर्ण रूप से रोकने के लिये नहीं तो उनको निरुत्साहित करने के लिये जीवन बीमा निगम ने निश्चय ही कुछ कदम उठाये थे। और हो सकता है कि इसके बावजद भी कुछ एजेंसियां मौजूद हों ।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : जो मांगें की गई हैं और जो मांगें निगम के विचाराधीन हैं, क्या सरकार को उनका पता है, क्या मांगों को सरकार के पास भेजा गया है अथवा नहीं, क्या सरकार को उनके बारे में अभ्यावेदन दिया गया है, क्योंकि निगम ने काफी समय से उनकी ओर ध्यान नहीं दिया है वे काफी समय से पड़ी हैं और कम अनुपात आदि द्वारा निगम के काम पर बुरा प्रभाव डालती हैं। इस मामले में सरकार का क्या रवैया है ?

श्री ब० रा० भगत : सरकार का इस समय इससे कोई सम्बन्ध नहीं है। जीवन बीमा निगम एक स्वायत्त शासी बोर्ड है और यह इस पर विचार कर रहा है। अतः सरकार बोर्ड पर अपनी मर्जी नहीं लाद सकती।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : क्या सरकार को उनकी सूचना दी गई थी। अथवा नहीं ?

श्री ब० रा० भगत : जैसा कि मैंने बताया बोर्ड इस पर विचार कर रहा है। मैं निश्चित रूप से नहीं जानता कि क्या ऐसी मांग मंत्रालय के पास आई थी, क्या उसे भेजा गया था अथवा नहीं। परन्तु बोर्ड इस पर विचार कर रहा है।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : एजेंटों की एक मांग यह थी कि उनको एजेंसी देने से पूर्व उचित प्रशिक्षण दिया जाना चाहिये। क्या सरकार अथवा निगम इस पर एकमत होने के बारे में विचार कर रहे हैं ?

श्री ब० रा० भगत : मैं इसके बारे में नहीं जानता। इसके लिये मुझे सूचना चाहिये।

श्री रंगा : श्रीमन्, माननीय मंत्री ने जो उत्तर दिया है, उससे प्रक्रिया और शिष्टता का प्रश्न उत्पन्न होता है। उन्होंने एक प्रश्न के उत्तर में कहा कि उन्होंने जीवन बीमा निगम से पूछताछ की थी और उन्होंने उन्हें बताया था कि वे इस विशिष्ट मामले पर विचार कर रहे हैं। इस मंत्रालय को प्रश्न की सूचना देने के बाद वह इतना भी नहीं जानते हैं कि क्या ऐसा अभ्यावेदन मंत्रालय को भेजा गया था। और क्या उनके मंत्रालय ने उस पर कोई विचार किया है अथवा नहीं। क्या हमारे साथ बर्ताव करने का यही तरीका होना चाहिये। क्या उनका यह कर्त्तव्य नहीं है कि ज्योंही यह प्रश्न उनके पास आया था वह इस बात का पता लगाते कि स्वयं उन्हें कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है और क्या उन्होंने इस मामले पर कोई विचार किया है, चाहे जीवन बीमा निगम से उन्हें कुछ भी उत्तर प्राप्त हुआ हो ? इस संबंध में उन्होंने क्या कार्यवाही की है ? यदि यह जानकारी भी नहीं दी जाती है तो हम क्या आशा कर सकते हैं ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : बात इस प्रकार है। मांगें ... **(अन्तर्बाधा)**। । श्रीमन्, निगम को पेश की गई कुछ मांगों के संबंध में, जिनमें सरकार को रुचि है, सरकार को दोषी ठहराना बहुत आसान है। 47 मांगें हैं और कुछ मांगें ऐसी हैं जिनके बारे में अधिकार वापस ले लिये गये हैं। स्वभावतः हमने मांगों की सूची के लिये कहा। निगम ऐसी मांगों पर विचार करेगा जो उचित हैं। वास्तव

में, कुछ तो बहुत ही फजूल सी हैं। और फिर 47 मांगें हैं । मैं बड़ी विनम्रता से निवेदन करता हूं कि सरकार के लिये इन 47 मांगों की जांच करना और उत्तर देना असंभव है हम केवल इतना ही कह सकते हैं कि निगम इन पर विचार कर रहा है । एक दो मांगें तो हैं नहीं, , उन में तो जीवन बीमा निगम की सारी बातें हैं।

श्री श्याम लाल सर्राफ मेरा एक प्रश्न प्रशिक्षित कर्मचारियों--विशेषत: प्रबन्ध में—के बारे में है । दूसरा प्रश्न बेनामी एजेंसियों के बारे में है । क्या सरकार इस मामले में शीघ्र कार्यवाही करेगी और यह देखेगी कि जांच की जाये ?

श्री ति० त० कृष्णमाचारी: इस मामले में माननीय सदस्य की बात निगम तक पहुंचा दी जायेगी ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त: माननीय मंत्री को निश्चय ही इसकी जानकारी है कि जीवन बीमा निगम के बढ़ते हुए व्यापार के लिये ये एजेंट मुख्य रूप से जिम्मेदार हैं। क्या वह यह जानते हैं कि कलकत्ता और बम्बई जैसे बड़े शहरों में इनमें से बहुत से एजेंटों को, जो सारा दिन जीवन बीमा निगम के लिये काम करते हैं, कई महीनों तक कमीशन का पैसा भी नहीं दिया जाता है और उनके लिये अपने परिवार को पालना असंभव हो गया है ; यदि हां, तो, क्या उनको कमीशन का पैसा तुरन्त देने के लिये कोई कार्यवाही की जायेगी ?

श्री ति० त० कृष्माचारी : यह शिकायत मैंने पहली बार सुनी है ।

Shri Tulshidas Jadhav : The Commission Agents who are doing field work are paid less than the employees working in the office. Further, there are more avenues of promotion for the later class. Have Government done anything to pay maximum to the Commission Agents and provide facilities to them ?

Shri B.R. Bhagat : They work on the Commission basis. The Commission is paid on the quantum of business, and there are different ways to settle that.

श्री स० चं० सामन्त : क्या यह सच नहीं है कि 1958-59 में संसद् की प्राक्कलन समिति ने इन बेनामी एजेंसियों को समाप्त करने की अपने प्रतिवेदन में सिफारिश दी थी ; यदि हां, तो सरकार ने इस मामले में क्या किया है ?

श्री ब० रा० भगत : जीवन बीमा निगम ने हिदायतें जारी की थीं कि अधिकारियों के संबंधियों को ऐसा नहीं करने दिया जायेगा । परन्तु यह देखने के लिए, कि क्या एसी बनामी एजेंसियां विद्यमान हैं और छिप कर काम कर रही हैं, सतर्कता बरतने की आवश्यकता है । जीवन बीमा निगम इस संबंध में सतर्क होने जा रहा है ।

श्री वारियर : क्या संघ के प्रतिनिधि जीवन बीमा निगम के अधिकारियों से मिले थे और इन मांगों पर चर्चा की थी ताकि कोई शीघ्र निर्णय किया जा सके ?

श्री ब० रा० भगत : उन्हें बोर्ड से मिलना होगा ।

अध्यक्ष महोदय : क्या वे बोर्ड से मिले हैं अथवा नहीं ?

श्री ब० रा० भगत : मैं यह नहीं जानता ।

अध्यापकों के लिए वेतन ढांचा

***800. श्री रामेश्वर टांटिया :** क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि योजना आयोग का विचार अध्यापकों के लिये एक वेतन ढांचा बनाने का है जिसका आयोग द्वारा अखिल भारतीय आधार पर अर्हताओं तथा अनुभव के अनुसार न्यूनतम तथा अधिकतम वेतनक्रम निर्धारित करने के लिये अध्ययन किया जायेगा ; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में कोई निर्णय किया गया है ?

योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) योजना आयोग का इस काम के लिये समिति गठन करने का कोई विचार नहीं है फिर भी राष्ट्रीय विकास परिषद् की समाज सेवाओं सम्बन्धी उपसमिति में 27 फरवरी, 1995 को इस प्रश्न पर विचार किया गया ।

(ख) समिति की नियुक्ति के प्रश्न पर शिक्षा मंत्रालय द्वारा विचार किया जाना है । जहां तक योजना आयोग की जानकारी है, इस सम्बन्ध में उक्त मंत्रालय द्वारा अभी कोई निर्णय नहीं किया गया है ।

श्री रामेश्वर टांटिया : समस्त भारत के माध्यमिक स्कूलों के अध्यापकों के वेतन-क्रमों के संबंध में शिक्षा मंत्रालय ने एक विवरण जारी किया है और इस में यह दिखाया गया है कि केरल में स्नातक अध्यापकों को 75 रु० प्रति मास वेतन मिलता है, जो कि एक मेहतर के वेतन से भी कम है । क्या सरकार अध्यापकों के वेतन को बढ़ाने के लिये कोई कार्यवाही करेगी ताकि यह कम से कम बराबर के पदों के वेतनों के स्तर तक आ जाय ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : क्या मैं कुछ कह सकता हूं ? मैं इस से पूर्णतया सहमत हूं कि अध्यापकों के वेतन की समस्या पर हमें सारे देश को सामने रख कर देखना चाहिये । हम राज्यवार इसका समाधान नहीं कर सकते । यदि हम एक राज्य में इसको तय करते हैं, तो अन्य राज्यों पर इसका प्रभाव पड़ेगा । चाहे वह वेतन समिति है चाहे वेतन आयोग है, समस्या वही है । हम ऐसा आश्वासन नहीं देना चाहते हैं जिसे हम पूरा नहीं कर सकते । शिक्षा राज्य का विषय है, मुख्यतः राज्यों की जिम्मेदारी है । परन्तु मैं इस से सहमत हूं कि हमें अपनी ज़िम्मेदारी से बचना नहीं चाहिये । इसलिये, चतुर्थ योजना में हम यह देखने का प्रयत्न कर रहे हैं कि पूरे भारत के आधार पर हम क्या कुछ कर सकते हैं ?

श्री रामेश्वर टांटिया : क्या यह सच है कि विभिन्न राज्यों में अध्यापकों के मूल वेतन और मंहगाई भत्ते में काफी अन्तर है ? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ? क्या उन पर विचार किया गया है ?

श्री मु० क० चागला : इस के कई कारण हैं । उदाहरण के रूप में आप उत्तर प्रदेश को ले लीजिये जहां कि अध्यापकों को बहुत कम वेतन दिया जाता है । कई ऐसे राज्य हैं जहां कि वेतन-क्रम तुलनात्मक अच्छे हैं। यह एक राज्य में दूसरे से भिन्न हैं, और स्थानीय हालत और राज्य के वित्तीय संसाधनों पर आधारित हैं ।

श्रीमती रेणुका राय : शिक्षा मंत्री समिति स्थापित करने के लिये योजना आयोग से कहने में क्यों हिचकिचा रहे हैं ? क्योंकि यदि, योजना आयोग इस प्रश्न की जांच करता है, तो यह बहुत संभव है कि जब यह राज्यों के आवंटन की समस्या पर चर्चा करेगी तो इसको भी ध्यान में रखेगा । योजना आयोग राज्यों से इस के लिये भी आग्रह करेगा कि अध्यापकों को वेतन देने के मामले में कुछ निम्नतम तम स्तरों का पालन किया जाये ।

श्री मु० क० चागला : सारे राज्य इस पर सहमत नहीं हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मैसूर, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल राज्यों को प्रस्तावित आयोग के स्थापित किये जाने के बारे में कोई आपत्ति नहीं है जबकि आन्ध्र प्रदेश, आसाम, बिहार, गुजरात, केरल और मद्रास ने प्रस्ताव का समर्थन नहीं किया है । इसलिये आयोग के स्थापित किये जाने के लिये राज्यों ने एक मत से मांग नहीं की है ।

डा० रानेन सेन : माध्यमिक स्कूलों के अध्यापकों द्वारा किये गये हाल के आन्दोलन को ध्यान में रखते हुए, जिस को कि जनता से समर्थन मिल रहा है, क्या सरकार यह भी आवश्यक समझती है अथवा क्या सरकार ने अन्तरिम सहायता देने के लिये कोई कदम उठाये हैं इस से पहले कि योजना आयोग अथवा अन्य समितियां अध्यापकों के वेतन-क्रमों के सुधार के लिये एक विस्तृत योजना के ब्योरों की जांच करे ?

श्री मु० क० चागला : हम इस पर विचार कर रहे हैं कि अगली पंचवर्षीय योजना के लिये अपने प्रस्तावों को अन्तिम रूप देने से अन्तरिम अवधि में कठिनाइयों को दूर करने के लिये हम क्या कुछ कर सकते हैं ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : जैसाकि माननीय मंत्री जानते हैं, बहुत आन्दोलन हुए हैं और अध्यापकों के बारे में सहानुभूति प्रकट की गई है और ये आन्दोलन इस स्पष्ट बात पर वापस लिये गये हैं कि चतुर्थ योजना के आरम्भ में उनके लिये कुछ किया जायेगा । वह विस्तृत योजना क्या है जिसे कि योजना आयोग और केन्द्रीय सरकार क्रियान्वित करने अथवा लागू करने पर विचार कर रही है ताकि चतुर्थ योजना में अध्यापकों की मांगों को कम से कम आंशिक रूप में पूरा किया जा सके ?

श्री मु० क० चागला : हमने अनेक योजनाओं पर विचार किया है, एक तो यह कि अध्यापकों के वेतन को योजना से बाहर रखा जाये । आज हम बराबर बराबर के अनुदान देते हैं : हम 50 प्रतिशत देते हैं ; परन्तु इससे काम नहीं चला है । आज भी हम 50 प्रतिशत देने के लिये तैयार हैं ; परन्तु राज्य कहते हैं ; "हमारे पास कोई साधन नहीं है ; हमें योजना के बाहर धन चाहिये ।" यदि योजना के बाहर एक राज्य को धन दे देते हैं तो अन्य राज्य कहेंगे, "हमें भी चाहिये ।" हमें अपने साधनों पर

विचार करना है ; परन्तु, जैसा कि मैंने बताया हम इस पर विचार कर रहे हैं। उदाहरणार्थ राज्य अपने सरकारी कर्मचारियों को प्रशासनिक व्यय के भाग के रूप में भुगतान करता है। मैं नहीं समझता कि राज्य अपने अध्यापकों के वेतनों की ओर उतना ध्यान क्यों नहीं देते जितना वह अपने सरकारी कर्मचारियों के वेतनों की ओर देते हैं। परन्तु उन्होंने ऐसा नहीं किया है। वे अध्यापकों की समस्या को प्रशासनों और सरकारी कर्मचारियों की समस्या से भिन्न समझते हैं। मेरी राय में यदि आप अपने सरकारी कर्मचारियों को अच्छा वेतन देते हैं, तो आपको अपने अध्यापकों को भी अच्छा वेतन देना चाहिये। परन्तु यह ज़िम्मेवारी मुख्यत: राज्यों की है।

डा० रानेन सेन : यहां पर केन्द्रीय सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिये।

श्री दी० चं० शर्मा : माननीय शिक्षा मंत्री के उत्तर से तो मैं यह समझ पाया हूं कि काफी राज्यों में अध्यापकों की दशा खराब है। भारत सरकार तमाशा देख रही है और कुछ कर नहीं सकती है क्योंकि यह राज्य का विषय है। क्या सरकार के सामने ऐसी कोई योजना है जो उसको उदासीनता और विवशता की हालत से वहां तक उठा दे जहां तक कि प्राथमिक स्तर से लेकर माध्यमिक स्तर तक भारत के अध्यापकों का सम्बन्ध है ?

श्री मु० क० चागला : हम उदासीनता की हालत में नहीं हैं। जैसा कि मैंने बताया वर्तमान पंचवर्षीय योजना में हमने 50 प्रतिशत सहायता का वायदा किया था और अनेक राज्यों ने वह सहायता ली है और अध्यापकों के वेतनों में वृद्धि की है। दुर्भाग्य से उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्य गम्भीर वित्तीय कठिनाइयों में हैं। ऐसा नहीं है कि केन्द्र उदासीन हो गया है अथवा अध्यापकों की समस्या में काफी रुचि नहीं ली है। मैं बारबार यह कहता रहा हूं कि हमें अपने अध्यापकों के लिये कुछ करना होगा।

Shri Jagdev Singh Siddhanti : May I know whether Government is considering a scheme to pay the teachers throughout the country on the basis of their qualifications, whether they are teaching in Primary or Middle Schools or in colleges ?

श्री मु० क० चागला : सिद्धान्त: मैं इससे सहमत हूं कि समान अर्हता वाले व्यक्तियों को समान ही राशि दी जानी चाहिये। परन्तु सिद्धांत बना लेना एक बात है और इसको लागू करने के लिये राज्यों को मानना दूसरी बात है।

श्री स० मो० बनर्जी। क्या यह सच है कि राज्य सरकारें अध्यापकों की सहायता करने में असमर्थ हैं क्योंकि योजना के बाहर उनको केन्द्र से कुछ भी नहीं दिया जा रहा है और कई कारणों में से यह भी एक कारण है कि कुछ भी क्यों नहीं किया जा रहा है। क्या सरकार को इससे जानकारी है कि उत्तर प्रदेश, बंगाल और बिहार में अध्यापकों ने अपने आन्दोलन को राज्य के शिक्षा मंत्री के स्पष्ट आश्वासन पर और केन्द्रीय शिक्षा मंत्री और प्रधान मंत्री के आश्वासन पर वापस लिया था कि उनके लिये कुछ किया जायेगा और यदि कुछ भी नहीं किया गया तो, क्या वह जानते हैं, फिर से एक अखिल भारतीय आन्दोलन होने वाला है। ऐसे संकट को रोकने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

श्री मु० क० चागला : मैं ने वित्त मंत्री को इस बात के लिये मना लिया है कि वे कुछ मामलों पर गौर करें जिन्हें कि राज्यों के विशेष मामलों के रूप में लिया जाये। सरकार की राय यह है कि

जिसमें मैं वित्त मंत्री और अपने आपको शामिल करता हूं, अध्यापकों के वेतन के बारे में हम पूर्ण जिम्मेवारी नहीं ले सकते जो कि केन्द्र के लिये एक असम्भव जिम्मेवारी होगी।

श्री स० मो० बनर्जी : उन्हें कुछ भी नहीं दिया जा रहा।

श्री मु० क० चागला : जहां कोई विशेष मामला होगा मैं निश्चय ही वित्त मंत्री को इसके लिए मनाऊंगा कि वह अध्यापकों की ओर सहानुभूति का दृष्टिकोण अपनायें।

Shrimati Laxmi Bai : The hon. Minister is very much sympathetic towards the women teachers. Do the Government propose to pay 5 or 10 per cent extra to the women teachers as they have to spend more on conveyance etc ?

महिला अध्यापकों को वाहन आदि पर खर्च करना पड़ता है। अतः जिस समय वेतन में वृद्धि की जाये, कम से कम 5 से 10 प्रतिशत महिला अध्यापकों को अधिक दिया जाए। मैं आशा करती हूं कि माननीय मंत्री उनके मामले पर साहानुभूति से विचार करेंगे।

श्री मु० क० चागला : मैंने अपनी सूची में महिला अध्यापकों को सदैव ही प्राथमिकता दी है, जैसे कि लड़कियों की शिक्षा को सदैव प्राथमिकता मिलती रही है मेरे अपने दिमाग में, क्य कि मैं समझ ता हूं कि जब हम लड़कियों को शिक्षा नहीं देंगे, हम राष्ट्र को शिक्षित नहीं बना सकते।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

बिजली की दरों में वृद्धि

*792. **श्री द्वा० ना० तिवारी** : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में उपभोक्ताओं को दी जाने वाली बिजली की दरों में और वृद्धि करने का निर्णय किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो कितनी वृद्धि की जा रही है तथा उसके क्या कारण हैं ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० क० ल० राव) : (क) तथा (ख). दिल्ली बिजली सम्भरण उपक्रम ने विविध श्रेणियों के अन्तर्गत बिजली की दरों में सुधार लाने के विचार से 1965–66 वर्ष के लिये टैरिफ का पुनरीक्षण किया है, एक विवरण, जिसमें वर्तमान टैरिफ, प्रथम अप्रैल, 1965 से पुनरीक्षित टैरिफ और उस पुनरीक्षण के कारण दिये गये है, सभा-पटल पर रखा जाता है। [पुस्तकालय में रखा गया देखिये संख्या एल० टी० 4159/65]

कर अपवंचन

*801. श्री हेमराज :
डा० प० मण्डल :
श्री गुलशन :
श्री प० ला० बारुपाल :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि झांसी के कुछ तेल मिलों तथा मुरादाबाद के कुछ धातू व्यापारियों द्वारा करों की चोरी के सम्बन्ध में कुछ समय पहले कुछ समाजसेवियों ने सरकार को सूचना दी थी ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी है ;

(ग) क्या इस सम्बन्ध में की गयी जांच के परिणामस्वरूप प्रत्यक्षत: कोई मामला सिद्ध हुआ है ; और

(घ) इन समवायों की संख्या क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री रामेश्वर साहू) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग). जांच-पड़तालें प्रगति पर हैं ।

(घ) इस समय पता नहीं लगाया जा सकता ।

शेख अब्दुल्ला को विदेशी मुद्रा

*802. श्रीमती राम दुलारी सिन्हा :
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री ब्रज बिहारी मेहरोत्रा :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हज यात्रा के लिये शेख अब्दुल्ला को कितनी विदेशी मुद्रा मंजूर की गई ;

(ख) उक्त राशि किस आधार पर मंजूर की गई ; और

(ग) ऐसी तीर्थ यात्रा के लिये प्रति-यात्री औसतन कितनी विदेशी मुद्रा दी जाती है ?

योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) हज यात्रा के लिये शेख अब्दुल्ला को 1000 रुपये के बराबर की विदेशी मुद्रा दी गयी थी ।

(ख) हज यात्रा के लिये इसी हिसाब से विदेशी मुद्रा दी जाती है ।

(ग) 1000 रुपये ।

जमना के पानी का दूषित होना

*803. **श्री हरि विष्णु कामत** : क्या **स्वास्थ्य मंत्री** 18 फरवरी, 1965 के तारांकित प्रश्न संख्या 10 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जमना के पानी के दूषित होने के कारणों की जांच करने के लिये नियुक्त की गयी समिति ने फरवरी, 1965 के सरकारी संकल्प के अनुसार अपना प्रतिवेदन 31 मार्च, 1965 को दे दिया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या प्रतिवेदन सभा-पटल पर रखा जायेगा ; और

(ग) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर नकारात्मक हो तो प्रतिवेदन के देने में देरी होने के क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) जी नहीं ।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) इसकी अवधि दिसम्बर, 1965 तक बढ़ाना आवश्यक समझा गया है ताकि समिति अपने निर्देश पदों में सम्मिलित विभिन्न प्रश्नों पर पूर्णतया विचार कर सके । तथापि आशा है इसकी पहली रिपोर्ट लगभग एक सप्ताह में प्राप्त हो जायेगी ।

पूर्व-निर्मित मकान

*804. **श्री यशपाल सिंह :**
श्री कपूर सिंह :
श्री धर्म लिंगम :
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार अगले दो वर्षों में पूर्व-निर्मित मकान बनाने का है ;

(ख) यदि हां, तो कितने मकान बनाये जायेंगे ;

(ग) क्या ये मकान केवल दिल्ली के लिये होंगे अथवा अन्य शहरों के लिये भी ; और

(घ) इसके लिये कितना आवंटन किया गया है ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री मेहर चन्द्र खन्ना) : (क) से (घ). प्रो० एम० एस० थाकर की अध्यक्षता में 1964 में इस मंत्रालय द्वारा स्थापित तकनीकी समिति ने अगले दो वर्षों में प्रयोगात्मक आधार पर कम से कम 2000 पूर्व-गठित मकानों के निर्माण की सिफारिश की थी । समिति की सिफारिश सरकार के द्वारा स्वीकार कर ली गयी है । केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए जनरल पूल में पूर्व-गठित मकानों को बनाने का प्रश्न इस समय विचाराधीन है । फिर भी दिल्ली डेवलपमेंट अथारटी ने निश्चय किया है कि हिन्दुस्तान हाउसिंग फैक्ट्री को दिल्ली में 4.48 करोड़ रुपये की लागत के 3000 मकानों

का निर्माण सौंप दिया जाय । इसके अतिरिक्त दिल्ली नगर निगम ने स्वीकार कर लिया है कि इस फैक्ट्री को गंदी बस्ती सफाई योजना के अंतर्गत 45·65 लाख रुपयों की लागत के 1000 मकानों का निर्माण कार्य दे दिया जाय ।

"पंचवर्षीय योजनाओं से शिक्षा"

*805. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :**
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त :

क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने "पंचवर्षीय योजनाओं से कुछ शिक्षा" पर योजना आयोग द्वारा तैयार किये गये नोट पर विचार कर लिया है ;

(ख) नोट में की गई टिप्पणियों से सरकार कहां तक सहमत है ; और

(ग) यदि हां, तो योजना लक्ष्यों तथा नीतियों के बीच भारी अन्तर कम करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) से (ग) राष्ट्रीय विकस परिषद में जो "पंचवर्षीय योजनाओं से कुछ शिक्षा" नोट प्रचारित किया गया था, उसमें पंचवर्षीय योजनाओं के कार्यान्वयन में जिन दिक्कतों का सामना करना पड़ा, उनके विश्लेषण के आधार पर श्री तिरलोक सिंह, सदस्य, योजना आयोग के सुझाव हैं । योजना आयोग में विचार-विनिमय के दौरान इन पर सामान्य रूप से विचार किया गया और चौथी पंचवर्षीय योजना की तैयारी के लिए जो कार्य हो रहा है, उसमें इनको ध्यान में रखा जाता है ।

वित्त मंत्री द्वारा राज्यों की यात्रा

*806. **श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले चार महीनों में उन्होंने किन-किन राज्यों की यात्रा की ; और

(ख) किन समस्याओं पर विचार-विमर्श हुआ तथा क्या निष्कर्ष निकले ?

योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) वित्त मंत्री दिसम्बर, 1964 से मार्च, 1965 तक की अवधि में महाराष्ट्र, बिहार और मद्रास राज्यों में गये ।

(ख) महाराष्ट्र में सामान्य विषयों पर बातचीत हुई ।

मद्रास में, सहायता सम्बन्धी उन उपायों के बारे में बाचतीत हुई, जो रामेश्वरम में तूफान (साइक्लोन) से हुई तबाही के कारण किये गये । राज्य सरकार को, मौजूदा नीति के अनुसार, वित्तीय सहायता देने का आश्वासन दिया गया और यह सुझाव भी दिया गया कि तूफान पीड़ित लोगों को काम देने के लिए राज्य सरकार सेतुसमुद्रम प्रायोजना के सम्बन्ध में अग्रिम कार्रवाई कर सकती है ।

बिहार में जिन मुख्य बातों पर चर्चा की गयी वे ये हैं : बरौनी क्षेत्र का औद्योगिक विकास; औद्योगिक क्षेत्रों का विकास; सीमेंट और कागज के कारखानों की स्थापना; एक कृषि-उद्योग निगम, एक कपड़ा निगम (टेक्सटाइल कारपोरेशन) और उपभोक्ता उद्योगों (कंज्यूमर इण्डस्ट्रीज) की स्थापना; पटना में गंगा पर एक पुल का निर्माण; गंडक और कोसी प्रायोजनाओं के काम में तेजी लाना और चौथी आयोजना का निर्माण । जो बातचीत हुई उसके आधार पर राज्य सरकार से ब्योरेवार प्रस्ताव भेजने के लिए कहा गया ।

उत्पादन शुल्क

*807. **श्री विद्याचरण शुक्ल :**
श्री उइके :
डा० चन्द्रभान सिंह :
श्री राम सहाय पांडेय :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अतिरिक्त उत्पादन शुल्क (विशेष महत्व के सामान) अधि-नियम, 1957 के अन्तर्गत 1957 में कपड़ा, चीनी तथा तम्बाकू पर लगाये गये अतिरिक्त उत्पादन शुल्कों की दरें प्राय: स्थिर रही हैं जबकि उक्त वस्तुओं पर मूल उत्पादन शुल्क की दरों में समय समय पर काफी वृद्धि की गई है ;

(ख) क्या यह सच है कि राज्य 1957 से कपड़ा, चीनी तथा तम्बाकू को छोड़ कर अन्य बस्तुओं पर बिक्री कर की दरों में वृद्धि करते रहे हैं, परन्तु उन्हें इन वस्तुओं से उन पर बढ़े हुए कर के रूप में अतिरिक्त राजस्व प्राप्त नहीं हो सका है ; और

(ग) क्या सरकार अतिरिक्त उत्पादन शुल्क की दरें निर्धारित होने के कारण राज्यों को हुई हानि की उचित रूप में पूर्ति करने के लिये कोई कदम उठाने पर विचार कर रही है ?

योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) कुछ मामलों में मूल उत्पादन शुल्कों में, कुछ मामलों में अतिरिक्त उत्पादन-शुल्कों में और कुछ मामलों में दोनों प्रकार के उत्पादन-शुल्कों में वृद्धियां हुई हैं । लेकिन कुछ मामलों में, अतिरिक्त उत्पादन-शुल्कों में हुई वृद्धियों की अपेक्षा मूल उत्पादन-शुल्कों में अधिक अनुपातिक वृद्धि हुई है ।

(ख) यद्यपि यह बात सामान्य रूप से ठीक है कि राज्य अपने बिक्री-करों की दरें बढ़ाते रहे हैं, लेकिन इन वस्तुओं पर बढ़ी दरों से कर लगाकर अतिरिक्त राजस्व प्राप्त करने का सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि इन चीजों पर बिक्री-कर के स्थान पर अतिरिक्त उत्पादन-शुल्क लगा दिया गया है ।

(ग) एक के बाद दूसरे जितने भी वित्त आयोग नियुक्त हुए उन सब की सिफारिशों में केन्द्र और राज्यों के बीच राजस्व के न्यायोचित वितरण की पक्की व्यवस्था किये जाने का यत्न किया गया है । इसलिए सारी स्थिति को देखते हुए, राज्यों को नुकसान होने का और उसे पूरा करने की आवश्यकता का सवाल ही पैदा नहीं होता ।

उपरि कृष्णा परियोजना

*808. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती** : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने मैसूर राज्य के उस अभ्यावेदन पर विचार कर लिया है जिसमें केन्द्र से उपरि कृष्णा परियोजना को केन्द्रीय योजना मानने की मांग की गई है ;

(ख) क्या सरकार का विचार इस परियोजना को नागार्जुनसागर तथा राजस्थान नहर योजनाओं के समान बनाने का है ; और

(ग) क्या सरकार ने वर्तमान अनुमान में से कृष्णा नदी के पानी के आवंटन में तुरन्त वृद्धि करने के बारे में निर्णय कर लिया है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) इस विषय पर विचार किया जा रहा है ।

(ख) केन्द्र नागार्जुनसागर तथा राजस्थान नहरों को शत प्रतिशत ऋण सहायता दे रहा है, परन्तु राज्य के लिये नियत उच्चतम राशि से अधिक नहीं । अपर कृष्णा नदी के लिए ऋण सहायता की विशिष्ट प्रार्थना पर, जब वह प्राप्त होगा, उचित रूप से विचार किया जायेगा ।

(ग) जी, नहीं ।

दिल्ली में झुग्गिपों का गिराया जाना

2060. **श्री राम हरख यादव** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजधानी में हाल में मारे गये छापे में यमना रोड, दिल्ली की 100 झूग्गियां गिरा दी गई थीं जिसके कारण लगभग 400 व्यक्ति बेघर हो गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो उक्त झुग्गियों के गिराये जाने के क्या कारण हैं ; और

(ग) इन कथित अनधिवासियों को पुनः बसाने के लिये यदि कोई व्यवस्था की गई है तो वह क्या है ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना) : (क) से (ग) पानी की पाईप-लाइन डालने के लिए 13 मार्च, 1965 को यमुना बाजार क्षेत्र में 144 अनधिकृत झोंपड़ियां गिरा दी गयी थीं । बहुत से झोंपड़ी निवासी वापस लौट आये और गिराई हुई संरचनाओं के स्थान पर गैर-कानूनी तौर पर बस गये । उन्हें वहां से 20 मार्च, 1965 को हटा दिया गया । गैर-कानूनी तौर पर बसने वाले सभी 144 परिवारों को झुग्गी झोंपड़ी हटाने की योजना के अन्तर्गत वैकल्पिक वास देने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था ।

बम्बई में निषिध सोना

2061. **श्री राम हरख यादव** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क प्राधिकारियों ने बम्बई में 21 मार्च, 1965 को 10 लाख रुपये के मूल्य का निषिद्ध सोना पकड़ा था ; और

(ख) यदि हां, तो इस पकड़ का ब्यौरा तथा परिणाम क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) और (ख) 22 मार्च, 1965 की सुबह को बम्बई में केन्द्रीय उत्पादन शुल्क पदाधिकारियों ने एक वाक्सहॉल कार को रोका और जूट के थैलों में लपेटी हुई चार जकटों में पैक किया हुआ विदेशी मार्का का 6,920 तोला सोना बरामद किया । पकड़े गये सोने का मूल्य लगभग 4,32,000 रुपये है । दो व्यक्ति गिरफ्तार किये गये थे । आगे जांच पड़तालें प्रगति पर हैं ।

पटेल अध्ययन दल

2062. **श्री राजदेव सिंह** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि निम्नकित बातों के बारे में उत्तर प्रदेश के चार पूर्वी जिलों के लिये पटेल अध्ययन दल की सिफारिशों पर क्या कार्यवाही की गई है :—

(एक) सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्रों में पथक पृथक भारी उद्योगों की स्थापना ;

(दो) कृषि ;

(तीन) परिवहन ; और

(चार) अन्य मद ?

योजना मंत्री (श्री ब० रा१ भगत) : एक विवरण सभा-पटल पर प्रस्तुत है । [पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०-4160/65] ।

चिकित्सा संस्थाओं को अनदान

2063. **श्री धर्मलिंगम** :
श्री सेझियान :
श्री मुतु गौंडर :
श्री रामभद्रन :

क्या **स्वास्थ्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि 1962-63, 1963-64 और 1964-65 में विभिन्न स्वेच्छिक चिकित्सा संस्थाओं को (एक) उनके द्वारा मांगे गये, (दो) राज्य सरकारों द्वारा सिफारिश किये गये और (तीन) सरकार द्वारा दिय गये, अनुदानों का राज्यवार ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : "क्षय रोग, कुष्ठ, कैन्सर तथा अन्य स्वयंसेवी चिकित्सा संस्थाओं को तदर्थ अनुदानों की योजना" के अधीन स्वयंसेवी चिकित्सा संस्थाओं को मंजूर किये गये अनुदानों का विवरण परिशिष्ट 1 में दिया गया है। उन प्रार्थनाओं के बारें में सूचना परिशिष्ट 11 में दी गई है [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 4161/65] जिन पर विभिन्न कारणों से किसी प्रकार की आर्थिक सहायता देना बन्द सम्भव नहीं हुआ है।

करों की वसूली

2064. **श्रीमती सावित्री निगम :**
श्री यशपाल सिंह :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि आयकर अधिनियम, 1961 के खंड 23 के बावजूद जिसमें उपबन्ध हैं कि किसी भी सम्पत्ति का वार्षिक मूल्य किराये के अनुसार होगा, आयकर प्राधिकारियों को भी कोई निश्चित सिद्धांत न होने के कारण व्यापक अधिकार दिये गये हैं कि वे कितना ही अधिक मूल्य निश्चित कर लें जिससे जनता को अनावश्यक परेशानी उठानी पड़ती है ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) और (ख) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 23 (1) में दिया गया है कि किसी भी सम्पत्ति का मूल्य उस धनराशि के बराबर नियत किया जायेगा जिसके लिए वह सम्पत्ति साल-साल भर के लिए उचित किराये पर देने के लिए प्रत्याशित हो सके। अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार सम्पत्ति से होने वाली आय का निर्धारण सैद्धांतिक आधार पर किया जाता है और यह आवश्यक नहीं कि किये गये व्ययों अथवा प्राप्त किये गये वास्तविक किराये के अनुसार किया जाय जो कम या अधिक हो सकता है।

वास्तविक व्यवहार में निर्धारित अधिकारी सम्पत्ति के वार्षिक मूल्य को निम्नलिखित तरीकों में से किसी एक तरीके से नियत करते हैं :

(1) सम्पत्ति के वार्षिक मूल्य को अपना कर जैसा कि स्थानीय करों को लगाने के अभिप्राय के लिए नगरपालिका-सत्ताओं द्वारा नियत किया गया हो ;

(2) प्राप्त हुए वास्तविक किराये के आंकड़े को अपना कर ;

(3) बाजार भावों के अनुसार समुचित किराये सम्बन्धी मूल्य के आंकड़ें का अनुमान लगा कर ।

कर निर्धारण करने वाले अधिकारियों को यह देखना होता है कि वार्षिक मूल्य किसी समुचित आंकड़ें पर नियत किया गया है। इस सम्बन्ध में सरकार को किसी ओर से कोई शिकायत भी नहीं मिली है।

दिल्ली में बिक्री-कर का अपवंचन

2065. **श्रीमती सावित्री निगम** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर-अपवंचन रोकने के लिये दिल्ली में लागू बिक्री-कर के उपबन्धों को निकट भविष्य में अधिक प्रभावकारी बनाया जायेगा ; और

(ख) यदि हां, तो कब और किस प्रकार ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) जी, हां।

(ख) दिल्ली के वर्तमान बिक्री-कर अधिनियम को एक नये स्वयं-पूर्ण विधान के द्वारा बदलने के लिए एक विधेयक बनाया जा रहा है और जितनी जल्दी यह तैयार होगा इसे लोक-सभा में पेश किया जायेगा ।

इन्दौर में कर अपवंचक

2066. **श्रीमती सावित्री निगम** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश के इन्दौर क्षेत्र में कर-अपवंचन करने वाले कितने व्यक्तियों का पता लगा है ; और

(ख) कितने नये कर-दाताओं का पंजीयन किया गया है और कितने पुराने करदाता पिछले छः महीनों में आय छिपाने के दोषी पाये गये हैं ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) 1-1-1964 से लेकर 31-12-1964 तक की अवधि में मध्य प्रदेश के इन्दौर क्षेत्र में 11,230 नये करदाताओं का पता लगा था ।

(ख) 1 जुलाई, 1964 से 31 दिसम्बर, 1964 तक की अवधि में सामान्य अनुक्रमणिका रजिस्टर (जनरल इंडेक्स रजिस्टर) में दर्ज किये किये नये कर-दाताओं की संख्या **9527**

उसी अवधि में आय छिपाने के कारण दोषी पाये गये पुराने कर दाताओं की संख्या **324**

Sterilisation under Family Planning

2067. **Shri Yashpal Singh :**
Shri Ramachandra Ulaka :
Shri Dhuleshwar Meena :

Will the Minister of **Health** be pleased to state :

(a) the number of men and women sterilized upto December, 1964 under the Family Planning Scheme ; and

(b) the expenditure incurred by Government in this behalf ?

Minister of Health (Dr. Sushila Nayar): (a) The number of sterilizations performed upto December, 1964 is given as under :—

Males	5,31,029
Females .	2,76,452
TOTAL . . .	8,07,481

(b) The expenditure incurred by Government on sterilizations is Rs. 2,18,00,039.

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र

2068. श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त :

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य सर्वेक्षण तथा आयोजन समिति का विचार सारे देश में प्रति खण्ड तीन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने का है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह लक्ष्य चौथी पंचवर्षीय योजना में पूरा हो जायेगा ; और

(ग) यदि यह लक्ष्य पूरा हो जाता है तो प्रति केन्द्र कितनी जन संख्या के लिये होगा ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) स्वास्थ्य सर्वेक्षण और योजना समिति ने यह सुझाव दिया था कि जो प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जायें वे जैसे कि नीचे दिया गया है, और समिति की सिफारिशों के अनुसार हों ताकि वे 40,000 तक जन संख्या की सेवा कर सकें :—

चिकित्सा अधिकारी .	2
जन स्वास्थ्य उपचारिकाएं	4
उपचारिका	1
धात्रियां .	4
प्रशिक्षित दाइयां	4
जन स्वास्थ्य निरीक्षक	2
स्वास्थ्य सहायक .	2
फार्मेसिस्ट .	1
क्लर्क	2
फिटर मिस्त्री	1
छोटे सेवक . .	15

जो प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पहले से खुले हैं उन्हें चरणवार उन्नयित किया जाये ताकि वे उपर्युक्त स्तर तक पहुंच जायें। मौजूदा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र 60,000 से 80,000 तक की जन संख्या के आधार पर चल रहे हैं जबकि भोर समिति ने प्रत्येक केन्द्र के लिए 20,000 से 40,000 तक जनसंख्या का सुझाव दिया है।

(ख) और (ग). समस्त जन संख्या वर्तमान स्वरूप के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों द्वारा यथा-शीघ्र चौथी योजना में अन्तर्हित हो चुकेगी। पुर्नगठित स्वरूप के अनुसार प्रत्येक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के अधीन उप-केन्द्र होंगे।

चौथी योजना काल में, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में कर्मचारियों की संख्या में निम्नाकुल वृद्धि करने का विचार है :

विवरण

वर्तमान मुख्य केन्द्र		चौथी योजना के लिये प्रस्तावित मुख्य केन्द्र	
चिकित्सा	1	चिकित्सा अधिकारी	2
सफाई निरीक्षक	1	वरिष्ठ सफाई निरीक्षक	1
जन स्वास्थ्य उपचारिका	1	स्वास्थ्य सहायक (एफ०पी०)	3
स्वास्थ्य वीक्षिका	1	जन स्वास्थ्य उपचारिका	2
		स्वास्थ्य वीक्षिकायें	
सहायक नर्स धात्रियां	1	कम्पाउण्डर	1
कम्पाउण्डर	1	उपचारिकायें	2
ड्राइवर	1	एक्स्टेण्शन एज्यूकेटर	1
सहायक स्टाफ		प्रयोगशाला तकनीसियन	1
जैसे भी आवश्यकता होगी		दन्त स्वास्थ्य विद्	1
		कम्पयूटर	1
		क्लर्क	1
		स्टोर-कीपर-सह-एकाउण्टेण्ट	1
		बेसिक स्वास्थ्य क्रमिक	1
		सहायक नर्स धात्रि	1
		सहायक सटाफ जसे भी आवश्यकता होगी।	

दिल्ली में बाढ़ सुरक्षा के निर्माण-कार्य

2069. **श्री द्वा० ना० तिवारी** : क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली प्रशासन ने राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम लिमिटेड और राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम लिमिटेड को दिल्ली में बाढ़ से सुरक्षा और अन्य आवश्यक सेवाओं के भारी रकम के अनेक निर्माण-कार्य सौंपे हैं

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक को कितनी परियोजनायें सौंपी गयी हैं और उन पर कितना व्यय होगा ; और

(ग) क्या इन निगमों को इस प्रकार के कार्यों का अनुभव है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) और (ख) राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम लिमिटेड को 5.56 लाख रुपये की कुल लागत के केवल दो निम्नलिखित कार्य सौंपे गये हैं जिनका निगम ने कार्यान्वित किया है :—

(1) नजफगढ़ नाले के टेल नियामक का निर्माण—5 लाख रुपये

(2) दिल्ली नजफगढ़ सड़क पर ककरोला में "हयूम-पाइप-कलवर्ट-कम-रेगुलेटर" का निर्माण—56 हजार रुपये ।

अभी तक दिल्ली प्रशासन ने राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम को ऐसा कोई कार्य नहीं सौंपा है ।

(ग) जी हां, जहां तक राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम का सम्बन्ध है । राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम के बारे में इस बात का प्रश्न ही नहीं उठता क्योंकि उन को कोई कार्य भी कार्यान्वियन के लिए नहीं सौंपा गया ।

हैदराबाद हाउस, नई दिल्ली

2070. **श्री हेडा** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार द्वारा नई दिल्ली में हैदराबाद हाउस खरीदने के प्रस्ताव की आजकल क्या स्थिति है ; और

(ख) मुख्य इमारत का किस प्रकार बेहतर उपयोग किया जायेगा ।

निर्माण और आवास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना) : (क) और (ख) : केन्द्रीय सरकार को दिल्ली में हैदराबाद हाउस बेचने के लिए आंध्र प्रदेश ने अभी तक सहमति नहीं दी है । लगभग दो महीने पहले वित्त मंत्री और निर्माण तथा आवास मंत्री ने आन्ध्र प्रदेश के मुख्य मंत्री से इस प्रश्न पर पुन : चर्चा की थी । उन्होंने इस मामले पर विचार करने का वायदा किया था लेकिन अभी तक कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है ।

निर्यात संवर्द्धन उद्योगों में विनियोजन

2071. **श्री सिद्धेश्वर प्रसाद** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आयात में बचत करने वाले उद्योगों में विनियोजित राशि के कुछ भाग का निर्यात संवर्द्धन उद्योगों में स्थानान्तरण करने की संभावना पर विचार किया है ;

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में क्या कार्यवाही करने का विचार है ; और

(ग) अर्थ-व्यवस्था पर इसका क्या प्रभाव पड़ने की सम्भावना है ?

योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) से (ग) : सभी अनिवार्य आवश्यकताओं के लिए अधिकतम विदेशी मुद्रा उपलब्ध करने के लिए, सरकार आयात में बचत करने वाले तथा निर्यात संवर्द्धन करने वाले, दोनों प्रकार के उद्योगों में विनियोजन समान रूप से महत्वपूर्ण समझती है । अत:

एक प्रकार के उद्योगों के विनियोजन के किसी भाग को दूसरे प्रकार के उद्योगों में लगाने का प्रश्न नहीं उठता ।

केन्द्रीय शुल्कों में राज्यों का हिस्सा

2072. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :**
श्री शिवमूर्ति स्वामी :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री रा० गि० दुबे :
श्रीमती मैमूना सुल्तान :
श्रीमती रामदुलारी सिन्हा :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को केन्द्रीय शुल्कों के विभाज्य 'पूल' में राज्यों के हिस्से के बारे में गुजरात से एक नया सूत्र प्राप्त हुआ है !

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) संघ सरकार को इसका अन्तर्निहित आशय कहां तक स्वीकार्य है ; और

(घ) क्या राज्यों को इस सूत्र पर विचार करने तथा अपनी प्रतिक्रिया बताने के लिये कहा या है ;

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी): (क) इस तरह का कोई सूत्र (फार्मूला) प्राप्त नहीं हुआ है, हालांकि राज्य की वित्तीय स्थिति पर विचार करते समय राज्य सरकार ने वर्तमान व्यवस्था के बारे में अपने विचार प्रकट किये थे । यह विषय चौथे वित्त आयोग के कार्य-क्षेत्र के अन्तर्गत भी आता है, जिसकी नियुक्ति पहले ही की जा चुकी है ।

(ख) से (घ): ये सवाल पैदा ही नहीं होते ।

"थर्ड सेक्स"

2073. **महाराजकुमार विजय आनन्द** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्था, नई दिल्ली के चिकित्सा वैज्ञानिकों ने "थर्ड सेक्स" का अध्ययन आरम्भ कर दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले हैं ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर): (क) ऐसे मामलों को समझने के लिए अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान, में कुछ क्लीनिकी और प्रयोगात्मक परीक्षण किये गये हैं ।

समस्त जन्तुओं में, जिनमें मनुष्य भी सम्मिलित हैं, संतान का सेक्स निम्नलिखित दो बातों पर निर्भर करता है :—

(1) किस ढंग से मादा अंडे को नर बीज द्वारा उर्वर किया गया है । वह उर्वरित अण्डा जिसमें समान लिंग क्रोमोसोम्स (जो कि नर की आनुवंशिकता निर्धारित करने

वाले एकक होते हैं) मिलते हैं, मादा बन जाता है और जिसमें असमान लिंग क्रोमोसोम्स मिलते हैं वह नर बन जाता है। इस विज्ञान को साइटोजेनिटिक्स कहते हैं ।

(2) शरीर में टैस्टीज़, गर्भाशय, थाइराड, पिच्यूटरी एड्रनल आदि जैसी कितनी ही न्यासर्गीय ग्रन्थियां होती हैं जिनसे निकला पदार्थ छोटे बच्चे में नर अथवा मादे के गुणों के विकास का विनियमन करता है। इसी प्रभाव के कारण नर के शरीर के विभिन्न अंगों पर बाल उग आते हैं और उसकी दाढ़ी भी आ जाती है जबकि मादा के स्तन बढ़ते हैं वह बच्चे उत्पन्न कर सकती है और उनका पोषण कर सकती है ।

उपयुक्त स्वाभाविक प्रक्रिया कभी कभी गलत भी हो जाती है जिससे ऐसे बच्चे उत्पन्न हो जाते हैं जिनमें मिश्रित सैक्स के लक्षण पाये जाते हैं। उदाहरणार्थ नर के स्तन बढ़ सकते हैं (गायनेकोमेसिसया) और स्त्री के दाढ़ी उग सकती है। ये इन्टर सैक्स के उदाहरण हैं। थर्ड सैक्स से माननीय सदस्य का अभिप्राय शायद यही है। न्यासर्गकों के प्रभाव और साइटोजैनिक्स का अध्ययन "इन्टरसैक्स" अथवा "थर्ड सैक्स" के ऐसे मामलों को समझने की दिशा में एक प्रयास है।

(ख) अभी तक इस विषय में न तो कोई महत्वपूर्ण परिणाम निकले हैं और न ही कोई नई जानकारी प्राप्त हुई है। तथापि ऐसे क्लीनिकी निरीक्षणों के निर्वचनों का अध्ययन किया जा रहा है।

गंगा के पानी से बिजली बनाना

2074. **श्री स० चं० सामन्त :**
श्री प० ला० द्विवेदी :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री ब० कु० दास :

क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश सरकार ने केन्द्र की सहायता से अब तक गंगा के पानी से बिजली बनाने के लिये कितनी जल-विद्युत परियोजनाओं की जांच की है ; और

(ख) कितनी और परियोजनाओं की जांच करने का विचार है ?

सिंचाई और बिजली मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) तथा (ख) उत्तर प्रदेश राज्य के अधिकारी स्वयं ही गंगा बेसिन में सम्भावी पन-बिजली स्थानों की जांच कर रहे हैं। इस समय, उत्तर प्रदेश के अधिकारी दस भिन्न भिन्न स्थानों की जांच कर रहे हैं तथा उनका विचार है कि वे चतुर्थ योजना की अवधि में चार स्थानों की जांच करें।

दिल्ली के लिये तापीय विद्युत् संयंत्र

2075. **श्री हेडा :**
श्री नवल प्रभाकर :
श्री रामेश्वर टांटिया :

क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिल्ली में कितने और कितनी क्षमता के तापीय विद्युत-संयंत्र लगाये जा रहे हैं

(ख) भाखड़ा के साधनों का उपयोग न करने के क्या कारण हैं ; और

(ग) इन दोनों की लागत तुलना में कैसी है ?

सिंचाई और बिजली मंत्री (डा० कुल० राव) : (क) दिल्ली में निम्नलिखित तापीय संयंत्र स्थापित किये जा रहे हैं :—

(1) राजघाट बिजली घर में 15 मैगावाट का एक सैट ।

(2) इन्द्रप्रस्थ बिजली केन्द्र में 3 × 62.5 मगावाट के सैट ।

(ख) भाखड़ा से बिजली की उपलब्धता के अनुसार इसका उपयोग किया जा रहा है ।

(ग) 'सी' बिजली केन्द्र के वर्तमान 36 मैगाबाट यूनिट से उत्पन्न होने वाली बिजली की लागत लगभग 6 पैसे प्रति यूनिट है । योजना आयोग के द्वारा स्वीकृत परियोजना अनुमान, यमुना बराज की लागत में दिल्ली बिजली सम्भरण उपक्रम के भाग और कोयले की वर्तमान कीमत के आधार पर इन्द्रप्रस्थ केन्द्र विस्तार परियोजना से उत्पादित बिजली की प्रत्याशित लागत लगभग 4.80 पैसे प्रति यूनिट होगी । भाखड़ा प्रणाली से दिल्ली बिजली सम्भरण उपक्रम द्वारा ली गई बिजली की लागत 4.2 पैसे प्रति यूनिट है ।

कर्जन रोड, नई दिल्ली में निकास नल

2076. **श्री हेडा** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गृह-कार्य मंत्रालय के अधीनभूमि तथा विकास कार्यालय, नई दिल्ली ने कर्जन रोड तथा उन अन्य क्षेत्रों में, जिनका बृहत योजना में अधिक वाणिज्यिक उपयोग करने के लिये दर्जा ऊंचा किया गया है, निकास नल लगाने का व्यय उठाने का वचन दिया था ;

(ख) आश्वासन पूरा न करने के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या यह सच है कि इन क्षेत्रों से सुधार शुल्क की वसूली से भूमि तथा विकास संगठन को वास्तविक लाभ होगा; और

(घ) यदि हां, तो कुल राशि कितनी है ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना): (क) और (ख) ऐसा कोई वचन नहीं दिया गया है ।

(ग) और (घ) "रिहायशी" से "वाणिज्यिक" उपयोग के लिये भूमि के परिवर्तन की अनुमति देने के लिए भूमि और विकास संगठन अतिरिक्त शुल्क वसूल करेगा । यह शुल्क पट्टानामा की शर्तों के अनुसार वसूल किया जा सकता है, लेकिन इस अवस्था पर कुल राशि का बताना कठिन है ।

मुद्रा संचलन

2077. **श्री विभूति मिश्र** :
श्री कोल्ला वेंकैया :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत के रिजर्व बैंक द्वारा 16 फरवरी, 1965 तक कितनी रुपया-मुद्रा जारी की गई ;

(ख) रिज़र्व बैंक को उपरोक्त तारीख तक विभिन्न मूल्य-वर्गों के खराब नोटों के रूप में लौटाई गयी मुद्रा का कुल मूल्य कितना था ; और

(ग) इस समय काले बाजार में कितना रुपया-मुद्रा संचलन में है ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी): (क) रिजर्व बैंक ने 19 फरवरी, 1965 तक--16 फरवरी, 1965 के सबसे निकट की तारीख है--कुल 2564 करोड़ रुपये के नोट जारी किये ।

(ख) मांगी गयी सूचना इकट्ठी की जा रही है और वह प्राप्त होते ही सभा की मेज पर रख दी जायेगी ।

(ग) यह पता नहीं कि काले बाजार में रुपये की शक्ल में कुल कितनी मुद्रा चल रही है ।

Deputation Allowance to Employees

2078. Shri Praksah Vir Shastri: Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that handsome amount is being paid in the form of Deputation Allowance to such of the Central Government employees as are on deputation to some Govrnment and semi-government Departments/Offices.

(b) if so, whether Government have considered the desirability of ascertaining the number of such employees and the total amount that is being paid to them as deputation allowance at present ;

(c) whether Government have formulated any measures for putting a check on this increasing tendency ; and

(d) if so, the details thereof ?

The Minister of Finance (Shri T.T. Krishnamachari) (a) Suc Government servants are allowed to draw either the pay of the post to which deputed, or a deputation allowance not exceeding 20% of baic pay (upto a maximum of Rs. 300/-) subject to certain conditions.

(b) No, Sir.

(c) and (d) : No, Sir. The conditions laid down in this Ministry's O.M. No. F. 10(24)-E.III/60 dated 4th May, 1961 and O.M. of the same number dated 9th March, 1964, (copies enclosed) [Placed in **Library. See No.LT-4162/65]** are sufficiently restrictive and it is not considered necessary to lay down furthei restrictions. On the other hand, it is necessary to provide sufficient incentive in order to attract suitable officers for service in public sector undertaking etc.

परिवार नियोजन केन्द्र

2079. **श्री विभूति मिश्र** : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार विभिन्न राज्यों में लगभग तीन सौ ग्रामीण परिवार नियोजन केन्द्र खोलने का है ;

(ख) यदि हां, तो उन पर कुल कितना व्यय होगा ;

(ग) उनसे क्या लाभ होने की संभावना है ; और

(घ) लोगों की इस बारे में क्या अनुक्रिया है ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर): (क) 1965–66 में विभिन्न राज्यों के सामुदायिक विकास खण्डों में 750 ग्राम परिवार नियोजन एकक खोलने का प्रस्ताव है ।

(ख) इन पर अनुमानत: 161.50 लाख रुपये खर्च करने का विचार है ।

(ग) आशा है इससे ग्राम क्षेत्रों में परिवार नियोजन को अधिक गति मिलेगी ।

(घ) परिवार नियोजन के प्रति लोगों की अनुक्रिया उत्साहवर्द्धक है ।

लखनऊ में सोने का पकड़ा जाना

2080. **श्री विश्वनाथ पांडेय** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उप-अधीक्षक के नेतृत्व में सीमा-शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क अधिकारियों के एक दल ने 6 फरवरी, 1965 को लखनऊ रेलवे स्टेशन पर सहारनपुर जाने वाले एक यात्री से सोने के चार टुकड़े जिन पर विदेशी छाप लगी हुई थी प्राप्त किये ;

(ख) यदि हां, तो पकड़ गये सोने का कुल मूल्य क्या है ; और

(ग) इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) 6 फरवरी, 1965 को केन्द्रीय उत्पादन शुल्क पदाधिकारियों की एक पार्टी लखनऊ रेलवे स्टेशन पर शाहजहांपुर जाने वाले एक यात्री की तलाशी ली और उसके पास से 466.640 ग्राम वजनी विदेशी मार्का सोने के चार टुकड़े पकड़े ।

(ख) लगभग 2500/- रुपये ।

(ग) कथित व्यक्ति गिरफ्तार किया गया था और बाद में जमानत पर छोड़ दिया गया था । मामला विभागीय न्याय-निर्णयाधीन है ?

Raids on Business Premises in Varanasi

2081. Shri Vishwa Nath Pandey: Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Central Excise and Income-tax authorities raided the business premises of some jewellers at Varanasi (Uttar Pradesh) in the second week of February, 1965 and recovered gold ornaments, silver coins and silver bricks worth about Rs. 3·50 lakhs ; and

(b) if so, the action Government propose to take in the matter ?

The Minister of Finance (Shri T.T. Krishnamachari): (a) : The Central Excise and Income-tax authorities raided the business premises of some jewellers at Varanasi in the second week of February, 1965. Gold ornaments worth Rs. 2 lakhs were seized by the Central Excise Department while the Income-tax Department seized silver coins and silver bricks worth Rs. 3,65,748/-.

(b) Suitable action to assess the concealed income will be taken after the investigations are completed.

केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क से प्राप्त राजस्व

2082. **श्री रामचन्द्र उलाका :**
श्री धुलेश्वर मीना :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 1963–64 और 1964–65 में उड़ीसा तथा राजस्थान राज्यों में केन्द्रीय उत्पादन शुल्क से कितना राजस्व प्राप्त हुआ ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : अपेक्षित सूचना नीचे दी जाती है :—

वसूल किया गया राजस्व

(रु० हज़ारों में)

	1963–64		1964–65 (जनवरी 1995 तक)	
	उड़ीसा	राजस्थान	उड़ीसा	राजस्थान
कुल	13,33,58	3,75,03	12,65,23	2,64,26
वापसी	34,66	50	7,55	1,18
वास्तविक . . .	12,98,92	3,74,53	12,57,68	2,63,08

बड़ी और बीच के दर्जे की सिंचाई परियोजनायें

2083. **श्री रामचन्द्र उलाका :**
श्री धुलेश्वर मीना :
श्री रामचन्द्र मलिक :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीसरी पंचवर्षीय योजना अवधि में अब तक उड़ीसा में बड़ी और बीच के दर्जे की कितनी सिंचाई परियोजनायें चालू की गई हैं ;

(ख) उन पर कितनी धनराशि व्यय की गई है ;

(ग) इन परियोजनाओं से सिंचाई की क्षमता कितनी हो गई है ; और

(घ) उड़ीसा में उस अवधि में वास्तव में कितनी भूमि की सिंचाई हुई ?

सिंचाई और बिजली मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) से (घ) आवश्यक जानकारी का विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 4163/65]** ।

उड़ीसा में ग्रामीण विद्युतीकरण

2084. **श्री रामचन्द्र उलाका :**
श्री धुलेश्वर मीना :
श्री रामचन्द्र मलिक :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीसरी योजना अवधि में उड़ीसा को ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के लिये अब तक कितनी राशि केन्द्रीय सहायता के रूप में दी गई है ;

(ख) इस अवधि में उड़ीसा में इस दिशा में अब तक कितनी प्रगति हुई है ;

(ग) क्या उड़ीसा को खेती में बिजली के उपयोग को लोकप्रिय बनाने तथा इस अवधि में इस प्रयोजन के लिये बिजली के संभरण में आर्थिक सहायता देने में विशेष प्राथमिकता दी गई है ; और

(घ) यदि हां, तो उसका स्वरूप क्या है ?

सिंचाई और बिजली मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) भारत सरकार ने तृतीय पंच वर्षीय योजना के प्रथम चार वर्षों के दौरान उड़ीसा सरकार को ग्राम विद्युतन योजनाओं के लिए 71 लाख रुपये की सहायता ऋण के रूप में दी हैं ।

(ख) 1 अप्रैल, 1961 से 31 दिसम्बर, 1964 के बीच 272 ग्रामों (अर्थात् 10,000 और इससे कम जनसंख्या वाली बस्तियों) में बिजली लगाई गई ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

उड़ीसा में ग्राम आवास योजना

2085. **श्री रामचन्द्र उलाका :**
श्री धुलेश्वर मीना :

क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीसरी योजना अवधि में ग्राम आवास परियोजनाओं की योजना के अन्तर्गत उड़ीसा राज्य को कितनी राशि नियत की गई ; और

(ख) उक्त अवधि में अब तक कितनी राशि व्यय की गई है ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना) : (क) 50 लाख रुपये ।

(ख) योजना के प्रथम चार वर्षों में (अर्थात् 31 मार्च 1965 तक) राज्य सरकार द्वारा निकाली गयी राशि 16.92 लाख रुपये है ।

उड़ीसा को अनुदान

2086. { श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री घुलेश्वर मीना :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1964–65 में उड़ीसा सरकार को केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रयोजित योजनाओं के लिए कोई एक मुश्त राशि दी गई है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) यह सवाल पैदा ही नहीं होता ।

Rural Housing Schemes

2087. { **Shri Vishwa Nath Pandey :**
Shri B.N. Kureel :
Shri Yashpal Singh :
Shri Yudhvir Singh :
Shri Kapur Singh :

Will the Minister of **Works and Housing** be pleased to state :

(a) the expenditure incurred on rural housing schemes during the Third Five Year Plan (up till 31st January, 1965) ;

(b) the funds actually allotted to the Uttar Pradesh Government for the purpose ;

(c) whether the Uttar Pradesh Government have approached the Central Government for further allotment of funds for the rural housing schemes with a view to rehabilitate new immigrants ; and

(d) if so, the reaction of the Central Government thereto ?

The Minister of Works and Housing (Shri Mehr Chand Khanna) : (a) and (b) The total amount drawn by States and Union Territories under the villaeg Housing Projects Scheme during the first four years of the Third Plaln (i.e. upto the 31st March, 1965) is Rs. 286·11 lakhs. Out of this amount Rs. 17·50 lakhs were drawn by the Government of Uttar Pradesh whose total allocation for the Scheme in the Third Plan is Rs. 225 lakhs.

(c) No.

(d) Does not arise.

राज्यों के स्वास्थ्य रिकार्ड

2088. **श्री रामचन्द्र मलिक** : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार द्वारा एकत्र किये गये नवीन तम आंकड़ों के आधार पर रोगों से मुक्त होने तथा अच्छे स्वास्थ्य की दृष्टि से कौन कौन से राज्य सबसे आगे हैं ; और

(ख) इस सम्बन्ध में उड़ीसा राज्य की स्थिति कैसी है ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर): (क) और (ख) 1951—60 के दौरान जन्म के समय जीवित रहने की सम्भावना, अनुमानित दर और मृत्यु दर तथा 1960 की बाल-मृत्यु दर, जैसा कि रजिस्ट्रार जनरल आफ इण्डिया द्वारा अनुमानित किया गया है तथा 1961–62 में विभिन्न राज्यों में फैले कतिपय रोगों से हुई अभिलिखित मृत्यु की दरों के आंकड़ों के आधार पर भारत के अन्य राज्यों की तुलना में स्वास्थ्य सम्बन्धी स्थिति इस प्रकार है :—

(1) केरल

(2) पंजाब

(3) राजस्थान

(4) महाराष्ट्र

(5) पश्चिम बंगाल

(6) उड़ीसा

राजस्थान नहर

2089. **श्री प्र० चं० बरूआ** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अभी हाल में राजस्थान नहर परियोजना के राज्य योजना से निकालने का तथा उसके लिये धन निर्धारित करने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो चालू वर्ष में परियोजना के लिये कितना धन रखा गया है ;

(ग) क्या सरकार राष्ट्रीय महत्व की कुछ अन्य परियोजनाओं को अपने हाथ में लेने पर भी विचार कर रही है जो सम्बन्धित राज्यों द्वारा राज्य संसाधनों से कार्यान्वित किये जाने के लिये बहुत अधिक बड़ी समझी जा सकती है ; और

(घ) यदि हां, तो इस प्रकार की कौन कौन सी अन्य परियोजनाएं लेने का विचार है और क्या आसाम की बाढ़ नियंत्रण योजना भी उनमें से एक है ?

योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) इन प्रस्तावों पर सरकार सक्रिय रूप से विचार कर रही है, और विभिन्न ब्यौरे तैयार किये जा रहे हैं ।

(ख) केन्द्रीय बजट में एक करोड़ रुपये की संकेतिक व्यवस्था की जा रही है ।

(ग) और (घ) जी हां, किसी विशिष्ट सिंचाई या बाढ़-नियंत्रण योजनाओं के बारेमें अभी निर्णय नहीं किया गया है ।

कोयले की ढुलाई संबंधी विश्व बैंक दल

2090. **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री स० चं० सामन्त :
श्री म० ला० द्विवेदी :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयले की ढुलाई सम्बन्धी विश्व बैंक दल ने अपना अध्ययन कार्य पूरा कर लिया है ;

(ख) क्या उन्होंने कोई अधिक अच्छे तरीकों का सुझाव दिया है ; और

(ग) यदि हां, तो वे सुझाव क्या हैं ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी): (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) दल की रिपोर्ट में दिये गये सुझावों और सिफारिशों का सारांश संलग्न है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 4164/65]** । रिपोर्ट की प्रतियां संसद् पुस्तकालय में उपलब्ध हैं ।

कट्टमपल्ली परियोजना

2091. **श्री अ० क० गोपालन** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि :

(क) केरल में कट्टमपल्ली परियोजना पर काम कब आरम्भ हुआ ।

(ख) क्या अब काम रोक दिया गया है ;

(ग) यह कब पूरा होगा ; और

(घ) विलम्ब के क्या कारण हैं ?

सिंचाई और बिजली मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) परियोजना पर कार्य 1958 में आरम्भ किया गया था ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) राज्य सरकार ने निर्माण अनुसूची को अभी अन्तिम रूप देना है ।

(घ) उपलब्ध धन राशि को अधिकतर उन परियोजनाओं को पूर्ण करने के लिये उपयोग में लाया जा रहा है जो कि निर्माण की प्रौढ़ावस्था में हैं, ताकि उनसे जितनी जल्दी हो सके, लाभ मिलने आरम्भ हो जायें ।

मेसर्स मेक्लिओड एंड कम्पनी

2092. **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि विदेशी मुद्रा के कम मूल्य के बीजक बनाने सम्बन्धी मामले में मेक्लिओड एन्ड कम्पनी की अपील इस समय किस अवस्था में है ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : अपीलार्थियों ने सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 129 के अधीन जुर्माना जमा करने से सम्बन्धित आदेश का पालन किया है। अपील अब निजी सुनवाई के लिये विचाराधीन है।

इनामी बांड

2093. **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री यु० द० सिंह :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंचवर्षीय ब्याज रहित इनामी बांड, 1965 की पहली "सीरीज" की अवधि भुगतान किये जाने के लिये पूरी हो गई है ;

(ख) यदि हां, तो कब; और

(ग) क्या उनका मूल धन बांड धारियों को वापस कर दिया जायेगा और यदि हां, तो कब ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी): (क) और (ख) पंचवर्षीय ब्याज-रहित इनामी बाण्ड, 1965 की अवधि भुगतान किये जाने के लिए, 1 अप्रैल, 1965 को पूरी हो चुकी है।

(ग) जी हां, पहली अप्रैल, 1965 से लेकर आगे तक जब भी बाण्ड की रकम मांगी जायगी। निम्नांकित कार्यालयों में बाण्डों को लेकर उनकी रकम अदा कर दी जायगी :—

(1) बम्बई (फोर्ट और भायखला), कलकत्ता, नयी दिल्ली, मद्रास, बंगलौर और नागपुर स्थित, भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यालय ;

(2) भारतीय राज्य बैंक और उसके सहायक बैंकों की वे शाखाएं जो राजकोष का काम करती है ;

(3) मुख्य डाक-घर

(4) विभागीय उप-डाकघर ; और

(5) राजकोष और उप-राजकोष, जहां बैंक का काम नहीं होता।

उड़ीसा में पानी का जमाव

2094. **श्री धुलेश्वर मीना :**
श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1964–65 में उड़ीसा में पानी के जमाव से कुल कितने क्षेत्र पर प्रभाव पड़ा ; और

(ख) पानी के जमाव वाले क्षेत्रों के प्रभावशाली सुधार के लिये उक्त अवधि में उस राज्य को किस प्रकार की और कितनी केन्द्रीय सहायता दी गई ?

सिचाई और बिजली मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) कुछ क्षेत्रों में अधिक वर्षा और बाढ़ों के कारण केवल अस्थाई रूप से जल-जमाव हो जाता है और इसको आमतौर पर वर्तमान नालों को साफ कर देने से ही खत्म कर दिया जाता है। उड़ीसा सरकार ने सूचना दी है कि 1964 में इस प्रकार से प्रभावित हुआ क्षेत्र 4.28 लाख एकड़ था।

(ख) जल-जमाव क्षेत्रों के सुधार के लिए कोई पृथक वित्तीय सहायता नहीं दी जाती है। किन्तु उड़ीसा सरकार को बाढ़ नियंत्रण और जल-निकास स्कीमों के लिए 1964–65 में 45.00 लाख रुपये का ऋण देने की स्वीकृति दे दी गई थी।

Green Belt Around Qutab Minar

2095. Shri Sarjoo Pandey : Will the Minister of **Health** be pleased to state the progress made in the scheme for providing a green belt around Qutab Minar in Delhi.

Minister of Health (Dr. Sushila Nayar): The Delhi Master Plan provides for development of 2,000 acres of land around Qutab Minar for setting up a Botanical Garden. The area has been notified under Section 4 of the Land Acquisition Act, 1894.

फोर्ड प्रतिष्ठान द्वारा दिया गया कम्प्यूटर

2096. **श्री पें. वेंकटासुब्बया** :
श्री दी. चं. शर्मा :

क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चौथी पंचवर्षीय योजना को तैयार करने के सम्बन्ध में आर्थिक तथा सांख्यकीय सामग्री को उपयोगी बनाने तथा विश्लेषण करने के कार्य को तेजी से करने के लिये फोर्ड फाउंडेशन द्वारा दिया गया आई०बी०एम० इलैक्ट्रोनिक कम्प्यूटर काफी समय से बेकार पड़ा है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) योजना आयोग, कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन और अन्य एजेन्सियों के उपयोग के लिए फार्ड फाउंडेशन ने जो आई०बी०एम० एलैक्ट्रोनिक कम्प्यूटर और सहायक सामान दिया था वह दिसम्बर 1964 के अन्तिम सप्ताह और जनवरी 1965 के मध्य में प्राप्त हुआ। आशा है कि यूनिट का एक अनुभाग अप्रैल के महीने में काम करना शुरू कर देगा।

(ख) कम्प्यूटर यूनिट की स्थापना के लिए कई प्रक्रिया तथा नियम सम्बन्धी औपचारिकतायें पूरी करनी पड़ती हैं और कई प्रकार के निर्माण कार्य करने आवश्यक होते हैं। अक्रिम रूप से आवश्यक कार्रवाई की गई थी। परन्तु अपेक्षित स्थान न मिलने के कारण गम्भीर समस्या उत्पन्न हो गई और प्रारम्भिक कार्य की गति धीमी पड़ गई। कुछ समय

पूर्व, समस्या का समाधान कर लिया गया है और यूनिट की स्थापना का कार्य अच्छी प्रगति कर रहा है।

चीनी उद्योग को करों में छूट

2097. **श्री सिद्धेश्वर प्रसाद** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1962 में चीनी उद्योग को करों में छूट न देने के फलस्वरूप उत्पादन तथा मूल्य स्तर पर हुए प्रभावों का अध्ययन कर लिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या परिणाम निकला ; और

(ग) क्या सरकार ने इस प्रश्न पर पुनर्विचार किया है ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) जी हां।

(ख) चीनी उद्योग को करों में छूट न देने से चीनी के उत्पादन तथा फलस्वरूप उसके मूल्यों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा।

(ग) स्थिति पर पुनर्विचार किया जाता है और जब कभी उचित समझा जाता है तो करों में समुचित छूट दी जाती है।

ब्रिटेन द्वारा पुस्तकों का उपहार

2098. **श्री सिद्धेश्वर प्रसाद** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान बम्बई के 9 मार्च, 1965 के 'ओपीनियन' में प्रकाशित ब्रिटेन द्वारा पुस्तकों के उपहार के बारे में समाचार टिप्पणी की ओर आकर्षित किया गया है ;

(ख) क्या समूचे प्रश्न पर पुनर्विचार किया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) पुस्तकें, सीमा शुल्क से मुक्त होती हैं। लेकिन इस समय पुस्तकों के निःशुल्क उपहारों के लिए भी, यदि एक साथ भेजे गये माल का मूल्य 250 रुपये से अधिक हो, आयात लाइसेन्स अपेक्षित हैं। हाल ही में महिलाओं की परिषद्, संयुक्त राज्य द्वारा पुस्तकें भेजे जाने के मामले में, जिनकी कीमत 250 रुपये से अधिक थी, कोई आयात लाइसेन्स नहीं लिया गया था। पुस्तकों के उपहारों के विषय में वर्तमान आयात नियंत्रण विनियम में किसी संशोधन की आवश्यकता है अथवा नहीं यह प्रश्न विचाराधीन है।

Electricity Breakdown in Delhi

2099. **Shri Onkar Lal Berwa :**
Shri P. H. Bheel :

Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state:

(a) whether it has been decided to appoint a Committee to check the frequent breakdown of electricity in Delhi; and

(b) if so, the details thereof?

Minister of Irrigation and Power (Dr. K.L. Rao): (a) Yes.

(b). The composition and the terms of reference of the Committee are as under:—

Composition :

1.	Shri K.L. Vij, Member, CW&PC	*Chairman*
2.	Shri K.G.R. Iyer, Joint Secy. Ministry of I.&P . .	*Member*
3.	Shri H.R. Bhatia, Principal, Thapar Institute of Engg. Patiala.	Do.
4.	Shri K. Matthan, Killick Industries Ltd., Bombay .	Do.
5.	S. Shri N.S. Vasant, Secretary, Delhi Thermal Project Control Board.	*Secretary*

Terms of reference.

(*i*) to review the breakdowns in the supply of electricity in Delhi in 1964;

(*ii*) to suggest measures to avoid such breakdowns in future; and

(*iii*) to examine the adequacy of staff at present engaged in maintenance work and suggest improvements, if any.

The Committee will also examine the distribution systems of both the Delhi Electricity Supply Undertaking and the New Delhi Municipal Committee and is expected to submit its report by the beginning of July, 1965.

निगम करों में छूट

2100. **श्री रामेश्वर टांटिया** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मंडल संघ के नौ सदस्यों का एक प्रतिनिधि मंडल वित्त मंत्री से मिला और उनसे निगम करों में कुछ राहत देने के लिए प्रार्थना की ;

(ख) यदि हां, तो उन्होंने मुख्यत: किन बातों पर जोर दिया ; और

(ग) सरकार का विचार उनकी मांगों पर क्या कार्यवाही करने का है ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) से (ग) 21 मार्च, 1965 को एक प्रतिनिधि शिष्टमंडल वित्त मंत्री से मिला और उनसे बजट प्रस्तावों पर सामान्यत: बातचीत की उन्होंने बाद में एक नोट भेजने का वचन दिया था।

दिल्ली में कम तथा मध्यम आय वर्ग के मकान

2101. **श्री शिव चरण माथुर** :
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली प्रशासन के आवास विभाग ने यह पता लगाने के लिए कि उन व्यक्तियों द्वारा जिन्हें कम तथा मध्यम आय वर्ग आवास ऋण दिये गये थे कितने मकान किराये पर उठाये गये हैं नमूने के तौर पर एक सर्वेक्षण किया था ; और

(ख) यदि हां, तो उस सर्वेक्षण के क्या निष्कर्ष निकले और सरकार का उन व्यक्तियों के विरुद्ध जिन्होंने ऐसी योजनाओं के अन्तर्गत नियमों का उल्लंघन किया है क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना) : (क) जी हां।

(ख) सर्वेक्षण के निष्कर्ष इस प्रकार हैं :—

योजना का नाम	मकानों का सर्वेक्षण	मालिकों द्वारा पूरी तरह कब्जा किये हुए मकान	आंशिक रूप में किराये पर दिये गये मकान	पूरी तरह से किराये पर दिये गये मकान
मध्यम आय वर्ग आवास योजना	118	43	45	30
निम्न आय वर्ग आवास योजना	197	116	42	39

सर्वेक्षण से कोई नियमों का उल्लंघन प्रकाश में नहीं आया।

मद्रास में आवास योजना

2102. **श्री धर्मलिंगम्** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय द्वारा प्रायोजित विभिन्न आवास योजनाओं के सम्बन्ध में मद्रास राज्य में कोई प्रगति नहीं हुई है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या मद्रास राज्य में विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत बनाये जाने वाले मकानों के निर्माण को तेजी से पूरा करने के लिए विशेष कार्यवाही करने का कोई प्रस्ताव है ?

निर्माण, और आवास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना) : (क) और (ख) जी नहीं। तीसरी योजना के प्रथम चार वर्षों के दौरान मद्रास राज्य ने, आवास योजना के लिये कुल नियत किये गये 6.25 करोड़ रुपयों में से 3.37 करोड़ रुपयों का उपयोग किया हैं।

(ग) राज्य सरकारों पर, जिनमें मद्रास सरकार भी शामिल है, यह बराबर दबाव डाला जा रहा है कि उन्हें अपनी वार्षिक योजना में आवास योजनाओं के लिए अधिक निधियों की व्यवस्था करनी चाहिए। यह मामला योजना आयोग में भी ले जाया गया है।

नागपुर के श्री श्रीराम दुर्गा प्रसाद

2103. श्री यशपाल सिंह :
श्री युद्धवीर सिंह :
श्री कपूर सिंह :
श्री हरि विष्णु कामत :

क्या वित्त मंत्री नागपुर के श्री श्रीराम दुर्गा प्रसाद के बारे में 18 फरवरी, 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 12 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बीच सरकार ने जांच पूरी कर ली है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके कब तक पूरा होने की संभावना है ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) अभी नहीं, श्रीमान।

(ख) जांच-पड़तालों की शीघ्रातिशीघ्र पूरा करने के लिए प्रबल प्रयत्न किये जा रहे हैं परन्तु उनकी जटिल प्रकृति को देखते हुए उनको पूरा होने में अभी कुछ और महीने लगेंगे।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO A MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

(1) श्री फ़िजो की चीन की प्रस्तावित यात्रा के समाचार

अध्यक्ष महोदय : अब हम ध्यान दिलाने वाली सूचना को लेंगे। श्री हुकम चन्द कछवाय ।

Shri Rameshwaranand (Karnal) : Mr. Speaker, Sir, I may kindly be permitted to ask a question on Question No. 800. I have been trying for it for a very long time.

Mr. Speaker : Swamiji, it is not possible now as we have already gone ahead. Shri Hukam Chand Kachhavaiya.

Shri Hukam Chand Kachhavaiya (Dewas) : I call the attention of the Minister of External Affairs to the following matter of Urgent Public Importance and request that he may make a statement thereon:

> "Reported proposed visit of Mr. A. Z. Phizo to China and the Government of India's reaction thereto.

वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह भारतीय समाचारपत्रों की यह खबर 'डान' के लंदन-स्थित संवाददाता के समाचार पर आधारित है ।

श्री फ़िजो 1960 से लंदन में हैं। उन्होंने ब्रिटिश नागरिकता लेने की इच्छा प्रकट की और उन्हें वहां की नागरिकता दे दी गई है।

हमारी रिपोर्ट से यह पता चलता है कि नागालेंड की तथाकथित स्वतंत्रता के आंदोलन में हाल ही के महीनों में इंगलैंड में उन्हें सरकार की ओर से कोई प्रोत्साहन नहीं मिला है।

श्री फिज़ो को पीकिंग जाने की अनुमति दी जाएगी अथवा नहीं, इसका निर्णय करना ब्रिटिश सरकार का काम है, क्योंकि अब वह ब्रिटेन के राष्ट्रिक हैं।

हम यह नहीं चाहेंगे कि किसी ब्रिटिश राष्ट्रिक को ऐसी कार्यवाहियां करने के लिए यात्रा की सुविधा प्रदान की जाए जो कि हमारे देश के हित के विरुद्ध हों।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : May I know where Shri Phizo is these days and whether he even comes to Nagaland and secondly what is his reaction to these peace talks which are going on at present?

श्री स्वर्ण सिंह : वह नागालैंड नहीं आते हैं। वह इस समय इंग्लैंड में है जैसा मैं पहले ही बता चुका हूं। इस शान्ति वार्ता का उन पर क्या प्रभाव पड़ा है यह मेरी जानकारी में नहीं है।

Shri Yashpal Singh (Kairana) : May I know whether it is a fact that on account of Mr. Phizo's visit to China and Pakistan the peace talks would be delayed and secondly no problem of Nagaland would be solved because everything passes through Rev. Scott and Mr. Phizo does not like us to sit in peace? So, may I know what steps Government is going to take in the matter?

श्री स्वर्ण सिंह : नागालैंड में इस समय हो रही शान्ति वार्ता के बारे में यहां कई बार चर्चा हो चुकी है। इस लिये यह प्रश्न इस ध्यान दिलाने वाली सूचना से उत्पन्न नहीं होता।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : माननीय मंत्री ने सरकार की यह चिन्ता व्यक्त की है कि श्री फ़िज़ो को चीन जाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिये। चूंकि भारत भी राष्ण्ट्रडल का सदस्य है, इस लिये क्या भारत सरकार ब्रिटेन की सरकार से प्रार्थना करेगी कि ब्रिटिश सरकार श्री फ़िज़ों को चीन जाने के लिये पारपत्र न दें क्योंकि उससे स्थिति और बिगड़ जायेगी और भारत के लिये हानिकारक होगी और क्या ब्रिगेडियर सेन को जो नागालैंड के महधिवक्ता हैं, इंग्लैंड में इस लिये भेजा गया है कि वे श्री फ़िजों को इस सम्बन्ध में मिले?

श्री स्वर्ण सिंह : हमने लन्दन में अपने उच्चायुक्त को सूचित कर दिया है कि वह ब्रिटेन सरकार को हमारे विचारों से अवगत कर दें और वह निश्चय ही कर देंगे।

जहां तक श्री सेन को वहां भजने का सम्बन्ध है मेरे पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है परन्तु मैं इतना अवश्य कह सकता हूं कि उनका श्री फिज़ो से किसी भी प्रयोजन के लिये मिलने का प्रश्न ही नहीं उत्पन्न होता।

श्री दाजी : श्री फ़िजो की शत्रुतापूर्ण गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए जो उसके चीन जाने पर और भी बढ़ जायेगी, और इस बात को भी ध्यान में रखते हुए कि नागालैण्ड के सम्बन्ध में पहले ही बहुत भारत-विरोधी प्रचार हो रहा है—"डान" ने अपने प्रथम पृष्ठ पर प्रकाशित किया था कि भारत ने नागालण्ड में बमों का प्रयोग किया है; इस का उल्लेख सभा में भी किया गया था—

क्या सरकार ने ब्रिटेन की सरकार को यह बता दिया है कि फिजो हमारा अमान्य व्यक्ति है और यदि उसको चीन जाने के लिये कोई सुविधायें दी गई तो यह भारत के प्रति मित्रता की बात नहीं होगी।

श्री स्वर्ण सिंह : मैं माननीय मित्र से सहमत हूं कि बहुत गलत प्रचार किया जा रहा है। यह कहना बिल्कुल गलत है कि नापाम बमों का नागालैण्ड के किसी भी भाग में प्रयोग किया गया था मुझे प्रसन्नता हुई है कि माननीय सदस्य ने इसका उल्लेख किया है क्योंकि इससे अब मैं तथ्यों को व्यक्त कर सकूंगा। जैसे मैं पहले ही कह चुका हूं हमने लन्दन में अपने उच्चायुक्त को बता दिया है कि वह भारत की स्थिति ब्रिटेन सरकार के समक्ष बिल्कुल स्पष्ट कर दें कि यह बात हमारे हित के बिल्कुल विपरीत होगी यदि ब्रिटेन की सरकार किसी ब्रिटिश नागरिक को कोई ऐसी कार्रवाई करने दे जो हमारे हित के विपरीत हो।

Shri Bagri (Hissar) : China wants to make use of Phizo and Sheikh—who are anti-national elements of India—for anti-India propaganda. Does Government of India also consider to make use of such elements as Dalai Lama for anti-China propaganda ?

Mr. Speaker : What answer Government can give for this question? Even if Government wants to do so, it cannot say it. Mr. Bagri should think over it seriously.

Dr. Ram Manohar Lohia : (Furrukhabad) Mr. Speaker, Sir, on a point of order. I want to remind you that you yourself have told many a times that Calling-attention-notice may also serve as an adjournment motion to some extent. If an adjournment motion is not accepted, the weaknesses of Government can be axpressed through Calling-attention-notices. In this matter relating to China there are so many weaknesses of Government in its policy. When a question can be asked regarding Sheikh Abdullah and Shri Phizo in a Calling-attention-notice, a question ragarding China must also be allowed. If we cannot ask a policy matter in Calling-attention notice then what is the good of if? So, may I know what are Government's views regarding these two policies?

Mr. Speaker : There is no point of order in this question. The hon. Member should therefore resume his seat so that I may proceed further.

श्री प्र० चं० बरुआ (सिबसागर) : श्री फिज़ो ने ब्रिटेन की राष्ट्रीयता स्वीकार कर ली है। फिर क्या कारण है कि छिपे हुए नागा उन को नागा राष्ट्रीय परिषद् के अध्यक्ष बताते हैं ? वह ब्रिटेन जैसे देश में जो कि राष्ट्रमण्डल का नेता है, गतिविधियां करता रहा है, फिर क्या केवल राष्ट्रीयता बदलने के कारण ही उसके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती ?

श्री स्वर्ण सिंह : जैसा मैंने विवरण में बता दिया है ब्रिटेन की सरकार ने उन्हें इन गतिविधियो के सम्बन्ध में कोई प्रोत्साहन नहीं दिया है। माननीय मन्त्री ने कहा है कि वह लन्दन से ही इन गतिविधियों के बारे में निर्देश दे रहे थे परन्तु हमारी जानकारी तो यह कहती है कि नागा नेता अपने-आप ही सब कुछ कर रहे हैं। वे आपत्तिजनक कार्रवाइयां तो कर रहे हैं परन्तु हमें कोई ऐसा प्रमाण नहीं मिला है कि उन मैं श्री फिजो का हाथ हो।

श्रीमती सावित्री निगम (बांदा) : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि विरोधी नागाओं से जो बातचीत हो रही है उसकी सफलता शान्ति मिशन के प्रयत्नों पर निर्भर है और दूसरी ओर इस बात को

देखते हुए कि श्री फिजो ने साफ तौर से कह दिया है कि वह राष्ट्र विरोधी गतिविधियां करवा रहे हैं, मैं यह जानना चाहती हूं कि क्या सरकार का विचार इस नीति को बदलने का है या वह उसी नीति पर ही चलना चाहती है ?

श्री स्वर्ण सिंह : हमारा इस नीति को बदलने का कोई विचार नहीं है क्योंकि इस नीति को संसद् के दोनों सदनों के उन सदस्यों का समर्थन प्राप्त है जिन्होंने वहां का दौरा किया है।

Shri Madhu Limaye: Mr. Phizo has published a statement in which he has stated that China has recognised the right of self-determination of Kashmir and he has expressed his hope that China would also recognise Nagaland's right of self-determination. Thus China is making efforts to disintegrate the country. So, in this connection I want to know whether Government would take strong steps or would continue to follow the same "Napunsak" policy usual.

श्री स्वर्ण सिंह : उनके लिये इस नीति के सम्बन्ध में इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करना उचित नहीं है और मुझे ऐसे शब्दों के प्रयोग से भारी आपत्ति है।

अध्यक्ष महोदय : मैं भी सहमत हूं।

Shri Madhu Limaye: I am repeating again that your policy is totally "Napunsak".

Mr. Speaker: Order, order.

An hon. Member: It may be expunged.

Shri Madhu Limaye: Why to expunge it ? It is not unparliamentary. (*Interruption*).

Mr. Speaker: Order, order, would you please listen to the reply.

Shri Madhu Limaye: Yes, Sir, I will listen to.

Mr. Speaker: Then take your seat and listen to the reply.

सदस्य का निलम्बन

(श्री मधु लिमये)

SUSPENSION OF MEMBER

(Shri Madhu Limaye)

श्री रघुनाथ सिंह : (वाराणसी) : नपुंसक शब्द को निकाल दिया जाना चाहिये।

श्री खाडिलकर (खेड़) : क्या मैं एक प्रश्न पूछ सकता हूं ? क्या ऐसे शब्दों का प्रयोग करना उचित है ?

Shri Hukam Chand Kachhavaiya: (Dewas): Yes, it is proper, cent per cent proper.

Shri Madhu Limaye (Monghyr): You are the symbol of that "Napunsak" policy. You may sit down. (*Interruptions*). I am listening to the reply.

Mr. Speaker : I have to say every day that Shri Madhu Limaye always tries to obstruct the proceedings of the House. He obstructs the proceedings in such a way as we cannot proceed further. I would like the House to take some action against him. I name him and ask him to leave the House.

Shri Kishen Pattnayak (Sambalpur) : How it can be ?

Shri Madhu Limaye : I shall quit—I shall obey your order, but I want to say one thing.

Mr. Speaker: Now you please go out.

Shri Madhu Limaye : I was not interfering—It was Shri Khadilkar. I was listening to the reply.

Mr. Speaker : Now, you please go out.

Shri Kishen Pattnayak : Other Members also obstruct in this way but why this thing applies to us only !

Shri Madhu Limaye : You may turn us out. You have a majority so you can do that. You may continue to follow the "Napunsak" policy, go on.

[इसके पश्चात् श्री मधु लिमये सभा भवन से चले गये
Shri Madhu Limaye then left the House]

Mr. Speaker : You may also note further that the Member who is asked leave the House utters such words while going out as are improper. He utters these words in House which are insulting for the House. In case he refuses to go we can take action against him but when he is prepared to go.....

संसद्-कार्य मंत्री (श्री सत्यनारायण सिंह) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि श्री मधु लिमये को, जो इस सभा के सदस्य हैं तथा जिनको अध्यक्ष महोदय ने नाम लेकर पुकारा है, दो सप्ताह के लिये सभा की सेवा से निलम्बित कर दिया जाये ।"

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : I oppose it.

Shri Rameshwaranand (Karnal) : Mr. Speaker....

Mr. Speaker: Let a decision be taken on it first.

Shri Maurya (Aligarh) : You please first give a ruling on it whether the word "Napunsak" is parliamentary or not.

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति । मुझे प्रश्न प्रस्तुत करना है (**अन्तर्बाधायें**)

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : He should not be suspended for fifteen days. It is a long period.

Shri Maurya : I want to know whether this word is parliamentary or not.

Mr. Speaker: It is not a question of this word. You don't take this thing in the wrong direction. You take the things as they are before you.

Shri Rameshwaranand : One a point of order.

श्री रघुनाथ सिंह : प्रस्ताव सभा के सामने हैं ।

Mr. Speaker : Swamiji, I respect you very much. But, there should be an end to evry thing. I want to tell you again that you should not start speaking in this way. Whenever you choose you stand up and then start speaking and then you don't stop even at my repeated requests. I respect you but you should not proceed in such a way that it may not be possible for me to maintain discipline in the House.

Shri Rameshwaranand : Whenever you ask me I resume my seat. Even now I had occupied my seat. So, you should not charge me in this way I want to explain the word "Napunsak". It is not an unparliamentary word.

Mr. Speaker : Here it is not a question of the word "Napunsak".

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी (केन्द्रपाड़ा) : चूंकि माननीय सदस्य सभा की कार्यवाही में बाधा डाल रहे थे इसलिये आपने उसको सभा से बाहर जाने का आदेश दे दिया। उन्होंने आप की आज्ञा का पालन किया और बाहर चले गये । इसलिये मेरे विचार से इस मामले पर और कार्रवाई करने की आवश्यकता नहीं है । यदि वह पुनः इस प्रकार का व्यवहार करें तब सभा इस मामले पर विचार कर सकती है । इसलिये मैं सभी सदस्यों तथा संसद् कार्य मन्त्री से प्रार्थना करूंगा कि वे इस प्रस्ताव को वापिस ले ले ।

कुछ माननीय सदस्य : नहीं, नहीं ।

श्री ही० ना० मुकर्जी (कलकत्ता–मध्य) : मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जब आपने श्री मधु लिमये के बारे में निर्णय किया था तो हम में से किसी ने आपत्ति नहीं की थी । परन्तु मुझे हैरानी इस बात की हुई है कि संसद्-कार्य मन्त्री जो अध्यक्षपीठ की सेवा के लिये कभी नहीं आते हैं वह उस समय सहायता करने आते हैं जबकि उस की कोई आवश्यकता नहीं होती । आप ने माननीय सदस्य को निकाल दिया ठीक है । हमने आप का आदेश स्वीकार किया । परन्तु संसद्-कार्य मन्त्री का इस तरह से यकायक उठ कर प्रस्ताव प्रस्तुत करना उचित नहीं था । इस मामले में मेरा निवेदन यह है कि जब आपने उस सदस्य महोदय को सभा से बाहर भेजने का निर्णय कर लिया था, उन्हें बाहर जाने का आदेश दे दिया था और वह चले गये हैं तो उन्हें दूसरा दण्ड देने में कोई औचित्य नहीं है । एक ही अपराधी को दो दण्ड नहीं दिये जाने चाहिये । या तो अध्यक्ष को सदस्य का नाम पुकारना चाहिये तथा सभा त्याग का आदेश देना चाहिये था ऐसा प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना चाहिये कि सदस्य को सभा की सेवा से निलम्बित किया जाये । इसलिये संसद् कार्य मन्त्री द्वारा उन्हें दूसरे दण्ड देने के लिये प्रस्ताव प्रस्तुत करने में कोई औचित्य नहीं था ।

अध्यक्ष महोदय : मैं विरोधी दलों के नेताओं से पूछना चाहता हूं कि क्या वे यह अनुभव नहीं कर रहे हैं कि यहां ऐसा प्रतिदिन हो रहा है जिसका परिणाम यह होता है कि सभा का कार्य रुक जाता है। मैं एक दो सदस्यों को कई दिनों से यही कहता आ रहा हूं कि वे ऐसा न करे। परन्तु वे ऐसी बाधा डालते ही आ रहे हैं जब मामला उन्हें सभा से निकालने पर पहुंचते वाला होता है तो वे बैठ जाते हैं। ऐसे एक सदस्य श्री मधु लिमये थे। मैं हमेशा हर एक को बोलने का अवसर देता हूं जब मैं समझता हूं कि ऐसा करना उचित है।

फिर इस तरह से बाधा डाल कर सभा का समय नष्ट करना उचित नहीं है। इसलिये विरोधी नेताओं को इस बात की ओर ध्यान देना चाहिये। इसके अतिरिक्त जब मैंने उन्हें बाहर जाने के लिये कहा था तो वह जाते जाते भी ऐसे शब्द बोल गये थे जो कि आपत्तिजनक थे। यही कारण है कि ऐसा सुझाव आया है और अब प्रश्न मेरे सामने है।

Shri Kishen Pattnayak : Mr. Speaker, Sir, you have named Shri Madhu Limaye for obstructing the business of the House. But I would like to submit that the Members of other groups are not named for putting the same sort of obstructions.

An hon. Member : No. No.

Shri Kishen Pattnayak : If you go through the proceedings of the last three years of Lok Sabha which have been published in a book you would find whether such obstructions were made or not and whetherMembers speak without permission or not but the difference is that when they obstruct the proceeding by speaking in English or when they go on speaking inEnglish without your permission you don't object to that or take a lenient view but when Members speaking in Hindi without your permission you take a strong view against them. In this way we . . .

Mr. Speaker : Then it is not my fault. Then it be the fault of Hindi. When you speak in Hindi I want to answer that thing in Hindi you perhaps don't like me to answer you in Hindi.

Now a question is before me. I have to put it before the House. I had simply asked the Member to go out but the way he behaved while going was more objectionable.

श्री रंगा : महोदय, मेरे विचार से अब आप को संसद्-कार्य मंत्री द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव को सभा के समक्ष नहीं रखना चाहिये क्योंकि जैसे मेरे माननीय मित्र पहले ही कह चुके हैं एक ही अपराध के लिये दो दण्ड नहीं दिये जाने चाहियें। जो उन को सभा से जाने का दण्ड दिया गया है मेरे विचार से वह ही पर्याप्त समझा जाना चाहिये।

मैं इसका कारण आप को बताऊंगा आपने सभी विरोधी दलों के नेताओं को सम्बोधित किया था कि वे देखते ही होंगे कि सभा को कार्यवाही में किस प्रकार से बाधायें डाली जाती हैं। मेरे विचार से उस समय आप को सभा के नेता को भी ऐसा ही कहना चाहिये था। इसलिये हमें ही नहीं परन्तु सभा के नेता को भी इस बात पर ध्यान देना चाहिये कि लम्बे समय तक सभा की कार्यवाही में इस प्रकार से बाधा नहीं होनी चाहिये। अतः उनको स्वयं ही आपकी सहायता करनी चाहिये थी जो उन्होंने नहीं की। इसलिये मेरे विचार से दूसरा दण्ड नहीं दिया जाना चाहिये।

प्रधान मन्त्री तथा अणु शक्ति मन्त्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : मुझे खेद है कि प्रो० रंगा ने इस प्रकार के शब्द कहे हैं।

श्री रंगा : वे उचित ही थे।

श्री लाल बहादुर शास्त्री : मैं विरोधी दलों के नेताओं से मिला हूं और मैंने उनसे प्रार्थना की है कि हमें यहां शिष्टाचार रखना चाहिये। जहां तक आज का प्रश्न है मेरे विचार से संसद् कार्य मन्त्री ने जो प्रस्ताव पेश किया है वह ठीक ही है।

अध्यक्ष महोदय : जब उनको बाहर जाने के लिये कहा गया तो जो शब्द उन्होंने कहे वे आपत्ति-जनक थे फिर उन्होंने कुछ शब्दों का उच्चारण किया जिस पर कोई कार्रवाई अवश्य की जानी चाहिये ।

Shri Maurya : I have listened to his words. He had said "The country cannot flourish by adopting 'Napunsak' policy."

श्री रघुनाथ सिंह : (वाराणसी) उन्होंने बाहर जाते हुए क्या संकेत किया था? उन्होंने सारी सभा को नपुंसक कहा है जिसमें आप भी सम्मिलित हैं ।

Mr. Speaker : He said for the whole House.

श्री ही० ना० मुकर्जी : नपुंसक असंसदीय शब्द नहीं हैं . . .

अध्यक्ष महोदय : मैंने उस पर आपत्ति नहीं की है । मुझे बार-बार इसकी याद दिलाई जा रही है । मैं उनके उस समय के व्यवहार पर आपत्ति कर रहा हूं जब उन्हें बाहर जाने के लिये कहा गया । अब मेरे सामने केवल यही प्रश्न है .

Shri Bade (Khargon) **:** I submit that he has not called the Parliament impotent. You can check the records.

अध्यक्ष महोदय : मैं उन्हें चेतावनी देता रहा हूं । यह केवल आज का ही प्रश्न नहीं है । अब हमारे सामने जो प्रस्ताव है, उसे रखूंगा ।

प्रश्न यह है :

"कि श्री मधु लिमये को, जो इस सभा के सदस्य हैं, और जिनको अध्यक्ष महोदय ने नाम लेकर पुकारा है, दो सप्ताह के लिये सभा की सेवा से निलम्बित किया जाये ।"

लोक सभा में मत विभाजन हुआ

The Lok Sabha divided :

पक्ष में 183, विपक्ष में 44.

Ayes 183 ; Noes 44.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

Shri Bagri : Mr. Speaker, please listen to my one question.

Mr. Speaker : No.

मैं उन्हें अनुमति नहीं दे रहा हूं ।

इस समय श्री बागड़ी सभा से उठ कर बाहर चले गये ।

Shri Bagri left the House at this stage.

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—जारी

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE —*Contd.*

श्री फ़िजो की चीन की प्रस्तावित यात्रा के समाचार---जारी

श्री हेम बरुआ (गोहाटी): नागा शान्ति वार्ता की प्रगति ढीली पड़ गई है क्योंकि नागा लोग श्री फ़िजो से मार्ग दर्शन लेना चाहते हैं। मैं जान सकता हूं कि सरकार ने इसे रोकने के लिये क्या उपाय किये हैं?

श्री स्वर्ण सिंह : हम इस बारे में कुछ नहीं कर रहे हैं। परन्तु हम चाहते हैं कि यह शान्तिवार्ता शीघ्र समाप्त हो जाये।

श्रीमती रेणुका बड़कटकी (बारपेटा) : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि श्री फिज़ो नागालैण्ड के स्वतन्त्रता आन्दोलन के नेता होने का दावा करते हैं और नागा लोग उन से प्रेरणा प्राप्त करते हैं, क्या सरकार यह प्रस्ताव करती है कि वह विद्रोही नागाओं के नेताओं के साथ शान्ति वार्ता के दौरान श्री फिज़ो की इस घोषणा का प्रश्न उठायेगी और इस बात पर जोर देगी कि नागा विद्रोही श्री फिज़ो की चीन से सहायता प्राप्त करने की योजना से कोई सम्बन्ध न रखे क्योंकि चीन एक शत्रु देश है।

श्री स्वर्ण सिंह : विद्रोही नागाओं के नेताओं ने यह नहीं कहा कि वे चीनी सहायता चाहते हैं। हम इस समस्या का एक सन्तोषजनक हल चाहते हैं ताकि नागा लोगों की गलतफहमियां दूर हो जाये।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

भारतीय केन्द्रीय गन्ना समिति का वार्षिक प्रतिवेदन

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दा. रा. चव्हाण) : श्रीमन्, मैं भारतीय केन्द्रीय गन्ना समिति की वर्ष 1963-64 के प्रतिवेदन की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिए संख्या एल. टी. 4155/65]**।

सीमा-शुल्क अधिनियम तथा नमक अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनायें

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री रामेश्वर साहू) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं:

(1) सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा नमक अधिनियम, 1944 की धारा 38 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की, जिनके द्वारा सीमा-शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क निर्यात शुल्क-वापसी (सामान्य) नियम, 1960 में कुछ और संशोधन किये गये थे, एक-एक प्रति :—

(एक) दिनांक 20 मार्च, 1965 की जी० एस० आर० 437

[श्री रामेश्वर साहू]

(दो) दिनांक 20 मार्च, 1965 की जी० एस० आर० 438 **[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये एल० टी० संख्या 4156/65]**

(2) आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 296 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(एक) दिनांक 29 मार्च, 1965 का एस० ओ० 1002 जिसमें दिनांक 28 जुलाई, 1964 की अधिसूचना संख्या एस० ओ० 2567 के शुद्धि-पत्र दिये हुए हैं ।

(दो) दिनांक 29 मार्च, 1965 का एस० ओ० 1003 जिसमें दिनांक 15 फरवरी, 1965 की अधिसूचना संख्या एस० ओ० 591 के शुद्धि-पत्र दिये हुए हैं ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिए एल० टी० संख्या 4157/65) ।

सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति
COMMITTEE ON ABSENCE OF MEMBERS

बारहवां प्रतिवेदन

श्री खांडिलकर (खेड़) : श्रीमान्, मैं सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति का बारहवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं ।

प्राक्कलन समिति
ESTIMATES COMMITTEE

सड़सठवां प्रतिवेदन

श्री अ. चं. गुह (बारासाट) : श्रीमान्, मैं परिवहन मंत्रालय–कलकत्ता तथा हल्दिया पत्तन–के बारे में प्राक्कलन समिति का सड़सठवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हुं ।

भाषण के लिये सदस्यों को अनुमति देने के बारे में
RE : SELECTION OF SPEAKERS

Shri Sinhasan Singh (Gorakhpur) : In the House, a convention is being followed that you call the speakers according to a list. The procedure should be that the speakers should be selected from amongst such members as are present and want to speak. In this respect it has been provided in Rule 350 that when a Member rises to speak, his name shall be called by the Speaker. Together with this it has been provided in Rule 358 that after the Member who moves a motion has spoken other members may speak on the motion in such order as the Speaker may call upon them. I want to draw your attention to a particular point. During the Question Hour, such members are called to speak whose names are given in the question lists and also those who stand in their places and catch your eye. This practice should be followed during the proceedings other than questions also so that the members who do not wish to approach their party whips for getting their names included in the list of the speakers for some reason and want to catch your eye may not be depirved of the opportunity to speak. My submission is that the previous practice of "catching

the Speaker's eye" should be continued. Only those persons should be called to speak who catch your eye. It was a healthy practice and I request you to consider this matter.

Shri Sheo Narain (Bansi) : You are the supreme power of the House. You have to protect our interests also. The fact is that we have not got a chance to speak on the subjects connected with the standing committees of which we are the members. The members who take active part in the proceedings of the House should be given a chance to speak. You may follow the list supplied to you by the whips of different parties on a day when there is important Government business on the agenda, but ordinarily you should call only such members to speak who catch your eye.

Shri Raghunath Singh (Varanasi) : I submit that you should use your discretion in calling the members to speak. The reason for ringing the quorum-bell so often is that the members are called to speak according to the list supplied to you. As soon as a member finishes his speech, he leaves the House and does not feel any need to sit there any longer. The old practice of catching the Speakers' eye should be adopted so that the members keep sitting in the House and go on trying to catch your eye. If you want quorum in the House, you should adopt the old practice.

श्री दी. चं. शर्मा (गुरदासपुर) : मेरी आपसे यह प्रार्थना है कि आप वक्ताओं को अपने स्वविवेक से बुलायें । आपको यह ज्ञात ही है कि कौन सदस्य कितना योग्य है । आपको दी जाने वाली सूचियों से गड़बड़ हो रही है और इन्हें बन्द किया जाना चाहिये ।

श्रीमती यशोदा रेड्डी (करनूल) : हालांकि अध्यक्ष महोदय की दृष्टि में आने की प्रथा एक अच्छी प्रथा है परन्तु कुछ बार जब सभापति तालिका के सदस्य अध्यक्षपीठ पर बैठते हैं तो स्वविवेक सम्बन्धी कठिनाई पैदा हो जाती है । जहां तक हमारे दल का सम्बन्ध है सूची दिये जाने की प्रथा उचित है । एक बात मैं अवश्य कहूंगी कि यदि कोई सदस्य किसी अनुदानों की मांग कर बोल चुका हो और वह किसी दूसरी मांग पर बोलना चाहे तो उसे अनुमति दी जानी चाहिये ।

अध्यक्ष महोदय : मेरी सहानुभूति वास्तव में सदस्यों के साथ है । मैं मानता हूं कि बहुत बार कई सदस्य भाषण देने से वंचित रह जाते हैं । परन्तु माननीय सदस्यों को यह सब मामले अपने-अपने दलों में उठाने चाहियें थे ।

इस बारे में अध्यक्ष द्वारा दिये गये निदेश नामक पुस्तिका में साफ-साफ निदेश दिया हुआ है । शायद श्री सिंहासन सिंह ने निदेश 115–ए पढ़ा होगा । इसमें लिखा है कि :

"जो सदस्य किसी वाद-विवाद या चर्चा में भाग लेने की अपनी इच्छा की सूचना अध्यक्ष को देना चाहें वे निम्नलिखित तीन उपायों में से किसी एक का आश्रय ले सकते हैं :—

(क) जो सदस्य किसी वाद-विवाद या चर्चा में भाग लेना चाहें उनके नाम अध्यक्ष को संसदीय दलों अथवा वर्गों द्वारा दे दिये जायें ।

[अध्यक्ष महोदय]

(ख) जो सदस्य अध्यक्ष को सीधे लिखना चाहें वह संसदीय दल अथवा वर्ग की व्यवस्था में से गुजरे बिना ऐसा कर सकता है।

(ग) जो सदस्य अपने दल के द्वारा अपना नाम अध्यक्ष को न देना चाहे अथवा अध्यक्ष को सीधे न लिखना चाहे परन्तु अध्यक्ष की दृष्टि में आने की सर्वविदित संसदीय प्रक्रिया को अपनाना चाहे वह जब कभी वाद-विवाद में भाग लेना चाहे तब अपने स्थान पर खड़ा हो सकता है।

जब तक कोई सदस्य अपने स्थान पर खड़ा न हो और अध्यक्ष की दृष्टि में न आये तब तक उसे अध्यक्ष द्वारा बोलने के लिये नहीं कहा जायेगा, चाहे उसने अपने दल या वर्ग के द्वारा अपना नाम भेजा हो या सीधे अध्यक्ष को लिखा हो।"

इसलिये हम इस निदेश का अनुसरण करेंगे। जिस सदस्य को बोलना हो, चाहे उसका नाम सूची में हो या न हो उसे अपने स्थान पर खड़ा होना होगा। भाषण देने के बाद सदस्य को सभा से बाहर नहीं चले जाना चाहिये।

डा० रानेन सेन (कलकत्ता---पूर्व) : कभी-कभी मंत्रिगण भी अनुपस्थित रहते हैं।

अध्यक्ष महोदय : ऐसे अवसरों पर मेरा ध्यान एकदम इस ओर दिलाया जाता है और मैं उन्हें यहां उपस्थित रहने के लिये कहता हूं।

अनुदानों की मांगें---जारी

DEMANDS FOR GRANTS—*contd.*

सूचना और प्रसारण मंत्रालय---जारी

अध्यक्ष महोदय : अब हम सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अनुदानों की मांगों पर अग्रेतर चर्चा तथा मतदान आरम्भ करेंगे। श्री हेम बरुआ।

श्री वारियर (चित्तूर) : कल हम कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं कर सके हैं। आशा है कि आप आज हमें इसकी अनुमति देंगे।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य मुझे उन कटौती प्रस्तावों की संख्या बताने वाली एक सूची भेज दें और मैं इनको प्रस्तुत किया गया मानूंगा।

श्री हेम बरुआ : किसी भी दूसरे माध्यम द्वारा जनता से इतना सम्पर्क स्थापित नहीं होता जितना आकाशवाणी द्वारा होता है। इसलिये आकाशवाणी को एक संजीव संस्था होना चाहिये मरणोन्मुख नहीं। इससे लोगों को प्रेरणा मिलनी चाहिये। परन्तु ऐसा नहीं है और इसका यह कारण है कि इस पर सरकार का नियन्त्रण है। इसलिये यह संस्था नौकरशाही के हित में कार्य करती है, जनता के हित में नहीं। हमारा देश एक विशाल देश है और इसलिये आकाशवाणी द्वारा विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम

प्रसारित किये जाने चाहियें । यह तभी सम्भव है जब क्षेत्रीय स्टेशन-डायरेक्टरों को कुछ स्वाधीनता दी जाये ताकि वे स्वविवेक से कार्य कर सकें ।

अब मैं स्टाफ कलाकारों के बारे में कहूंगा । स्टाफ कलाकार आकाशवाणी के आधार-स्तम्भ हैं और इनके बिना यह संस्था एक दिन भी अपना कार्य नहीं कर सकती । परन्तु इनके साथ ठीक व्यवहार नहीं किया जाता और इनकी सेवा को सुरक्षित नहीं किया जाता । यह समझ में नहीं आता कि सरकार उन्हें स्थायी सेवा में क्यों सम्मिलित नहीं करती । किसी भी देश में इन लोगों के साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया जाता । मुझे आशा है कि श्रीमती इन्दिरा गान्धी इस ओर अवश्य ध्यान देंगी ।

सरकार ने प्रसारण के बारे में अशोक चन्द समिति नियुक्त की है । परन्तु यह पर्याप्त नहीं है । जिस प्रकार सरकार ने प्रैस तथा चलचित्र के लिये जांच आयोग नियुक्त किये थे, उसी प्रकार आकाशवाणी के कार्य की जांच करने के लिये भी एक आयोग नियुक्त किया जाना चाहिये । प्रति वर्ष आकाशवाणी को एक निगम में बदलने के लिये यहां मांग की जाती है परन्तु सरकार इस ओर कोई ध्यान नहीं देती और इस सुझाव पर अमल न करने के कोई ठोस कारण भी नहीं बताती । इसका केवल यही एक कारण है कि सरकार इस पर से अपना नियन्त्रण नहीं हटाना चाहती । यदि यह संस्था निगम में बदल दी गई तो फिर भी संसद् का इस पर नियन्त्रण रहेगा और इससे सम्बन्धित प्रश्न यहां पूछे जा सकते हैं । आकाशवाणी पर आज सरकार का एकाधिकार है ।

मैं सीमान्त क्षेत्र का निवासी हूं । परन्तु उस क्षेत्र में इस मंत्रालय की प्रसारण सम्बन्धी सफलतायें क्या हैं ? चीनी वहां नियमित रूप से प्रसारण करते हैं और इससे लोगों के दिलों पर काफी बुरा असर पड़ने का डर है । यह शरारत खत्म की जानी चाहिये और मैं सरकार से यह अनुरोध करूंगा कि वह सीमान्त क्षेत्रों में प्रसारण व्यवस्था को सुदृढ़ करे ।

भारत एक विशाल देश है और इसलिये यहां एक से अधिक समाचार एजेंसियों की आवश्यकता है । चूंकि "युनाइटिड न्यूज़ आफ इंडिया" का विस्तार हो रहा है, इसलिये इसे अधिक वित्तीय सहायता दी जानी चाहिये ।

जबकि हमारी पंचवर्षीय योजनाओं में हमारे राष्ट्रीय जीवन के सभी पहलुओं का ध्यान रखा गया है, भारतीय प्रेस ही एक ऐसी संस्था है जिसकी उपेक्षा की गई है । विदेशी मुद्रा के संकट का भार भी अधिकतर इस पर ही पड़ता है । इसके परिणामस्वरूप हमारे कुछ समाचार-पत्रों के बन्द हो जाने की सम्भावना है । अखबारी कागज़ पर 1962 में लगाये गये निर्बन्धन समाचार-पत्र उद्योग पर इस समय बुरा प्रभाव डाल रहे हैं । हमारे लोकतन्त्र का विकास हो रहा है और चीनी आक्रमण के कारण तथा देश में आरम्भ की गई निर्माण योजनाओं के कारण लोग अधिकाधिक समाचार की आशा करते हैं । अखबारी कागज़ सम्बन्धी नीति दिन-प्रति-दिन चिन्ताजनक होती जा रही है । जबकि 1962–63 में अखबारी कागज़ का आयात 124,000 मीट्रिक टन से घटा कर 99,000 मीट्रिक टन कर दिया गया था, 1963–64 में इसे और घटा कर 96,000 मीट्रिक टन

[श्री हेम बरुआ]

कर दिया गया । अखबारी कागज़ सम्बन्धी सारी नीति की, हमारे लोकतन्त्र की आवश्यकतानुसार फिर से जांच की जानी चाहिये । यदि प्रतिवर्ष दो करोड़ रुपये अधिक इस संबंध में दिये जायें तो यह कठिनाई दूर हो सकती है और समाचार-पत्र पर्याप्त संख्या में प्रकाशित हो सकते हैं ।

प्रेस सूचना विभाग मंत्रियों के नीरस तथा फीके भाषण छापने के सिवाय और कुछ नहीं करता । परन्तु इतना अवश्य होता है कि प्रेस संवाददाओं को इस विभाग के कर्मचारियों द्वारा यह कहा जाता है कि वे सभा की कुछ कार्यवाही प्रकाशित न करें ।

आकाशवाणी द्वारा सरल हिन्दी में समाचार प्रसारित किये जाने चाहियें अन्यथा इस भाषा का प्रचार नहीं हो सकता । भाषा के प्रति अनुराग पैदा किया जाना चाहिये क्योंकि यदि इसे थोपा जाये तो हिंसात्मक प्रतिक्रिया होती है जैसा कि आज हम देश के विभिन्न भागों में देख रहे हैं ।

सूचना और प्रसारण मंत्रालय की मांगों के सम्बन्ध में निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये :—

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
69	22	श्री वारियर	आकाशवाणी के काम काज में सुधार करने की आवश्यकता ।	100 रुपये
69	23	श्री वारियर	अत्यधिक शक्ति के ट्रांसमीटर लगाकर आकाशवाणी को अधिक प्रभावकारी बनाने के बारे में अन्तिम रूप से निश्चय करने की आवश्यकता ।	100 रुपये
69	24	श्री वारियर	आकाशवाणी के इंजीनियरिंग कर्मचारियों की सेवा-शर्तों में सुधार करने की आवश्यकता ।	100 रुपये
69	25	श्री वारियर	क्षत्र कर्मचरियों और प्रबन्धकों के बीच बार-बार होने वाले झगड़े समाप्त करने की आवश्यकता ।	100 रुपये
69	26	श्री वारियर	आकाशवाणी के कर्मचारियों के काम-काज की हालत में सुधार करने की आवश्यकता ।	100 रुपये
69	27	श्री वारियर	आकाशवाणी के कर्मचारियों को मशीन आदि लगाने के भत्ते देने की आवश्यकता ।	

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सम्बन्ध में कटौती प्रस्ताव--जारी

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
69	28	श्री वारियर	भाषाई अखबारों को और अधिक विज्ञापन देने की आवश्यकता ।	100 रुपये
69	29	श्री वारियर	सरकारी विभागों और स्वायत्त निकायों के विज्ञापनों के लिये अंग्रेज़ी अखबारों में शुल्क प्रदत्त स्थान कम करने की आवश्यकता ।	100 रुपये
69	30	श्री वारियर	प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के राष्ट्रीयकरण के लिये कार्यवाही करने की आवश्यकता ।	100 रुपये
69	31	श्री वारियर	भाषाई अखबारों को और अधिक अखबारी कागज़ देने की आवश्यकता ।	100 रुपये
69	32	श्री वारियर	विद्यार्थियों को फिल्म इन्स्टीट्यूट ऑफ इंडिया में प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिये और अधिक प्रोत्साहन देने की आवश्यकता ।	100 रुपये
69	33	श्री वारियर	आकाशवाणी के प्रसारणों में संसद् तथा राज्य विधान मंडलों के लिये अधिक समय देने की आवश्यकता ।	100 रुपये
69	34	श्री वारियर	कर्मचारी कलाकारों तथा नैमित्तिक कलाकारों की सेवा शर्तों में सुधार करने की आवश्यकता ।	100 रुपये
69	35	श्री वारियर	आकाशवाणी के समाचार वृतान्तों (न्यूज़ कामेन्ट्रीज़) के स्तर में सुधार करने की आवश्यकता ।	100 रुपये
69	39	श्री वारियर	सोवियत संघ से 1,000 किलोवाट का एक ट्रांसमिटर खरीदने के मामले में धीमी प्रगति ।	100 रुपये
69	37	श्री वारियर	विकास योजनाओं के लिए नियत रकमों का उपयोग न करना ।	100 रुपये

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के सम्बन्ध में कटौती प्रस्ताव—जारी

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
69	38	श्री वारियर	. त्रिचूर केन्द्र में वर्तमान ट्रांसमिटर के स्थान पर अधिक शक्ति वाला एक ट्रांसमिटर लगाने की आवश्यकता ।	100 रुपये
69	39	श्री वारियर	चौथी योजना की अवधि में सम्पूर्ण देश में टेलीविज़न केन्द्र स्थापित करने के लिये कई दौर वाला कार्य-क्रम बनाने की आवश्यकता ।	100 रुपये
69	40	श्री वारियर	. विशेषत: संसदीय निर्वाचनों के समय संसद् के विरोधी दलों को प्रसारण की सुविधाएं देने की आवश्यकता ।	100 रुपये
69	41	श्री वारियर	. प्रसारण-वार्ताओं के स्तर में सुधार करने की आवश्यकता ।	100 रुपये
69	42	श्री वारियर	. सस्ते रेडियो और ट्रांसमिटर सेट तैयार करने की आवश्यकता ।	100 रुपये
69	43	श्री वारियर	अधिक ग्रामीण श्रवण केन्द्र स्थापित करने के लिये वित्तीय सहायता देने की आवश्यकता ।	100 रुपये
69	44	श्री वारियर	. आकाशवाणी के काम की जांच करने के लिये स्थापित की गई मूल्यांकन समिति के काम में शीघ्रता करने की आवश्यकता ।	100 रुपये

Shrimati Ram Dulari Sinha (Patna) : It is regretted that the Ministry of Information and Broadcasting has not proved equal to the task which confronts the nation today. I do not for one moment say that they have been entirely inactive—many useful publication many touching documentries and many educative broadcasts are to their credit—but I repeat they have not been able to prove equal to the task, which is enormous, in view of the nefarious propaganda let loose by China and Pakistan.

I was also sorry to note that the labour of our country, who took such a prominent part in contributing their mite to the Defence effort at the time of the Chinese invasion that they received encominus from the Late Shri Nehru himself, was never addressed by any of their leaders. over the A.I.R. and there is not a single representative of labour on Programme Advisory Committee in States as well as at the Centre.

Apart from Bharat Sewak Samaj, other public Service organisations should also receive encouragement from A.I.R. In order to make their full impact on the people. In the last two plans the allocation of funds was not fully utilised because the construction work is in the charge of C.P.W.D. a department of the Ministry of Works and Housing. Foreign Exchange difficulties have also hampered the progress of this Ministry. But apart from all that the propaganda which should have been geared up by us in the face of the venomous lies of China and Pakistan to effectively counter their propaganda has proved quite ineffective abroad. especially in Asia and Africa where their lies appear to have more effect than the truth and righteousness for which we stand, though we have been at the forefront in the freedom sturggle of S.E. Asia and Africa. We have failed to project an image of India as a non-Aligned, industrially progressing nation following the ideals of Jawaharlal Nehru. We have done nothing to counter the lies spread by Mr. Phizo in England.

In matters of pay, the Hindi Artistes of A.I.R. are being discriminated against the English ones, this should be stopped and the principles of I.L.O. *viz*, equal pay for equal work should be made applicable to the other categories of the Staff of A.I.R.

When we are passing through Emergency, the love, lyrics do not suit the ears of the nation. The heroic songs should be broadcast extnesively so that patriotic feelings could be inculcated.

In order to extend the benefits of the programmes broadcast for the industrial labour to a much greater section, it is desirable that these programmes should be broadcast from Patna, in additi on to Ranchi.

Jawaharlal Nehru's voice was not heard even once after his death. His message regarding industrialisation democracy world peace, Panchsheel and courage to fight the enemies etc. should be broadcast often.

I agree with Shri Barua's proposal of setting up a corporation on the model of B.B.C. in principle but we will have to wait for this till we have peace after the emergency is over, because when we are now face to face with enemies, we have to counter their false propaganda, Government's control on broadcasting is essential.

Shri M. L. Dwivedi (Hamirpur) : I hope that if given sufficient time, the hon. Minister could be able to bring immense improvement in the various departments of the Ministry.

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए ।
Mr. Deputy Speaker *in the Chair*]

I am sure she will profit by the suggestions offered here, for these will come for persons who have better knowledge and experience and hence the Ministry will be able to serve the nation better by way of civilisation, knowledge and Art.

Publicity work in foreign countries is being done by the External Affairs Ministry and it is insufficient. This work should be transferred to I. & B. Ministry. The transmitters which have been installed in the border areas are very weak and they cannot be heard in the country where they are intended to be heard whereas Chinese broadcasts are heard quite distinctly throughout India—rather all over the world. The same is true of Pakistan. The hon.

[Shri M. L. Dwivedi]

Minister must do something about it and see that we effectively counter the venomous propaganda of China and Pakistan. One thing more—the Indians living in Fiji Islands, Mauritous, Japan, Australia and other neighbouring countries have complained that though they are very much anxious to listen to Indian radio programmes, these could not be heard there. The hon. Miniser should pay fullest attention to this also. It should also be seen that the programmes broadcast for them should suit their convenience according to the local timings.

The 'Gandhi Unit' in the A.I.R. is not working properly. I would like that in 1969, when we shall celebrate Gandhiji's Centenary, his life, teachings, principle of truth and non-violence, his role in the freedom struggle, his love for worldpeace etc. should be adequately published. A 'Nehru Unit' similar to the Gandhi Unit should be set up in the A.I.R.

At certain stations the Programme Executives do not know the language of the area and as a result thereof the programmes chalked out by them are not popular. If they fail to learn the language of that area where they are serving their services should be dispensed with or they should be transferred to those areas whose language they know.

The monitoring service at Simla and Delhi should made more efficient and this along-with newspapers should be so equipped as to effectively counter the anti-Indian propoganda indulged in by foreign countries. The absence of such steps keeps us uninformed about their propagnda whereas we remain ignorant of our own stand and reality.

There is no mention of television in the Ministry's report. We should also move forward in this direction when other countries have already advanced much ahead in this field.

In regard to scarcity of newsprint, it is said that we are facing foreign exchange difficulty. But much of the foreign exchange is wasted on the tours of big businessmen and their families who go abroad for mere recreation. This valuable foreign exchange could very well be utilised to import newsprint.

Talking about newspapers and teleprinters. I may submit that all news are received and circulated in English only, which means that other language papers are supplied with that news either too late or never. There should be independent teleprinters for at least Hindi and English, if not for all other languages.

श्री सोलंकी (कैरा): आकाशवाणी की वर्तमान त्रुटियों का कारण इस मंत्रालय के भूतपूर्व मंत्रियों का निरंकुश शासन है जो इसे अपनी जागीर समझ कर इसे मनमाने ढंग से चलाते रहे हैं और मुझे आशा है कि श्रीमती गांधी इन त्रुटियों का सुधार करेंगी। मेरे विचार से सबसे अच्छी कार्यवाही चन्दा समिति की नियुक्ति है। परन्तु हाल ही में प्रकाशित आकाशवाणी संबंधी पुस्तक से, जो इसके एक भूतपूर्व कर्मचारी श्री आवस्थी द्वारा लिखी गई है, और जो किसी विभाग पर अब तक लिखी गई सर्वश्रेष्ठ पुस्तक है, आकाशवाणी की दुखभरी अवस्था का पता चलता है।

मेरा सुझाव है कि मंत्री महोदया विदेश जाएं और वहां के रेडियो निगमों की कार्य-प्रणाली का अध्ययन करके यहां सुधार करने का प्रयत्न करें। कई सदस्यों ने बी० बी० सी० जैसा निगम हमारे यहां भी बनाने का सुझाव दिया था और 1952 में श्री केसकर ने

सभा को इस संबंध में आश्वासन भी दिया था परन्तु पता नहीं अब तक यह निगम क्यों नहीं बन पाया। यदि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बनाए रखना है तो आकाशवाणी पर सरकार का पूर्ण नियंत्रण नहीं बना रहना चाहिये। सत्तारूढ़ दल इसका अनुचित प्रयोग करता है।

कच्छ क्षेत्र में इस समय कोई ट्रांसमीटर नहीं है। हमें बताया गया है कि 5 वर्ष में इसकी व्यवस्था की जाएगी। परन्तु तब तक तो पाकिस्तानी प्रचार अपना कार्य पूरी तरह कर चुका होगा। हमारे सीमावर्ती क्षेत्रों में कहीं भी कोई ट्रांसमीटर नहीं है। असम में जो पहले एक ट्रांसमीटर था वह भी हटा लिया गया है। हमें इस ओर अवश्य ध्यान देना चाहिये, नहीं तो वहां की गुजराती-भाषी जनता पूर्णतया पाकिस्तानी प्रचार से प्रभावित हो जाएगी ।

पूर्वी अफ्रीका में जो भारतीय लोग हैं उनमें 85 प्रतिशत गुजराती हैं। हमारे उस क्षेत्र के प्रसारण में केवल 45 मिनट का समय गुजराती को दिया जाता है। इसके मुकाबले में हिन्दी भाषा के प्रसारण के लिये 90 मिनट का समय है। हिन्दी कार्यक्रम में उन लोगों की कोई रुचि नहीं है। यदि हमें अपने प्रसारण अधिक श्रोताओं तक पहुंचाने हैं तो गुजराती भाषा के प्रसारण समय को बढ़ाना होगा और हिन्दी भाषा के प्रसारण समय में कमी करनी होगी। इस मंत्रालय की रिपोर्ट से पता चलता है कि हम अन्य विदेशी भाषाओं में भी प्रसारण करते हैं। परन्तु हमें इंग्लैंड के लिये जो अंग्रेजी भाषा के प्रसारण हैं उन्हें ही अफ्रीकी देशों को सुनाना नहीं चाहिये। टेलीविजन द्वारा देश की निरक्षर जनता को बहुत लाभ हो सकता है परन्तु इसको देश में लागू करने के लिये करों में वृद्धि नहीं करनी चाहिये। देश की जनता पर पहले ही बहुत कर लगे हुए हैं। इसके लिये विदेशों से सहायता लेनी चाहिये। इसके अतिरिक्त हमारे देश में टेलीविजन सेट भी उपलब्ध नहीं हैं। जो हैं भी वे बहुत महंगे हैं। सरकार को चाहिये कि प्रत्येक व्यक्ति को विदेश से एक सेट लाने की अनुमति दे।

स्टाफ आर्टिस्ट ऑल इंडिया रेडियो की बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं। उनमें कुछ तो ऐसे हैं कि जो लगभग 25 वर्षों से कार्य कर रहे हैं। खेद की बात है कि उनको अन्य सरकारी कर्मचारियों की भांति सुविधाएं प्राप्त नहीं हैं। नये मंत्री ने इस सम्बन्ध में कुछ कार्यवाही की है। हम उसका स्वागत करते हैं। इन आर्टिस्टों को पेंशन की सुविधा भी उपलब्ध करायी जानी चाहिये। कहा जाता है कि उन लोगों की आवाज कुछ समय के पश्चात खराब हो जाती है। परन्तु उनमें कई ऐसे हैं कि जिन की आवास 25 वर्षों में भी खराब नहीं हुई है। मैं आशा करता हूं कि नये मंत्री के द्वारा इस विभाग में सुधार होगा ।

विज्ञापन और समाचारपत्रों के कागज के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि सरकार को समाचारपत्रों की सहायता करनी चाहिये। छोटे समाचारपत्र तथा पत्रिकाओं की सहायतार्थ और कदम उठाये जाने की बहुत आवश्यकता है। नियमों में वांछनीय संशोधन किया जाना चाहिये। सरकार को श्रीलंका रेडियो की भांति आल इंडिया रेडियो पर व्यापारिक विज्ञापन आरंभ करने चाहिये। इससे एक तो व्यापारियों को लाभ होगा और दूसरे सरकार की आय बढ़ेगी। समाचारपत्रों के लिये कागज की समस्या पर गम्भीरता से विचार किया जाना

[श्री सोलंकी]

चाहिये। एक लोकतन्त्र में समाचारपत्रों का बहुत महत्व होता है। अतः इनकी कठिनाइयों को दूर करने की ओर कदम उठाने होंगे ।

फिल्मी मेले के बारे में मुझे कहना है कि यह असफल रहा है। सरकार ने रेडियो संगीत सम्मेलन का आयोजन इसलिये नहीं किया है कि इस वर्ष देश में बाढ़ आदि आयी हुई थी। परन्तु इसी वर्ष अन्तर्राष्ट्रीय फिल्मी मेले का आयोजन कर लिया गया है यह बात मेरी समझ में नहीं आयी है। संगीत सम्मेलन पर कुल 10,000 रुपये व्यय होने थे और इस मेले पर 13 लाख रुपये खर्च हुए हैं। इस मेले से हमें कोई लाभ नहीं हुआ है बल्कि हमारी आलोचना ही हुई है। इसके आयोजन में भी बहुत सी त्रुटियां थीं। लोगों को टिकट होते हुए भी असुविधायें उठानी पड़ीं ।

सरकार का समाचारपत्र सूचना विभाग भी ठीक प्रकार से कार्य नहीं कर रहा है। यह मंत्रियों की व्यक्तिगत सराहना बहुत अधिक करता है। यह नहीं होना चाहिये ।

जब पत्रकारों का एक दल किसी क्षेत्र में भेजा जाता है तो उस दल में उस क्षेत्र के पत्रकारों को भी शामिल किया जाना चाहिये। उस क्षेत्र के बारे में उनकी बहुत अच्छी जानकारी होती है। इससे बहुत लाभ हो सकता है। मैं नये मंत्री का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि वह इस मंत्रालय में कार्यकुशलता बढ़ाने में सफल होंगी ।

श्री अ० ना० विद्यालंकार (होशियारपुर): इस मंत्रालय की पहले उपेक्षा की जाती रही है। अब इसको वास्तविक मान्यता दी गई है। मैं आशा करता हूं कि नई मंत्री महोदया इस मत्रालय में आवश्यक सुधार करने में सफल होंगी। सरकार कई बार कमीशन तथा समितियां नियुक्त करती है और उनकी रिपोर्टों की प्रतीक्षा करती रहती है। सरकार को बीच के समय में भी कार्य करना चाहिये। सरकार को विज्ञापन और प्रचार कार्य में सुधार करना चाहिये। हमें समस्याओं के समाधान के लिये एक वातावरण बनाना है। यह कार्य इसी मंत्रालय का है। लोगों को उचित प्रकार से सूचित किया जाना चाहिये कि देश के सामने क्या क्या समस्यायें हैं और उन्हे कैसे हल किया जा रहा है। लोगों में उत्साह की भावना जागृत करनी है। हमारी सरकार पत्रिकायें आदि बिना किसी प्रकार सोचे बांट देती है। उस से कोई लाभ नहीं होता। यह पहले देखना चाहिये कि किस वर्ग के लोगों के लिये किस प्रकार का साहित्य उपयोगी होगा। खेद की बात है कि हमारे विभागों में समन्वय नहीं है। केन्द्रीय सरकार को इस पर विचार करना चाहिये और आवश्यक कार्य वाही करनी चाहिये। इस सम्बन्ध में कार्य देखने के लिये एक अधिकारी नियुक्त किया जाना चाहिये अथवा एक समिति गठित की जानी चाहिये। अपना प्रचार कार्य सफल बनाने के लिये इसकी बहुत अधिक आवश्यकता है। अपने प्रचार कार्य का हमें समय समय पर मूल्यांकन भी करना चाहिये और उसमें सुधार करने चाहियें ।

टेलीविजन की बात यहां कही गई है। यह बहुत महंगी चीज है। मैं हाल ही में इंगलैंड गया था। वहां पर मैंने यही पाया है परन्तु संयुक्त अरब गणराज्य में स्थिति ऐसी नहीं है । वहां टेलीविजन सेटों का निर्माण बहुत सस्ते दामों पर हो रहा है । सरकार को इस बारे में पूछताछ करनी चाहिये । यदि हमें रेडियो

लोकप्रिय बनाना है तो रेडियो पर लाइसेंस फीस समाप्त कर देनी चाहिये। इससे बहुत लाभ होगा। एक सुझाव दिया गया है कि हमें रेडियो से व्यापारिक विज्ञापन आरम्भ करने चाहियें। मैं इसके विरुद्ध हूं। इससे जनता को कोई लाभ नहीं होगा। हमें अपनी फिल्मों और साहित्य में अश्लीलता नहीं आने देनी है। कला के नाम पर अश्लीलता को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही होनी चाहिये।

समाचारपत्रों पर एकाधिकार की प्रवृत्ति बहुत बढ़ती जा रही है। इस बारे में विचार किया जाना चाहिये। समाचार भेजने वाले अभिकरणों जैसे पी० टी० आई० आदि का राष्ट्रीयकरण होना चाहिये। प्रचार कार्य में दक्षता प्रांप्त करने के लिये प्रशिक्षण दिया जाना चाहिये। इसके लिये एक संस्था स्थापित की जानी चाहिये। वर्तमान व्यवस्था पर्याप्त नहीं है। इस बारे में राज्यों का सहयोग भी प्राप्त करना चाहिये।

Shri Balkrishna Wasnik (Gondia): The new Minister of this Ministry is giving a new look to this Ministry. We hope she will bring about improvements in the working of this important Ministry. She has capacity and determination of doing the same. A committe has been appointed to recommend reforms. We have a face facts and live in world of reality. Our country is passing through an emergency. China has committed aggression against us. Pakistan is also creating trouble. In such circumstances we have to make our external publicity more effective and popular. We have set up some Broadcasting stations on the border. Their number should be increased. We have to counteract the false propaganda of China and Pakistan. The transmitters should be strengthened. Our broadcasts should be interesting and intelligible. We should learn this art from western countries.

The question of service conditions of staff artists is very old one. Their pay scales and conditions of service shouldbe decided once for all. They should be treated at par with other Government employees. I have found that during first two plan periods the amount allocated for expansion of All India Radio has not been utilised. It is hoped that the new Minister will streamline the working of this Ministry and utilise the amount sanctioned. I want that commercial services should be introduced on radio. It will be a source of income for the Government. It can be added as a part of Vividh Bharti. This should be considered. I would request that a broadcasting station should be set up at Aurangabad. This city is a big centre of cultural activities and there is no such station nearby.

श्री विश्राम प्रसाद : मैं सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय की मांग संख्या 69 पर कटौती प्रस्ताव संख्या 56 प्रस्तुत करता हूं जो मंत्रालय के प्रशासन प्रभाग को निर्माण और आवास मंत्रालय की प्रकाशन शाखा अथवा मुद्रण तथा लेखन सामग्री के मुख्य नियंत्रक के साथ मिला देने में असफलता के बारे में है और प्रस्ताव करता हूं कि राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाये।

डा० रानेन सेन (कलकत्ता पूर्व): श्रीमन्, सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय का देश में तथा हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान है। स्वतंत्रता के बाद लोगों को आशा थी कि यह मंत्रालय कसौटी पर खरा उतरेगा परन्तु वह अपना कर्तव्य निभाने में असफल रहा है और आज देश के लोगों द्वारा इस मंत्रालय के विभिन्न पहलुओं के बारे में हंसी उड़ाई जा रही है।

[डा० रानेन सेन]

आकाशवाणी पर भारत सरकार का एकाधिकार है और दुर्भाग्य से भारत की जनता की आवाज़ होने की बजाय वह सत्तारूढ़ दल की आवाज़ बन गई है। विरोधी दल के बड़े नेता आकाशवाणी से बहुत कम अपने भाषण प्रसारित करते हैं क्योंकि आकाशवाणी पर सत्तारूढ़ दल का ही अधिकार है ।

आकाशवाणी से और विशेष रूप से उसके कलकत्ता केन्द्र से प्रसारित होने वाली सामग्री इतनी पुरानी और समझ में न आने वाली है कि लोग उस पर हंसते हैं। चीन की आन्तरिक स्थिति के बारे में आकाशवाणी के प्रसारणों को ही लीजिये । भारत की जनता की इतनी बुद्धि नहीं कि ऐसी कहानियों पर विश्वास करे । रेडियो से इस प्रकार का प्रचार बहुत खराब है ।

गृह-कार्य मंत्री, श्री नन्दा ने रेडियो द्वारा केरल के सम्बन्ध में अंग्रेजी तथा हिन्दी में भाषण दिया था । उसके परिणाम का केरल के चुनावों से पता चलता है ।

हमें पता लगा है कि रेडियो कार्यक्रम के दौरान संसद्-कार्य मंत्री या सूचना तथा प्रसारण मंत्री कार्यक्रम बनाने वालों को वक्तव्य देने वालों की सूची भेजता है और इसके परिणामस्वरूप सारा कार्यक्रम अस्तव्यस्त हो जाता है ।

मैं यह नहीं कहता कि आकाशवाणी में कोई अच्छी बात नहीं है । परन्तु इस आलोचना का अभिप्राय आकाशवाणी की क्रियान्विति में सुधार करना है । इस सभा के सदस्य विजयानरम के महाराजकुमार आकाशवाणी से समीक्षा प्रसारित करते हैं । मैं यह बात इसलिए कह रहा हूं कि इस सभा के सदस्यों को आकाशवाणी का महत्व बताया जाये ।

आकाशवाणी के विरुद्ध एक आरोप यह है कि वह राजनीति, पक्षपात और नौकरशाही का गढ़ है । स्टाफ कलाकारों की स्थिति के बारे में कई माननीय सदस्य बोल चुके हैं। श्री हेम बरुआ का इसे एक निगम बनाने का विचार उपयुक्त नहीं है । यदि ऐसा किया गया तो इस पर नियंत्रण रखने और उसके कार्यक्रम में सुधार लाने की शक्ति कमजोर पड़ जायेगी । आकाशवाणी के स्टाफ कलाकारों में कई प्रकार के कर्मचारी शामिल है । कर्मचारियों को उनके काम के आधार पर श्रेणीबद्ध किया जाना चाहिये ।

यह एक ऐसा विभाग है जिसमें स्टाफ कलाकारों की सेवा स्थायी नहीं हैं। पहले उन्हें तीन वर्ष के ठेके पर रखा जाता था। माननीय उपमंत्री श्री पट्टाभि रामन ने कहा है कि इसे बढ़ा कर पांच वर्ष कर दिया गया है। मैं यह जानना चाहता हूं कि पांच वर्ष के ठेके के अन्तर्गत कितने कलाकार शामिल किये गये हैं। ब्रिटिश ब्राडकास्टिंग कारपोरेशन के कर्मचारी स्थायी हैं।

माननीय उपमंत्री ने यह भी स्वीकार किया है कि यद्यपि महंगाई भत्ता तथा नगरपूरक भत्ता उन्हें दिया गया है फिर भी उनके वेतनों की अधिकतम सीमा कम कर दी गयी हैं। यह गलत बात है और देश के विधान के विरुद्ध है । आप किसी भी कर्मचारी के वर्तमान अधिकारों को कम नहीं कर सकते ।

प्रोग्राम स्टाफ 15 या 20 वर्ष से काम कर रहा है और अभी तक अस्थायी है। श्री सोलंकी ने एक सेवानिवृत्ति योजना के बारे में कहा है । इन कर्मचारियों के लिए कोई सेवानिवृत्ति योजना नहीं है । क्या वे सरकारी कर्मचारी नहीं हैं ?

आकस्मिक कलाकार दो प्रकार के हैं। यदि प्रशासन के बड़े अधिकारी मुझे पसन्द करते हैं तो सप्ताह में तीन दिन के लिए काम करने पर मुझे 1,000 रुपया प्रति मास मिल जायेगा जबकि कुछ लोग जोकि 24 घंटे काम करते हैं उन्हें कम वेतन मिलता है यद्यपि वे अधिक प्रशिक्षित हैं, उनमें अधिक योग्यता है और वे परीक्षा प्रवीण हैं। दूसरे प्रकार के कर्मचारी सदा ही आकस्मिक बने रहते हैं। एक मंत्री ने कहा है कि विद्यमान स्टाफ कलाकारों को प्रगति करने के अवसर उपलब्ध होने चाहियें। इसे लागू नहीं किया जा रहा है।

ठेके के खंड (2) में यह कहा गया है कि स्टाफ कर्मचारी सेवा में पूरा समय लगायेंगे और आचार नियमों सहित सभी नियमों का पालन करेंगे। इसमें कहीं भी नहीं लिखा गया है कि उनको किस प्रकार की सेवा के लिए भर्ती किया गया है। अब समय आ गया है कि ठेकों पर पुनर्विचार करके उन्हें अधिक आधुनिक बनाया जाये।

आकाशवाणी के इंजीनियरी कर्मचारियों के लिए विश्राम गृहों का कोई प्रबन्ध नहीं किया गया है। कहा जाता है कि स्टाफ कलाकार किसी ऐसे संगठन के सदस्य नहीं बन सकते जिसे सरकार मान्यता नहीं देती परन्तु जब मान्यता के लिए कहा जाता है तो उन्हें बताया जाता है कि मान्यता नहीं दी जायेगी। यह संविधान के अन्तर्गत दिये गये मूलभूत अधिकारों का उल्लंघन है।

कभी कभी ऐसा दिखाई देता है कि आकाशवाणी की अपनी ही एक नीति है जो भारत सरकार की नीति से भिन्न है। 4 अप्रैल को अंग्रेजी के एक प्रसारण में वियतनाम में गैस के युद्ध का समर्थन किया गया था। मंत्री महोदय को इसकी जांच करानी चाहिये। आकाशवाणी के किसी भी व्यक्ति को इसका समर्थन करने का अधिकार नहीं है।

ट्रांसमीटर का मामला एक घोटाला बन गया है। हमने इस पर कई बार विचार किया है। कुछ पत्रों में यह समाचार छपा है कि विभाग के कुछ उच्च स्तर के अधिकारी रूस से ट्रांसमीटर मंगवाने के प्रस्ताव को ठप्प करने का प्रयत्न कर रहे हैं। मंत्री तथा उपमंत्री को स्वयं इस मामले को निपटाना चाहिये।

इस बात का समाचार मिला है कि विभाग के एक सूचना अधिकारी ने अंग्रेजी के एक समाचार पत्र के संवाददाता तथा एक भारतीय भाषा के समाचारपत्र के संवाददाता में विभेद किया है। मुझे अंग्रेजी भाषा के समाचारपत्रों के प्रति कोई द्वेष नहीं है परन्तु सभी पत्रों के साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिये।

पी० टी० आई० को आकाशवाणी से 12 लाख रुपया प्रति वर्ष मिलता है परन्तु यू० एन० आई० को केवल एक लाख रुपया दिया जाता है। यह बात हमारे राष्ट्रीय हित में होगी कि उसे अधिक राशि दी जाये। किसी प्रतिद्वन्द्वी संगठन के न होने के कारण पी० टी० आई० एकाधिकारी संस्था बन गया है। इसे नियंत्रण में क्यों नहीं रखा जा रहा है?

विज्ञापन एजेंसियों में एकाधिकार पर नियंत्रण रखा जाना चाहिये और छोटी विज्ञापन एजेंसियों की रक्षा की जानी चाहिये।

भारत सेवक समाज को अपने जन जागरण विभाग के लिए 4,80,000 रुपये दिये जायेंगे। लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन में एक से अधिक बार यह कहा गया है कि भारत सेवक समाज धन का दुरुपयोग कर रहा है।

[डा० रानेन सेन]

सैंसर बोर्ड ने "घुम भंगाना" नामक एक चित्र को प्रमाणपत्र नहीं दिया है। इसका क्या कारण है ? सैंसर बोर्ड एक घोटाला बन गया है ।

सभी वित्त निगम केवल धंनी संगठनों के लिए वित्त व्यवस्था करते हैं। श्री सत्यजीत राय को अपने चलचित्र "पाथेर पांचाली" के लिए धन के लिए इधर उधर जाना पड़ा। फिल्म वित्त निगम केवल बम्बई के कुछ धनी लोगों को ही सहायता देता है जिनके पास अपना धन काफी है

इस प्रतिवेदन से पता लगा है कि आपातकाल में प्रकाशन विभाग ने सभी भाषाओं में 29 पैम्फलेट प्रकाशित किये जिनकी कुल संख्या 34 लाख थी। उनमें से केवल 2,70,000 प्रतियां बेची गई हैं। मैं जानना चाहता हूं कि जब आपने 34 लाख प्रतियां छापी थीं तो क्या मांग को ध्यान में नहीं रखा गया था ? आपने शेष प्रतियां मुफ्त भी नहीं बांटीं।

मैं पहले ही कह चुका हूं कि मैं सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय की निन्दा नहीं करता बल्कि मैंने यह बातें इसलिए मंत्री जी के ध्यान में लाई हैं कि वह इस पर ध्यान दें और उन्हें ठीक करने का प्रयत्न करें ।

श्री अन्सार हरवानी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सदा ही सूचना और प्रसारण मंत्रालय को महत्वपूर्ण मंत्रालय समझता रहा हूं। मैं माननीय प्रधान मंत्री को वर्तमान मंत्री को चुनने के लिए बधाई देता हूं। भारत को उन पर बहुत आशायें हैं। उन्होंने सीमित समय में मंत्रालय के कार्यों में दृढ़ता लाने के लिए यथासंभव काम किया है। मंत्रालय के कार्यों में काफी सुधार हुआ है ।

यदि श्री नेहरू अधिक समय तक जीवित रहते तो वह समाचारपत्रों का एकाधिकार समाप्त कर देते। अब यह काम उनकी पुत्री के कन्धों पर आ पड़ा है। भारतीय प्रजातन्त्र तथा संसदीय प्रणाली इन समाचारपत्रों के मालिकों के हाथों में गिरवी होकर रह गई है। यदि संसदीय प्रजातन्त्र को जीवित रखना है तो इस एकाधिकार को समाप्त करना होगा। अब समय आ गया है कि सारा देश इस एकाधिकार के विरुद्ध आवाज़ उठाये। एकाधिकार आयोग को प्रेस के एकाधिकार के बारे में पूरी जांच करने का कार्य सौंपना चाहिये ।

समाचार एजेंसियों की हालत भी अधिक अच्छी नहीं है। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इण्डिया का नियंत्रण बड़े बड़े व्यापारियों के हाथों में है। प्रेस आयोग ने सिफारिश की है कि इसे इसी रूप में रखा जाये। परन्तु इसके निदेशक बदले जायें और भारत के मुख्य न्यायाधीश निदेशकों के बोर्ड के अध्यक्ष की नियुक्ति करें। प्रेस ट्रस्ट आफ इंडिया एकाधिकार एजेंसी है। यह आवश्यक है कि सरकार छोटी एजेंसियों के विकास को प्रोत्साहन दे और प्रेस ट्रस्ट आफ इंडिया का एकाधिकार छीन लेना चाहिये ।

बाह्य प्रचार कार्य वैदेशिक-कार्य मंत्रालय के अधीन है। मैं वैदेशिक-कार्य मंत्री से निवेदन करूंगा कि वह इस काम को सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय को सौंप दें। इसके तीन लाभ होंगे, पहला, काम दो विभागों में नहीं बंटेगा। दूसरा, व्यय कम होगा और तीसरा, सूचना सेवा के कर्मचारियों को विदेशों में जाने का अवसर मिलेगा और वापिस आने पर भारत में इस काम का नवीकरण होगा ।

पिछले कुछ वर्षों में आकाशवाणी के काम में काफी सुधार हुआ है परन्तु इसमें और सुधार की आवश्यकता है ।

आकाशवाणी के कार्यक्रमों में से विविध भारती और उर्दू मजलिस कार्यक्रम बहुत लोकप्रिय हुए हैं और मुझे आशा है कि इन कार्यक्रमों के लिए अधिक समय दिया जायेगा ।

अन्त में, मैं माननीय मंत्री को फिर बधाई देता हूं । भारत को उनसे बहुत आशा है ।

Shrimati Shakuntla Devi (Banka) : Mr. Deputy-Speaker, I thank the Minister of Information and Broadcasting who has handled the work of this Ministry efficiently. I support the demands of this Ministry for the year 1965-66.

All India Radio is a huge organisation which is active in every part of the country. It is an institution which has expressed our determination on fundamental issues at the time of chinese invasion. It is a medium to communicate important information and entertainment to the masses. As a woman, I know its importance for house wives during hours of leisure. All India Radio not only entertains our soldiers but also convey to them the messages of the members of their families and similarly the messages of soldiers are also conveyed to their families.

All India Radio programmes have been criticized in some of the English newspapers. Those, who are lovers of English language, do not want to listen programmes in Hindi and in regional languages. Regional programmes are very useful for the villagers The drama "Loha Singh" relayed form Patna Radio was very popular. Programmes in regional languages should be encouraged.

A.I.R. news bulletins need improvement.

Although A.I.R. has made arrangements for obtaining local news in some of the states, yet the local news editor prepares his bulletin. after hearing the central bulletin. The A.I.R. should have such correspondents in the centre who can transmit news of local interest for the local bulletin.

In view of the present circumstances of the country, we should have a more powerful medium-wave transmitter for giving publicity to our ideals. The Government should also have such magazines and journals as are having perverse effect on the young girls and boys. These days one finds obscene posters pasted on walls in villages and cities. Such posters should be banned.

Shri Balmiki (Khurja) : Ever since Shrimati Indira Gandhi took over the charge of the Ministry of Information and Broadcasting, various study groups and committees have been set up. This has given us a new ray of hope. We cannot make appreciable progress unless we obtain high powered transmitters or try to manufacture them in India. In order to bring efficiency in the working of the Ministry, we must make some redical changes in its working. A high power commission should be set up to look into the entire working of the Ministry.

The publications brought out by P.I.B. leave much to be desired. These publications should be used to counter the vicious propaganda made by China and Pakistan against us. Hindi is the national language and it is a language which is understood and spoken by the majority of the people in the

[Shri Balmiki]

country. The language used in these publications for countering the anti-Indian propaganda is very difficult. It cannot be easily understood by a layman. Therefore these publications should be brought out in a language which can be understood by the common man. We are having five year plans for the development of the country ; we are trying to increase our food production. In order that all these things may reach the masses and enlighten them we must bring out illustrated magazines and journals in simple Hindi.

It is a matter to be rejoiced that although our national leaders like Gandhiji and Pandit Jawahar Lal Nehru are no longer with us, yet the voice which inspired us has been recorded by the All India. I hope that this voice will inspire us and promote unity in the country in future.

Shrimati Indira Gandhi, who has inherited the qualities of her father, would be able to boost the morale of the people. The literature meant for awakening the public and combating corruption is not very inspiring.

The working conditions of staff artists and casual artists should be improved. The working of the All-India Radio cannot improve without the co-operation of these people. The red-tapism in services should be done away with. There should not be any disparity between the Hindi and English steno-typists. The artists and other employees should be treated well. The quota for Scheduled castes in this Ministry and its departments should be filled up.

All India Radio did excellent work during the emergency and after the death of Pandit Nehru. It boosted the morale of the people. It successfully met the challenge of Chinese and Pakistani propaganda. It must try to establish contact with the masses.

We must try to eradicate indecency, whether it is in films or in sex-exciting news. I hope this Ministry would make appreciable progress and I call this Ministry the life-live of the country. This life-live would become stronger if it can infuse confidence in the common man.

श्री सेझियान (पेरम्बलूर) : श्रीमती इन्दिरा गांधी की नियुक्ति से सूचना और प्रसारण मंत्रालय में नई स्फूर्ति आ गई है । कैसी भी कठिन समस्या क्यों न हो वह उसे बहुत सरल ढंग से सुलझा लेती हैं । वर्षों से जिसकी हम आलोचना कर रहे हैं, शायद उसकी ओर कुछ ध्यान दिया जायेगा और मंत्रालय की त्रुटियों और कमियों को दूर किया जायेगा ।

आकाशवाणी के कार्य में जांच करने के लिये जो समिति नियुक्त की गई है उसका हम स्वागत करते हैं । हमारा आन्तरिक और बाह्य प्रचार कार्य बहुत मन्द गति से चलता है । जब कभी भी कोई अन्तर्राष्ट्रीय समस्या हो और उसमें भारत के हित भी हों तो हमारे प्रचार-कार्य करने वालों को एकदम मैदान में उतर आना चाहिये और अन्य देशों को असली मामले से अवगत करा देना चाहिये । जब कभी भी हमें सुरक्षा परिषद् में कोई मामला पेश करना हो तो हमें सबसे पहले विश्व की राजधानियों में अपने मामले के बारे में प्रचार करना चाहिये ।

[**श्री खाडिलकर** पीठासीन हुए
SHRI KHADILKAR *in the Chair*]

यह ठीक है कि सत्य की विजय होती है, फिर भी हमें संसार को सत्य से परिचित करा देना चाहिये । हमारा प्रचार कार्य बहुत ही अदूरदर्शी रहा है । इस सम्बन्ध में एक अध्ययन दल की रिपोर्ट का उद्धरण यहां देने योग्य है :

"रेडियो के कार्यक्रमों में राष्ट्रीय कार्यों की अपेक्षा सरकारी विभागों और अधिकारियों का ही अधिक प्रचार किया जाता है ।"

आकाशवाणी को सरकारी कार्यों के प्रचार के साथ साथ जनसाधारण की इच्छाओं तथा महत्वाकांक्षाओं को भी व्यक्त करना चाहिये ।

आकाशवाणी में सभी भाषाओं के साथ उचित तथा समान व्यवहार नहीं किया जा रहा है । हिन्दी यूनिट को काफी बढ़ाया गया है परन्तु अन्य भाषाओं के यूनिटों की उपेक्षा की गई है । यह भेदभाव समाप्त होना चाहिये । यह खेद का विषय है कि भाषा यूनिटों के लिये पर्याप्त स्थान की व्यवस्था नहीं की गई है और वहां पर कोई सुविधाएं भी नहीं हैं ।

हिन्दी समाचार दिन में चार बार प्रसारित किये जाते हैं जबकि अन्य भाषाओं के केवल तीन बार ही प्रसारित किये जाते हैं । इसके अलावा अहिन्दी भाषी राज्यों में हिन्दी में समाचार दिन में एक बार अनिवार्य रूप से प्रसारित किये जाते हैं जबकि हिन्दी भाषी राज्यों में अन्य भाषाओं में समाचार प्रसारित नहीं किये जाते हैं । अतः मेरा निवेदन है कि सही माने में देश के एकीकरण के लिये सभी भाषाओं के साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिये ।

विविध भारती कार्यक्रम दिन में $12\frac{1}{2}$-13 घण्टे तक प्रसारित किया जाता है परन्तु दक्षिण भारत की चारों भाषाओं को मिला कर केवल $1\frac{3}{4}$ घण्टे का समय ही दिया जाता है । तामिल अथवा तेलुगू आदि में प्रसारित किये जाने वाले कार्यक्रमों के बारे में घोषणाएं हिन्दी में की जाती हैं । ये घोषणाएं उन्हीं भाषाओं में होनी चाहियें तथा विभिन्न भाषाओं में समय का बंटवारा न्याय्य ढंग से किया जाना चाहिये ताकि लोग सरकार की नीति भली प्रकार समझ सकें ।

समाचार तो देर से प्रसारित किये ही जाते हैं परन्तु इस मंत्रालय के अन्य विभाग भी इस दिशा में पीछे नहीं हैं । श्रव्य-दृश्य प्रचार (ओडियो-विज़ुअल पब्लिसिटी) विभाग द्वारा 1965 के लिये 5 रुपये की डायरी प्रकाशित की गई है । वह बाजार में दिसम्बर में आनी चाहिये थी परन्तु बाज़ार में वह 27-28 जनवरी से पहले उपलब्ध नहीं हुई थी । छपाई भी गत वर्षों से अच्छी नहीं है और उसमें कोई नवीन बात देखने को नहीं मिलती । देर से प्रकाशित किये जाने के कारण 10,000 डायरियां बिना बिकी पड़ी हैं । इतनी देर के कारण बताये जाने चाहियें ।

समाचार पत्रों की स्वतंत्रता बनी रहनी चाहिये । सरकार को समाचार पत्रों में व्यक्त किये गये विचारों को दबाने की कोशिश नहीं करनी चाहिये चाहे वे कितने ही अरुचिकर हों । मद्रास सरकार ने कुछ समाचार पत्रों के विरुद्ध भारत सुरक्षा नियमों के अधीन मुकदमे चला कर उनका मुंह बन्द कर दिया है । केन्द्रीय आपातकालीन प्रेस मंत्रणा समिति से परामर्श किये बिना समाचार पत्रों के विरुद्ध मुकदमा नहीं चलाया जा सकता । ऐसा करके सरकार ने स्वयं उसके द्वारा किये गये समझौतों का उल्लंघन किया है ।

इस मंत्रालय द्वारा 26 जनवरी से हिन्दी के प्रयोग के बारे में जारी किया गया दिनांक 19 दिसम्बर, 1964 का परिपत्र बहुत ही आपत्तिजनक है । मंत्री महोदय को स्पष्ट उत्तर देना चाहिये कि वह परिपत्र वापस ले लिया गया है या रद्द अथवा संशोधित किया गया है ।

श्रीमती यशोदा रेड्डी (करनूल) : आकाशवाणी का उपयोग केवल मंत्रियों के भाषण प्रसारित करने के लिये ही किया जाता है यह आरोप निराधार है । इसके विपरीत उसमें सभी

[श्रीमती यशोदा रेड्डी]

विचारधाराओं के व्यक्तियों को पर्याप्त अवसर दिया जाता है । आकाशवाणी देश के अन्दर तथा बाहर प्रचार का सबसे शक्तिशाली साधन है । इसलिये सरकारी नीतियों आदि के प्रसारण को आकाशवाणी द्वारा अधिक समय तथा महत्व दिया जाना उचित ही है । मेरा निवेदन है कि आकाशवाणी में राष्ट्रीय आपात, आयोजना, सांस्कृतिक तथा शिक्षा सम्बन्धी कार्यक्रमों को कुछ अधिक समय दिया जाना चाहिये ।

[श्री तिरुमल राव पीठासीन हुए ।
SHRI THIRUMALA RAO *in the Chair*]

चीनी आक्रमण के समय आकाशवाणी का योगदान बहुत ही सराहनीय रहा और श्री नेहरू के देहावसान के समय भी उसने बहुत ही अच्छे ढंग से कार्यक्रम प्रसारित किये ।

आजकल आकाशवाणी से हर दूसरे या तीसरे दिन समाचार समीक्षा कार्यक्रम प्रसारित किया जाता है । मंत्री महोदया यह नया कार्यक्रम चालू करने के लिये बधाई की पात्र हैं । आकाशवाणी से खेलों के बारे में आंखों देखा हाल भी प्रसारित किया जाता है । इस सम्बन्ध में मेरे माननीय मित्र विज्जी विशेष प्रशंसा के पात्र हैं । समाचार अथवा आंखों देखा हाल प्रसारण करने वाले व्यक्ति अधिक अनुभव प्राप्त व्यक्ति होने चाहियें । विशेषकर महिला "अनाऊंसर" शब्द उच्चारण पर अधिक बल देती हैं । उन्हें समाचारों की पृष्ठभूमि का ज्ञान नहीं होता । उन्हें राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय विषयों के महत्व को समझ कर ही घोषणाएं करनी चाहियें । बिना समझे उन्हें पढ़ देना ही काफी नहीं है ।

यह खेद की बात है कि हिन्दी हमारी राज भाषा होते हुए भी सबसे निम्न कोटि के चलचित्र इसी भाषा में होते हैं । ऐसे चित्रों में नैतिकता तथा चरित्र पर बल देने की बजाय अनैतिकता तथा चरित्रहीनता का ही बोलबाला दिखाई पड़ता है । सैंसर बोर्ड को इस बारे में अधिक सतर्क रहना चाहिये । फिल्म वित्त निगम को अच्छे फिल्म निर्माताओं को हर प्रकार का प्रोत्साहन देना चाहिये ।

मैं "प्रेस ट्रस्ट आँफ इंडिया" के सरकार द्वारा अपने हाथ में लिये जाने के पक्ष में नहीं हूं । न ही ऐसा करना लोकतंत्रीय पद्धति के अन्तर्गत वांछनीय ही होगा । सरकार के कहने पर "प्रेस ट्रस्ट आँफ इंडिया" तीन शर्तों का पालन करने के लिये रज़ी हो गया था । यदि उन शर्तों का पालन किया जाता है तो अन्य कोई कार्रवाई करने की आवश्यकता नहीं है । परन्तु उनका पालन होना ज़रूरी है ।

कड़प्पा स्टेशन से मौलिक कार्यक्रम प्रसारित किये जाने चाहियें और वह केवल "रिले" स्टेशन ही नहीं रखना चाहिये । इस पर 20 लाख रुपये खर्च होते हैं और बहुत थोड़े समय के लिये कार्यक्रम रिले किये जाते हैं । इस मामले पर विचार किया जाना चाहिये ।

तबादले के मामलों में विशेष कर जबकि पति तथा पत्नी दोनों ही सरकारी नौकरी में हों, सहानुभूति दिखाई जानी चाहिये ।

श्री खाडिलकर (खेड) : यह प्रसन्नता की बात है कि वर्तमान मंत्री ने यह महसूस किया है कि अकाशवाणी को स्वतंत्र भारत के निरन्तर बदलते हुए वातावरण के मुताबिक ढालने की दिशा में कोई प्रयत्न नहीं किया गया है । इसी कारण हाल में ही स्वतंत्र हुए कुछ देशों से हम प्रसारण

के मामले में काफी पीछे हैं। इसलिए इस दिशा में सुधार के कुछ कदम उठाये जाने की आवश्यकता है।

यूनेस्को ईयर बुक, 1962, में स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद के इतने थोड़े से समय में ही चीन द्वारा प्रसारण के क्षेत्र में की गई प्रगति का उल्लेख है। वहां पर रेडियो श्रमिक वर्ग के जीवन का एक अंग बन गया है और इकट्ठे होकर रेडियो सुनने की आम प्रथा है। शिक्षा सम्बन्धी प्रसारण भी सप्ताह में आठ बार किये जाते हैं और उस के अन्तर्गत सभी विषय आ जाते हैं। "सन्डे रेडियो यूनिवर्सिटी" कार्यक्रम भी सप्ताह में चार बार प्रसारित किया जाता है।

मेरा यह सब कहने का तात्पर्य यह है कि हमें भी उन की नकल करनी चाहिये और इन सब तरीकों को अपने यहां लागू करने की कोशिश करनी चाहिये। रेडियो को उन सब के लिये एक विश्वविद्यालय के रूप में कार्य करना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों में उन स्कूलों को रेडिओ सेट दिये जाने चाहियें जहां अच्छे अध्यापक उपलब्ध नहीं हैं। देश के शैक्षणिक, सामाजिक तथा राजनैतिक जीवन में उत्साह उत्पन्न करने के लिए रेडियो का उपयोग किया जाना चाहिये। इसलिये आकाशवाणी के लिये एक प्रभावशाली श्रोता अनुसंधान संगठन स्थापित करना जरूरी है।

आकाशवाणी को एक निगम के रूप में चलाने का सुझाव स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। हम देश में सामाजिक, राजनैतिक तथा आर्थिक क्रान्ति लाना चाहते हैं। इसलिये रेडियो पर सरकार का नियंत्रण होना चाहिये। सरकार ही उसका सही प्रकार से संचालन कर सकती है।

सस्ते रेडियो सेटों का निर्माण करने के लिये सरकारी क्षेत्र में एक कारखाना खोला जाना चाहिये जिससे 40 अथवा 50 रुपये में जनसाधारण को रेडियो सेट उपलब्ध किये जा सकें।

औरंगाबाद के लोग एक रेडियो स्टेशन चाहते हैं। प्रत्येक क्षेत्र की अपनी संस्कृति है। एक स्थान से ही सेवाओं का संचालन लोगों के लिये हितकर नहीं है। प्रत्येक क्षेत्र में एक डायरेक्टर होना चाहिये। हर क्षेत्र के लोगों में चेतना आ गई है। इसलिये, प्रत्येक क्षेत्रीय रेडियो स्टेशन को वहां के लोगों की इच्छाओं के अनुसार ही अपने को ढालना चाहिये और उसके कार्यक्रमों से लोग संतुष्ट होने चाहियें। यही उसकी सफलता का परिचायक है।

रेडियो पर मख्य-मुख्य विषयों पर चर्चा की व्यवस्था की जानी चाहिये। विभिन्न राजनीतिक दलों के व्यक्ति उस चर्चा में भाग ले सकते हैं। इससे देश में लोकतंत्र की जड़ें मजबूत होंगी।

सब से बड़ी आवश्यकता यह है कि आकाशवाणी को केवल भारतीय जीवन के सभी पहलुओं तथा विश्व के बहुमुखी विकास का ही प्रतिबिम्ब नहीं व्यक्त करना है अपितु उसे निकट भविष्य तथा आगे का भी ध्यान रख कर चलना है। आकाशवाणी पर बड़ा भारी उत्तरदायित्व है और उसे हर स्थिति का विश्वास के साथ सामना करने के लिये तैयार रहना चाहिये।

Shri Y. D. Singh (Shahabad) : This Ministry has failed to publicise the language policy of the Government of India through A.I.R. and other media like advertisements etc. It was their duty to make it clear to the people in various parts of the country that after 26 January, 1965, Hindi was not going to be imposed on the Central or State Governments and their employees and that the States which had not passed any legislation to conduct their work in Hindi or in regional languages would continue to conduct their official work in English. Their failure to explain the language policy resulted in widespread acts of violence in Tamil Nad. Students there were misled

[Shri Y. D. Singh]

and encouraged to indulge in lawless activities. The Ministry has therefore failed to discharge its primary duty.

In the matter of giving Government advertisements to the newspapers, the Ministry has been following a discriminatory policy. A much larger percentage of these advertisements is given to the English newspapers. In order to encourage Hindi, the English and Hindi newspapers should be considered at par in the matter of giving advertisements. The advertisements should be given to all newspapers irrespective of their pro-Government or anti-Goverment out look so that small papers may increase their readership and also preserve their independent outlook.

Justice has not been done in the case of staff artistes employed in the A.I.R. Unless their pay scales are raised and unless their selection is made on merit, we cannot bring about any improvement in the programmes broadcast by A.I.R.

The cricket commentary broadcast by the A.I.R. is very lively and entertaining. Maharajkumar Vijayanagaram deserves special mention in this connection.

With the establishment of the Press Council, the standard of our newspapers will no doubt be improved. But the setting up of the council is likely to take some time. Some periodicals like "Indian Observer" and "Confidential Adviser" publish obscene news and literature. In the name of independence of the press, such anti-social and obsence literature should not be allowed to be published and serious action is called for against such periodicals.

The Press Information Bureau should serve as a helping hand to the accredited correspondents rather than putting obstacles in their way. Whether it is a question of conducted tours or press briefings, the correspondents of Indian language newspapers should not be discriminated against. The U.N.I. should be given more funds so that they can have the services of efficient journalists at their disposal and carry on the Indian publicity abroad more effectively.

It is regrettable that there has been no improvement in the standard of our films. The work of organising the International Film Festival which was held recently in India had been entrusted to bad hands. They had no background about that work.

Many films were shown which had not been included in the competition. They were of low standard and attracted great rush because of their bent on obscenity. This should not have been allowed because public exhibition of such obsence films would affect our film industry adversely.

The hon. Minister should devote more time to her Ministry and take overall charge of the Ministry so that the imprint of her personality may be reflected in the activities of this Ministry.

श्री च० का० भट्टाचार्य (रायगंज) : केन्द्रीय आपातकालीन प्रेस मन्त्रणा समिति ने बहुत सराहनीय ढंग से कार्य किया है और यह आपातकाल के दौरान सरकार और प्रेस के बीच अच्छे सम्बन्ध बनाये रखने में सफल हुई है। यही कारण है कि सरकार को अपनी आपातकालीन शक्तियों का कम से

कम उपयोग करना पड़ा है। श्री सेझियान ने मद्रास के कुछ समाचार पत्रों के विरुद्ध मद्रास सरकार द्वारा चलाये गये अभियोगों का उल्लेख किया है। यह जरूर किसी गलतफहमी के कारण हुआ है और यह अब भी दूर की जा सकती है। ऐसे समाचारपत्रों के विरुद्ध, जिनकी 10,000 से अधिक प्रतियां बिकती हैं, केन्द्रीय आपातकालीन प्रेस मन्त्रणा समिति से परामर्श किये बिना अभियोग नहीं चलाया जा सकता है। इसलिये मद्रास सरकार को उनके विरुद्ध कार्रवाई करने से पहले केन्द्रीय गृह मन्त्रालय की सलाह लेनी चाहिये थी। गृह-कार्य मन्त्रालय राज्य सरकार को अब भी यह सूचना भेज सकता है कि भविष्य में ऐसे पत्रों के विरुद्ध, जिनकी 10,000 से अधिक प्रतियां बिकती हैं, अभियोग चलाने से पहले उसे केन्द्रीय आपातकालीन प्रेस मन्त्रणा समिति से परामर्श करना चाहिये। यदि समाचार पत्रों पर कोई अभियोग लगाया गया है तो अब भी उन्हें समिति के सामने निर्णय के लिए रखा जा सकता है।

विरोधी दल प्रायः इस बात के अभ्यस्त हो गये हैं कि वह आकाशावाणी पर सरकारी संस्था होने का और कांग्रेस दल की संस्था होने का आरोप लगाते हैं। मैं निर्भीकतापूर्वक कह सकता हूं कि इस प्रकार के दोषारोपण का कोई आधार नहीं है। पहले जब इस प्रकार की शिकायतें की गई थीं तो स्वयं मैंने तथ्यों की जांच की। यह सिद्ध करने के लिए मैं आंकड़े प्रस्तुत कर सकता हूं कि आकाशवाणी ने कांग्रेस सदस्यों की अपेक्षा विरोधी दल के सदस्यों को अधिक प्राथमिकता दी है। यदि कांग्रेसी सदस्य इस प्रकार की शिकायतें करें तो उनमें किसी सीमा तक वास्तविकता हो सकती है। समाचारपत्रों के बारे में भी यही बात लागू होती है।

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय ने प्रतिरक्षा सम्बन्धी प्रचार तथा राष्ट्रीय आपातकालीन प्रचार की दिशा में अत्यन्त सराहनीय कार्य किया है जिसके लिए मन्त्रालय बधाई का पात्र है।

गांधीजी ने अपने जीवनकाल में, बिना किसी तैयारी के दिये गये भाषणों में, अविस्मरणीय बातें कही हैं जो पुराने समाचार पत्रों में उपलब्ध हैं। अतः गांधी यूनिट' को इन भाषणों को एकत्रित करने के लिए प्रयत्न करने चाहिए।,

सरकार को समाचार पत्रों के लिए पर्याप्त मात्रा में अखबारी कागज की व्यवस्था करनी चाहिए और इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिये कि अखबारी कागज की कमी के कारण समाचार पत्रों को अपनी प्रतियों की संख्या कम न करनी पड़े। यह दुःख की बात है कि अब भी समाचारपत्रों पर कुछ प्रभावशाली लोगों का एकाधिपत्य बना हुआ है। स्वर्गीय प्रधान मन्त्री इसे समाप्त करना चाहते थे। इसी उद्देश्य से उन्होंने प्रेस परिषद् की स्थापना की थी। यदि सरकार देश में पत्रकारिता का विकास करना चाहती है तो समाचारपत्रों का एकाधिपत्य समाप्त किया जाना चाहिए।

मैं चल चित्र सेन्सरशिप के बारे में केवल एक सुझाव देना चाहता हूं। चलचित्र अधिनियम में संशोधन करके आयु वयस्कता को 18 वर्ष से बढ़ा कर 20 वर्ष कर दिया जाये।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
MR. SPEAKER *in the Chair*)

सरकार को पाकिस्तान में बनाई जाने वाली तथा वहां पर दिखाई जाने वाली फिल्मों के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी रखनी चाहिए क्योंकि वहां पर दिखाई जाने वाली फिल्मों के द्वारा भारत के विरुद्ध नवयुवकों में घृणा पैदा की जाती है।

[श्री च० का० भट्टाचार्य]

स्वर्गीय टैगोर द्वारा कांग्रेस के अधिवेशन में गाया हुआ 'वन्देमातरम्' गीत का मूल रिकार्ड कलकत्ता में उपलब्ध है जो बहुत पुराना हो चुका है। मन्त्रालय को इस रिकार्ड को प्राप्त करके उसे आकाशवाणी में दुबारा तैयार करवाना चाहिए। भारत में अनेक प्रमुख संगीतज्ञ हुए हैं। मन्त्रालय को उनके रिकार्ड तैयार करके उन संगीतज्ञों को मान्यता देनी चाहिए।

Shri G. S. Musafir (Amritsar) : It is a matter of great satisfaction to know that there has been a great improvement in the working of All India Radio. Through its various programmes, the All India Radio has been able to make a great contribution towards the promotion of national integration.

I want to make a suggestion that All India Radio should be converted into a public corporation. It would enable the organisation to present better programmes and at the same time, Government could get handsome amount of revenue by taxes and licence fee from the organisation.

There is a shortage of television sets in our country, unless adequate steps are taken to manufacture television sets in India keeping in view the purchasing capacity of the people, any ambitious programme for manufacturing for television sets in our country would not be very successful.

It is unfortunate that there is no arrangement for the training of the staff of All India Radio whereas in other spheres training facilities are available. It is therefore, very essential that arrangements should be made to give proper training to the staff of All India Radio and for this purpose a training college should be opened.

With a view to see that the rural programmes of the All India Radio are heard by a larger number of people in villages, the Government should take steps to manufacture more and more low-priced transistors in the country. We have enough capacity in our country to manufacture such cheap radio sets. It would make the rural programmes more and more popular.

It is unfortunate that Punjabi language has received a step-motherly treatment in All India Radio. The Programmes of All India Radio are not printed in Punjabi language. The time allotted for Punjabi programmes at Delhi and Jullunder Stations is also not sufficient. Punjabi is an important language and it has the capacity to inspire people to undertake great and heroic deeds. Therefore, it should be given a proper place in programmes of All Indis Radio. A radio station should be set up exclusively for the benefit of the Punjabi region.

More facilities should be given to the Staff Artistes of All India Radio.

श्री कर्णीसिंहजी (बीकानेर) : यद्यपि सूचना और प्रसारण मन्त्रालय की सदस्यों द्वारा सराहना की गई है, फिर भी इस तथ्य से इंकार नहीं किया जा सकता कि मन्त्रालय ने अपने अधीन उन विविध प्रचार साधनों का पूरी तरह उपयोग नहीं किया है जो देश की जनता की विचारधारा को मोड़ कर नियन्त्रित कर सकते हैं। दृष्य प्रचार माध्यम की बहुत बुरी तरह उपेक्षा की गई है।

मन्त्रालय ने समाचार-चित्रों के सम्बन्ध में बहुत सराहनीय कार्य किया है। इनके माध्यम से देश में होने वाले विकास सम्बन्धी कार्यों के बारे में जनता को अवगत कराने में काफी सफलता मिली है।

[श्री कर्णी सिंहजी]

जहां तक टेलीविजन तथा अधिक शक्तिशाली ट्रांसमिटरों का सम्बन्ध है, सभा को बताया गया है कि आगामी 20 वर्ष में देश भर में टेलीविजन के लिए 250 ट्रांसमीटर लगाये जायेंगे । मैं समझता हूं कि भारत जैसे विशाल देश में टेलीविजन के विकास के लिए सरकार द्वारा निर्धारित 20 वर्ष की अवधि बहुत लम्बी है । इस कार्यक्रम में शीघ्रता करने की नितान्त आवश्यकता है । हम से छोटे छोटे देश भी इस दिशा में बहुत आगे बढ़ चुके हैं ; मैं अधिक विस्तार में न जा कर इस सम्बन्ध में केवल एक सुझाव देना चाहता हूं । यद्यपि रेडियो तथा टेलीविजन व्यवस्था पर सरकार का पूरा नियंत्रण रहना चाहिए फिर भी इन्हें आंशिक रूप में वाणिज्यिक आधार पर कार्य करने की अनुमति दी जानी चाहिए ।

मन्त्री महोदय को नीति सम्बन्धी एक स्पष्ट वक्तव्य देना चाहिए कि आगामी दस वर्षों में टेलीविजन का विकास किस प्रकार किया जायेगा । दिल्ली में टेलीविजन सेट सन्तोषजनक कार्य नहीं कर रहे हैं । कलकत्ता, मद्रास जैसे बड़े नगरों में भी टेलीविजन की व्यवस्था की जानी चाहिए । मैंने जापान में बहुत सस्ते टेलीविजन सेट देखे । सरकार को बताना चाहिए कि देश में टेलीविजन सेटों के, विशेषतया ऐसे ट्रांजिस्टर सेटों के, जो जापान में बनाये जाते हैं और जो बहुत सस्ते हैं, निर्माण करने की क्या कोई योजना है । चौथी पंचवर्षीय योजना में टेलीविजन कार्यक्रम को प्राथमिकता दी जानी चाहिए ।

इस समय अधिक शक्तिशाली ट्रांसमीटर सम्बन्धी प्रश्न पर देश में सभी व्यक्तियों का ध्यान केन्द्रित है । यह सर्वविदित है कि कुछ विवाद उत्पन्न हो जाने के कारण हमें ट्रांसमीटर सम्बन्धी वायस ऑफ अमरीका करार रद्द करना पड़ा । हमें इस समय अधिक शक्तिशाली ट्रांसमीटरों की अत्यन्त आवश्यकता है । अतः इस मामले में और अधिक विलम्ब करना देश के लिए हानिकारक होगा । सुदूर पूर्व देशों में रहने वाले लाखों भारतीय भारत से प्रसारित होने वाले कार्यक्रम के लिए तरसते हैं । अतः समय की मांग को देखते हुए हमें पूर्व और पश्चिम के भेद भाव को भुला कर जिस देश से भी उपलब्ध हो सके हमें अधिक शक्तिशाली ट्रांसमीटर खरीदने चाहिएं ताकि हम चीन और पाकिस्तान द्वारा विदेशों में भारत के विरुद्ध किए जाने वाले विषैले और विध्वंसक प्रचार का खण्डन कर सकें । आज की स्थिति को देखते हुए इसे सूचना और प्रसारण का मामला समझने के बजाय प्रतिरक्षा का मामला अधिक समझा जाना चाहिए । इसका महत्व देखते हुए मन्त्री महोदय को इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य देना चाहिए ।

समाचार-चित्रों में खेल-कूद के सम्बन्ध में बहुत कुछ दिखाया जाता है । आशा है क्रिकेट और फुटबाल की भांति अन्य खेलों को लोकप्रिय बनाने के लिए समाचार-चित्रों द्वारा उनका प्रचार किया जायेगा । आज परिवार-नियोजन की समस्या महत्वपूर्ण बनी हुई है । समाचार-चित्रों द्वारा परिवार-नियोजन योजना को लोकप्रिय बनाया जाना चाहिए ।

अन्त में मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि राजस्थान में उदयपुर तथा बीकानेर के बीच खोले गये दो नये रिले स्टेशनों को एक दो घंटे स्वतन्त्र रूप से प्रसारण करने की अनुमति दी जानी चाहिए ।

श्री इन्द्रजीत लाल मल्होत्रा (जम्मू तथा काश्मीर) : प्रायः देखा गया है कि जब कभी भी मन्त्रालय द्वारा किसी कार्य के लिए कोई समिति नियुक्त की गई तो दूसरे कामों में शिथिलता पैदा हो जाती है । यह सराहनीय बात है कि अभी हाल में मन्त्री महोदया ने मन्त्रालय के कामकाज की जांच करने के लिए चन्दा समिति नियुक्त की है । आशा है यह सम्मति प्रशासन में सुधार करने की दिशा में सराहनीय कार्य करेगी ।

[श्री इन्द्रजीत लाल मल्होत्रा]

सूचना और प्रसारण का कार्य बहुत ही महत्वपूर्ण है। अतः इसमें योग्य तथा प्रशिक्षण प्राप्त कर्मचारी होने चाहिए। किन्तु यह दुर्भाग्य की बात है कि सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने की आज तक कोई व्यवस्था नहीं की गई है। ऐसा एक भी प्रशिक्षण केन्द्र नहीं है जहां एक स्नातक जाकर किसी विशेष कार्य में अपने आपको प्रवीण बना सके और इस विभाग के लिए अधिक उपयोगी सिद्ध हो सके। मन्त्रालय में अनुसन्धान सम्बन्धी सुविधाओं की कोई व्यवस्था नहीं है। मन्त्रालय में एक भी विभाग ऐसा नहीं है जो पूर्ण रूप से अनुसन्धान कार्य करके नये तरीकों की खोज करता हो।

इस समय कृषि सम्बन्धी लगभग 250 छोटी छोटी उपयोगी पत्रिकायें प्रकाशित होती हैं। इन पत्रिकाओं को अखबारी कागज की कमी के कारण बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। मन्त्री महोदया को छोटे-छोटे समाचार पत्रों की विभिन्न कठिनाइयों की जांच करके उन्हें दूर करने के लिए उचित कार्यवाही करनी चाहिए।

केन्द्रीय सूचना सेवा प्रशासन में सुधार करने की दृष्टि से स्थापित की गई थी। किन्तु इस दिशा में आशाजनक प्रगति नहीं हो पाई है। यदि वास्तव में प्रशासन में सुधार करना है तो केन्द्रीय सूचना सेवा के अधिकारियों के वेतनक्रम बढ़ाये जाने चाहिए।

हमारे वैदेशिक प्रचार की व्यवस्था का सम्बन्ध सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के साथ जोड़ा जाना चाहिए। यदि वास्तव में वैदेशिक प्रचार में सुधार करना है तो यह उत्तरदायित्व सूचना और प्रसारण मन्त्रालय को ही सौंपा जाना चाहिए।

अन्त में मैं वृत्त-चित्रों के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। हमारे फिल्म डिवीजन को अमरीका में तैयार किये गये "इयर्स आफ लाइनिंग एण्ड डेज आफ ड्रम" तथा विंस्टसन चर्चिल की जीवनी पर "दी फाइनेस्ट अवर" जैसे वृत्त-चित्र तैयार करने चाहिए। यदि आवश्यक हो तो इसे इस प्रयोजन के लिए उपयुक्त तकनीकी सहायता भी लेनी चाहिए।

Shri Prakash Vir Shastri (Bijnor) : The Ministry's policy of indifference towards Hindi, which has become official language of the country, after the 26th January, 1965, is deplorable.

On a number of occasions it was suggested to the Ministry that the Hindi speeches made in the Parliament and in the Legislative Assemblies of the Hindi-Speaking States should be broadcast in their original form by All India Radio. The Capitals of such States have arrangements for Hindi teleprinter service also. But nothing has been done in this direction, and all the Hindi speeches are first translated into English and then broadcast. In the Publication Division of the Ministry also, Hindi is being given unfair treatment. During the last year, only 32 Hindi publications were brought out while the number of English publications in the same period was 358. The number of English editors in the Division is 16, while the number of Hindi editors is only two.

The coverage of All India Radio in regard to the language issue in its news bulletins is also not very fair. While anti-Hindi incidents were adequately covered, no mention was made in the main English news bulletins about Shri Bhakata vatsalam's statement that the reasons behind suicide cases in south were health and domestic worries.

The Ministry had issued a circular about the use of Hindi after the 26th January, 1965. It was a very simple circular and there was nothing in it which was against the constitutional provisions and still, the Ministry decided to withdraw it. This is very unfair on the part of the Ministry.

The Minister should see that the news agencies supply news to All India Radio and newspapers in a balanced manner. For this it is necessary that we have Indian languages news agencies in our country and so long it is not done we must give proper encouragement to the existing Hindi news agencies.

Hindi is being discriminated in the matter of newsprint and advertisements. The present policy of giving preference to English newspapers should be stopped atonce.

Obscene newspapers and magazines are being brought out increasingly and the Capital of India is perhaps leading in this matter. The Government should look into the matter and take necessary action to curb such publications.

The news bulletins broadcast by All India Radio are full of political news. They should give proper coverage to the social, cultural and educational activities also.

The Hindi news bulletins should be broadcast on an all India basis; they should not just be relayed by the regional stations. The number of Hindi news bulletins should also be increased.

The standard of all the programmes of All India Radio should be raised and rural programmes should be made more popular.

Shri Bagri (Hissar) : The A.I.R. gives prominence to the statements of Ministers or leaders of the ruling party and it does not publicise the various activities in the country. Radio has been vital role to play in a democratic country. It should be used to educate and organise 45 crore people of India. The Radio can reach the masses of this country not through a foreign language which is spoken by only 45 lakh people in this country but only through the medium of Hindi and other Indian languages.

In the A.I.R. broadcast and also in English newspapers which receive a major share of Government advertisements, the speeches made in Parliament in English language are given greater coverage and the Hindi speeches hardly find any place. We cannot deliver the goods by neglecting Hindi and other Indian languages. They have to be given every encouragement in the interest of the masses of this country.

The English mewspapers publish many baseless news and they are not even corrected afterwards.

The radio artists are employed in the A.I.R. on contract basis and they do not enjoy the same rights and privileges which other Government servants enjoy. When such a discrimination is being practised in services, it is preposterous to talk of socialism.

The radio should also be made an instrument of imparting higher education to the people, but it is regrettable that Government has failed to examine this oft repeated suggestion in all seriousness.

[Shri Bagri]

In the interest of Indian listerners, the A.I.R. should give more and more time for broadcasts in various Indian dialects.

श्री बासप्पा (तिपतुर) : यह प्रसन्नता का विषय है कि आकाशवाणी देहाती कार्यक्रमों को अधिक समय देने लगा है ।

कार्यक्रमों में काफी सुधार की गुंजाइश है और समाचारों के प्रसारण में अधिक सावधानी बरती जानी चाहिये । छोटी-छोटी घटनाओं को अधिक महत्व दिया जाता है जब कि महत्वपूर्ण घटनाओं के यथार्थ समाचार नहीं दिये जाते । इन सब बातों की जांच की जानी चाहिये ।

लोक गीत, शास्त्रीय संगीत, संस्कृत कार्यक्रम आदि अनेक कार्यक्रम आकाशवाणी से प्रसारित किये जाते हैं । परन्तु यही काफी नहीं है और इन कार्यक्रमों में क्रान्ति लाने की आवश्यकता है । "संसद में आज की कार्यवाही" कार्यक्रम को अधिक समय दिया जाना चाहिये । नगरीय क्षेत्र के समाचारों के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्र के समाचारों का भी प्रसारण किया जाना चाहिये और इसके लिये ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अधिक संख्या में संवाददाता भरती किये जाने चाहिये ।

आकाशवाणी को सरकारी नीति के साथ साथ जनता की राय को भी व्यक्त करना चाहिये । सीमान्त प्रचार तथा वैदेशिक प्रचार में बहुत अधिक सुधार की गुंजाइश है । यूरोप के देशों से भारतीय समाचार सुनाई नहीं पड़ते हैं । हमें शक्तिशाली ट्रांसमीटर प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिये जिससे कि हमारी खबरें विदेशों में सुनी जा सकें ।

हिन्दी नाटकों के साथ साथ सभी 14 भाषाओं में नाटकों की व्यवस्था की जानी चाहिये । प्रेस सूचना कार्यालय सरकार की नीतियों को स्पष्ट करने में पूर्णतया सफल नहीं हुआ है । भारतीय भाषाओं में निकलने वाले समाचारपत्रों को अधिक मात्रा में अखबारी कागज दिया जाना चाहिये । विभिन्न पुस्तकों का एक भाषा से दूसरी भाषा में अनुवाद किया जाना चाहिये ।

भारतीय फिल्मों को राज पुरस्कार देने के मामले में अधिक सावधानी बरती जानी चाहिये । सेंसर बोर्ड उसी फिल्म को प्रदर्शित करने की अनुमति दे जो उचित स्तर की हो । सिनेमाघरों के मालिकों को हिदायत दी जानी चाहिये ताकि राष्ट्रीय ध्वज तथा राष्ट्रीय धुन के प्रति उचित सम्मान प्रदर्शित किया जा सके ।

हालांकि देश में टेलीविजन चालू करने में कठिनाइयां हैं फिर भी शहरों में टेलिवीजन शुरु करने की दिशा में प्रयत्न किया जाना चाहिये ।

श्री कोया (कोजीकोड) : लोकतन्त्र में समाचारपत्रों का स्थान बहुत ऊंचा है । सरकार को अखबारी कागज सम्बन्धी अपनी आयात नीति में परिवर्तन करना चाहिये और अधिक मात्रा में अखबारी कागज के आयात की अनुमति देनी चाहिये । समाचारपत्रों को अखबारी कागज की 30 प्रतिशत मांग नेपा कागज से पूरी करने के लिये बाध्य किया जाता है जो बहुत महंगा तथा साथ साथ खराब भी है । यह नीति ठीक नहीं है । नेपा कागज की किस्म में सुधार करने के बारे में विचार किया जाना चाहिये ।

जहां तक सरकारी विज्ञापन देने का सम्बन्ध है, सरकार-समर्थक तथा विरोधी समाचार-पत्रों के बीच कोई भेदभाव नहीं बरता जाना चाहिये । इस सम्बन्ध में भारतीय भाषाओं में प्रकाशित होने वाले तथा अन्य छोटे समाचारपत्रों की उपेक्षा भी नहीं की जानी चाहिये ।

आकाशवाणी के त्रिवेन्द्रम-कोजीकोड स्टेशन के स्थान पर दो पृथक् स्टेशन स्थापित किये जाने चाहियें। अन्य राज्यों में भी एक से अधिक स्टेशन हैं इसलिये केरल के प्रति भिन्न दृष्टिकोण नहीं अपनाया जाना चाहिये ।

रेडियो तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के प्रकाशनों को सत्तारूढ़ दल के प्रचार के लिये प्रयोग में नहीं लाया जाना चाहिये । अल्पसंख्यक वर्ग सम्बन्धी कार्यक्रमों में उनकी संस्कृति तथा धर्म से सम्बन्धित विषयों को प्राथमिकता दी जानी चाहिये ।

मलयालम भाषी लोग सभी देशों में बसे हुए हैं । इसलिए आकाशवाणी के वैदेशिक प्रसारण कार्यक्रम में मलयालम कार्यक्रमों को पर्याप्त समय दिया जाना चाहिये ।

Shri Vishram Prasad (Lalgnaj): The expenditure of the Publications Division has been constantly increasing and its revenue is on the decline. It is due to faulty pricing policy. Physical verification of stock is also not undertaken at regular intervals. After 1954 the physical verification was undertaken in 1961 after a gap of 7 long years and a shortage worth Rs. 1,76,498 was discovered. No body has so far been held responsible for that shortage be cause it is too late now.

There is a Business Wing in the Publications Division. Whenever a man is promoted he is not asked to hand over charge to the next man. After the promotion of able officers, unsuitable and inefficient persons are promoted to take their places. All this has resulted in this great shortage. So my submission is that a Committee should be appointed to ascertain the number of persons promoted from junior posts to higher posts in the last ten years. From each publication 100 books are to be distributed free to promote rates. But instead they are routed to the houses of employees working in the Business Wing. As the charge is not handed over, this thing goes undetected.

The Special Reorganisation unit of the Finance Ministry has recommended the merger of the Business Wing with the Publications Branch of the Works and Housing Ministry because both deal with the same thing. This recommendation should be implemented without any further delay.

At least some Harijans should be associated with the Collected Works of Mahatma Gandhi because at present out of 80 to 90 persons attached to it none is a Harijan.

The hon. Minister should inform the House as to what extent the reserved seats have been filled up in class II, III and IV services.

श्री जं० ब० सि० बिष्ट (अल्मोड़ा) : अध्यक्ष महोदय, मैं सदन का अधिक समय लेना नहीं चाहता और मैं केवल सरकार की विज्ञापन नीति तक ही सीमित रहूंगा । मुझे यह कहते हुए तनिक भी संकोच नहीं होता कि वर्तमान नीति केवल बड़े समाचारपत्रों के पक्ष में है और छोटे समाचारपत्रों के विकास में बाधक है । मुद्रणालय आयोग (प्रेस कमीशन) ने अपने प्रतिवेदन में प्रेस के एकाधिकारों पर नियंत्रण लगाने तथा समाचारपत्रों के आधिपत्य को समाप्त करने की चर्चा की है । छोटे समाचारपत्रों के विकास के लिए ये सरकार की इच्छा की पवित्र घोषणायें मात्र हैं । किन्तु वास्तविकता यह है कि उन समाचारपत्रों को स्वावलम्बी बनाने के लिये कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है ।

[श्री जं० ब० सिं० बिष्ट]

समाचारपत्रों के अधिकांश आय विज्ञापनों से होती है । उत्पादन की बढ़ती हुई लागत के कारण समस्त आय में परिचालन आय का बहुत थोड़ा हिस्सा होता है । उत्तम श्रेणी के तथा अच्छे व चमकदार कागज वाले समाचारपत्रों के अतिरिक्त जिन्ह ऊंचे मूल्य पर खरीदने के लिए ग्राहक मिल जाते हैं, अधिकांश समाचारपत्र लागत -मूल्य से काफी कम कीमत पर बिकते हैं, वे इस घाटे को विज्ञापन से होने वाली आमदनी से पूरा करते हैं । जब कि बड़े समाचारपत्रों को विज्ञापनों से काफी अधिक आय होती है । वे प्रायः 45 से 55 प्रतिशत स्थान विज्ञापनों के लिये देते हैं । छोटे समाचारपत्रों में 10 से 15 प्रतिशत तक स्थान भी विज्ञापनों के लिए नहीं होता है । यदि सरकार इनके विज्ञापनों के कोटे को और अधिक बढ़ा कर इन्हें सहायता न दे तो उन में से अधिकांश समाचारपत्र या तो बन्द हो जायेंगे या उनकी स्थिति संकटपूर्ण बनी रहेगी ।

जब कभी इस सम्बन्ध में प्रश्न उठाया जाता है तो यह उत्तर दिया जाता है कि सरकार छोटे तथा भाषाई समाचारपत्रों को पर्याप्त विज्ञापन दे रही है । यह ठीक है किन्तु यदि विज्ञापन सम्बन्धी स्थान नियत करने की दर को देखा जाये तो यह स्पष्ट हो जायेगा कि वास्तव में इनसे छोटे समाचार-पत्रों को जो आय होती है, वह केवल नाममात्र की होती है । प्रायः सरकार छोटे साप्ताहिकों को 1 रुपया 20 पैसे प्रति सेंटीमीटर की दर पर विज्ञापन देती है जिसमें भी वह 15 प्रतिशत छूट देती है । मुझे मालूम हुआ है कि सरकार यह 15 प्रतिशत कमीशन के रूप में ले लेती है । मैं निश्चित रूप से यह कह सकता हूं कि छोटे समाचारपत्रों को राजकीय विज्ञापनों से पूरे वर्ष में जो धनराशि मिलती है वह एक साधारणरूप से परिचालित दैनिक समाचारपत्र के एक विज्ञापन की आय से भी कम होती है । जहां तक मुझे याद है, प्रत्येक बड़े समाचारपत्र की राजकीय विज्ञापनों से मासिक आय सभी साप्ताहिकों के सम्मिलित वार्षिक आय से अधिक है । अपनी उत्सुकता अथवा चिन्ता प्रकट करने के लिये विभाग छोटे समचारपत्रों के सम्बन्ध में जो आंकड़े प्रस्तुत करना है, वे गुमराह करने वाले होते हैं । आवश्यकता इस बात की है कि सरकार का नीति विषयक निर्णय यह होना चाहिये कि 70 प्रतिशत विज्ञापन छोटे समाचारपत्रों को तथा केवल 30 प्रतिशत उन बड़े समाचार पत्रों को, जिनका परिचालन 25,000 प्रतियों से अधिक है, दिये जायें ।

छोटे समाचारपत्रों के लिये निश्चित किये गये कोटे से 60 प्रतिशत साप्ताहिक विशेषतः भाषाई साप्ताहिकों को और 40 प्रतिशत दैनिक समाचार पत्रों को दिया जाना चाहिये । साप्ताहिकों में भी प्राथमिकता के आधार पर श्रेणियां बनाई जानी चाहिएं । जिन पिछड़े क्षेत्रों में परिवहन के पर्याप्त साधन उपलब्ध नहीं हैं और जिन पर्वतीय क्षेत्रों में ऊबड़-खाबड़ पर्वतों के कारण समाचारपत्रों का परिचालन निश्चय ही कम होता है और जहां दैनिक पत्रों के परिचालन की कोई सम्भावना नहीं होती है, वहां के साप्ताहिकों को विज्ञापनों के सम्बन्ध में प्राथमिकता मिलनी चाहिए ।

दूसरी बात मैं साप्ताहिकों को दिये जाने वाले वर्गीकृत विज्ञापनों के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं । विभाग इन विज्ञापनों के दिये जाने की कठिनाइयों की चर्चा करता है । मैं उनकी सराहना नहीं कर सकता । जब राज्य सरकारें इस श्रेणी के विज्ञापन साप्ताहिकों को दे सकती है, तो केन्द्रीय सरकार क्यों नहीं दे सकती ? सरकार को चाहिए कि यह साप्ताहिकों को प्रदेशिक आधार पर समूहों में विभाजित कर दे और उनके क्षेत्रों से सम्बन्धित सभी वर्गीकृत विज्ञापन उन्हें दे दे । दक्षिण के एक निर्माण-कार्य के विषय में दिल्ली और कलकत्ता में प्रकाशित समाचारपत्रों में विज्ञापन देने में क्या

समझदारी है ? कुछ संघ राज्य क्षेत्रों में तो दैनिक समाचारपत्र हैं ही नहीं। उन क्षेत्रों के साप्ताहिकों को वर्गीकृत विज्ञापनों से क्यों वंचित रखा जाये ?

तीसरी बात में विज्ञापन-व्यय को आय कर के लिये व्यय की अनुज्ञेय सीमा में शामिल करने के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं। इस दिशा में राजपत्र-अधिसूचना को वापस लेने की वित्त मंत्री की घोषणा का स्वागत किया जाता है, तथापि मैं सूचना तथा प्रसारण मंत्री से अनुरोध करूंगा कि वह इस प्रश्न पर वित्त मंत्री के साथ विस्तृत रूप से विचार करें।

एक फर्म का विज्ञापनों पर जो व्यय होता है वह किसी प्रकार छिपाई गई आय नहीं है अतः उसे मालूम करने के लिये कार्यवाही करनी पड़ेगी। यह सामान्य वाणिज्यक व्यापार का एक भाग है जो कि समुदाय के आर्थिक जीवन के लिये आवश्यक है। समाचारपत्र उद्योग, विज्ञापन उद्योग, मुद्रण उद्योग पूर्णतया अथवा अधिकांशतः समवायों द्वारा विज्ञापनों पर किये गये व्यय पर निर्भर रहते हैं यदि एक बार विज्ञापनों पर रोक लगा दी जाये तो परिणाम यह होगा कि समाचारपत्र उद्योग समाप्त हो जायेगा, मेरे विचार में बड़े समाचारपत्र भी इस आकस्मिक आघात को सहन नहीं कर सकेंगे। छोटे समाचारपत्र तो समाप्त ही हो जायेंगे।

इस समय जब कि सरकार इस समस्या पर विचार कर रही है, मैं इस सम्बन्ध में एक विशेष प्रश्न उनके सामने रखना चाहता हूं। आज भी विज्ञापनदाता अधिकांश विज्ञापन छोटे समाचारपत्रों को इसलिये नहीं देते हैं कि सम्मानित (प्रैस्टिज) विज्ञापन अनुज्ञेय-व्यय में शामिल नहीं किया जाता। इससे इस श्रेणी के पत्रों के लिये बहुत कठिनाई उत्पन्न हो गई है। जब सरकार सम्पूर्ण समस्या पर नये सिरे से विचार कर रही है, मुझे आशा है कि सरकार कम से कम सम्मानित विज्ञापनों को अनुज्ञेय-व्यय की सीमा के अन्तर्गत शामिल करके उन्हें छोटे साप्ताहिकों को भी देने के प्रश्न पर विचार करेगी। ऐसा करने पर अधिक धन राशि का प्रश्न नहीं उठता। शायद ही कोई फर्म इस मद में 5,000 से 10,000 रुपये की रकम रखे।

अन्त में मैं मंत्री महोदय का ध्यान विज्ञापन तथा दृश्य प्रचार विभाग की त्रुटियों की ओर दिलाना चाहता हूं। यह विभाग बहुत फिजूल खर्च कर रहा है। जब इस संगठन में पहिले ही काफी स्थायी कर्मचारी हैं तो बाहर के लोगों की नियुक्ति पर अत्याधिक धनराशि व्यय करने का प्रश्न कहां उठता है ? यदि कर्मचारी अयोग्य हैं तो उन्हें हटा दिया जाना चाहिये और बाहर के लोगों की स्थायी रूप से नियुक्ति की जानी चाहिए। अखबारी कागज की खरीद में जो घाटा उठाना पड़ता है या उस पर फिजूल खर्च होता है, वह छिपा नहीं है। मेरी व्यक्तिगत राय है कि राजकीय विज्ञापन-कार्य प्रणाली के सम्बन्ध में एक उच्च स्तरीय जांच अविलम्ब आवश्यक है।

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : सभा ने मेरे प्रति जो उदारता दिखाई है उसके लिए मैं आभार व्यक्त करती हूं।

अध्यक्ष महोदय : वह अपना भाषण कल जारी रखें। अब सभा ध्यान दिलाने वाली सूचना को लेगी।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

(2) केरल राज्य परिवहन के कर्मचारियों की हड़ताल

Shri Kishen Pattnayak (Sambalpur) : I beg to draw the attention of the Home Minister to the following matter of urgent public importance and request him to make a statement thereon :

"Strike by employees of Kerala State Transport Corporation."

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हाथी): राज्य सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार 3 अप्रैल, 1965 को त्रिचूर और क्रेंगनोर के बीच चलने वाली 3 बसों की, अधिक सवारियां लादने पर, चैकिंग के दौरान पुलिस की तथाकथित ज्यादती की एक घटना के आधार पर बसों के चालकों (ड्राइवरों) तथा संवाहकों (कंडक्टरों) ने इन दोनों स्थानों के बीच सभी आम व खास बस सेवाओं को रोक दिया। यह भी सूचना मिली है कि उन्होंने करुप्पदन्ना में, जहां चैकिंग की गई थी, सड़क के बीच में बसें खड़ी करके यातायात रोक दिया। 4 अप्रैल को यह हड़ताल अन्य केन्द्रों में और उससे अगले दिन सारे राज्य में फैल गई, जिसके फलस्वरूप सारी यात्री-गाड़ियों पर नियुक्त कर्मचारियों ने बिना पूर्व सूचना के काम बन्द कर दिया। इन कर्मचारियों की संख्या 3,200 थी। 3 अप्रैल की चैकिंग के परिणाम के बारे में परस्पर विरोधी कथन और आरोप सामने आते रहे। इस सब को देखते हुए राज्य सरकार ने त्रिचूर के कलक्टर को एक विस्तृत जांच करने का आदेश दिया है। कर्मचारी 6 अप्रैल को हड़ताल तोड़ कर काम पर वापिस लौट आये। उस दिन दोपहर बाद से सेवा सामान्य रूप से चालू हो गई है।

Shri Kishen Pattnayak : As is clear from the statement, the Government and the public have suffered a great loss due to the unreasonable attitude of the police officer towards a trifling incident. Is this the offshoot of the President's rule in that State that the police and the bureaucracy have started acting in such an irresponsible way ?

Shri Hathi : The police does not think in such terms that they are the sole masters. However this incident is being enquired into.

श्री वारियर (त्रिचूर) : इस निगम के बनने से पहले सरकारी बसों में अधिक यात्री ले जाने की अनुमति थी। क्या अब स्थिति में कोई परिवर्तन कर दिया गया है। जिससे कि पुलिस ने यह हस्तक्षेप किया अथवा उन्होंने साधारण रूप से ही यह जांच की थी ? क्या इस पर विचार किया गया है ?

श्री हाथी : पुलिस को जांच करने का अधिकार है। कानून के अन्तर्गत अधिक यात्री ले जाने की अनुमति नहीं है। यह मामला केवल जांच से ही सम्बन्धित नहीं है अपितु इसका सम्बन्ध अन्य बातों से भी है जो वहां पर हुईं।

श्री बासुदेवन नायर (अम्बलपुजा): निगम बनने के पश्चात् स्थिति बिल्कुल बदल गई है। मैं जानना चाहता हूं कि निगम तथा राज्य सरकार के अधिकारियों के बीच पूर्ण समन्वय बनाये रखने के लिये अब क्या कदम उठाये जा रहे हैं ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं न हों? क्या मैं यह भी जान सकता हूं कि केन्द्रीय सरकार इस ओर ध्यान देगी कि अधिकारी निगम के किसी कर्मचारी को तंग न करें और इस घटना के बाद शाँतिपूर्ण वातावरण स्थापित हो जाये।

श्री हाथी : जहां तक राज्य परिवहन निगम तथा उसके कर्मचारियों के सम्बन्धों का प्रश्न है, उनके बारे में कोई विवाद नहीं है और न ही किसी कर्मचारी को तंग किया गया है। यह हड़ताल पुलिस की हाथापाई के कारण की गई थी और उसकी जांच हो रही है।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर): क्या यह सच है कि कर्मचारियों की एक मांग यह थी कि जांच शुरू करने से पहले उस पुलिस अफसर को मुअत्तिल कर दिया जाये या उसका तबादला कर दिया जाये; और उस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है? क्या यह भी सत्य है कि उनकी मजूरी नहीं काटी जायेगी क्योंकि हड़ताल के लिये कर्मचारी प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार नहीं थे।

श्री हाथी: जहां तक मजूरी के भुगतान का प्रश्न है, सरकार का उससे कोई सम्बन्ध नहीं है क्योंकि यह निगम एक स्वायत्तशासी तथा स्वतंत्र निकाय है। मजूरी भुगतान का प्रश्न निगम तथा उसके कर्मचारियों के आपसी सम्बन्धों पर निर्भर है। मेरी राय में दूसरी मांग पर बिल्कुल जोर नहीं दिया गया था। क्योंकि उन्होंने इस आश्वासन पर कि मामले की जांच की जायेगी, हड़ताल वापस ले ली थी।

इसके पश्चात् लोक-सभा शुक्रवार, 9 अप्रैल, 1965/19 चैत्र 1887 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till eleven of the clock on Friday, April 9, 1965 Chaitra 19, 1887 (Saka).

GMGIPND—LSIII—683(Ai)LS—20-7-65—500.

श्री वासुदेवन नायर (अम्बलपुजा): निगम बनने के पश्चात् स्थिति बिल्कुल बदल गई है। मैं जानना चाहता हूं कि निगम तथा राज्य सरकार के अधिकारियों के बीच पूर्ण समन्वय बनाये रखने के लिये अब क्या कदम उठाये जा रहे हैं ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं न हों? क्या मैं यह भी जान सकता हूं कि केन्द्रीय सरकार इस ओर ध्यान देगी कि अधिकारी निगम के किसी कर्मचारी को तंग न करें और इस घटना के बाद शाँतिपूर्ण वातावरण स्थापित हो जाये।

श्री हाथी : जहां तक राज्य परिवहन निगम तथा उसके कर्मचारियों के सम्बन्धों का प्रश्न है, उनके बारे में कोई विवाद नहीं है और न ही किसी कर्मचारी को तंग किया गया है। यह हड़ताल पुलिस की हाथापाई के कारण की गई थी और उसकी जांच हो रही है।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर): क्या यह सच है कि कर्मचारियों की एक मांग यह थी कि जांच शुरू करने से पहले उस पुलिस अफसर को मुअत्तिल कर दिया जाये या उसका तबादला कर दिया जाये; और उस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है? क्या यह भी सत्य है कि उनकी मजूरी नहीं काटी जायेगी क्योंकि हड़ताल के लिये कर्मचारी प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार नहीं थे।

श्री हाथी: जहां तक मजूरी के भुगतान का प्रश्न है, सरकार का उससे कोई सम्बन्ध नहीं है क्योंकि यह निगम एक स्वायत्तशासी तथा स्वतंत्र निकाय है। मजूरी भुगतान का प्रश्न निगम तथा उसके कर्मचारियों के आपसी सम्बन्धों पर निर्भर है। मेरी राय में दूसरी मांग पर बिल्कुल जोर नहीं दिया गया था। क्योंकि उन्होंने इस आश्वासन पर कि मामले की जांच की जायेगी, हड़ताल वापस ले ली थी।

इसके पश्चात् लोक-सभा शुक्रवार, 9 अप्रैल, 1965/19 चैत्र 1887 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till eleven of the clock on Friday, April 9, 1965 Chaitra 19, 1887 (Saka).

GMGIPND—LSIII—683(Ai)LS—20-7-65—500.